खण्ड-139, अंक-4
गुरूवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(2 सितम्बर, 1954 ई0)

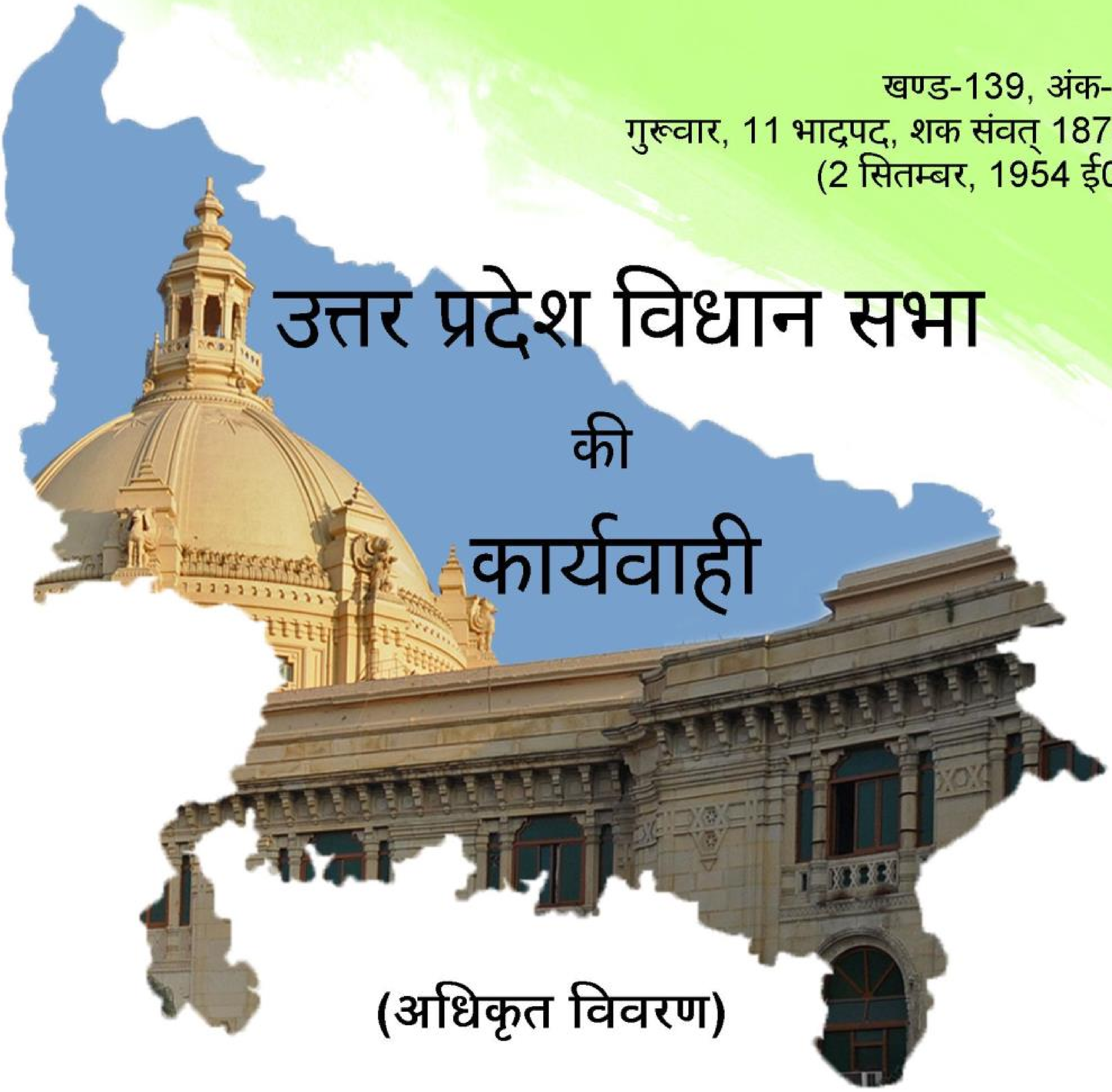

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 139 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन, ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छोदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री

विधान पुस्तकालय उत्तर प्रदेश

फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द,डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद ,श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

विलीन रामपुर रियासत के सैनिक अधिकारी

*५--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर रियासत के विलीनीकरण पर रामपुर रियासत के फौज के कुछ सुपीरियर आफिसर उत्तर प्रदेश सरकार में लगा लिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर नहीं में है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर स्टेट की फौज के आफिसर्स जो यू० पी० गवर्नमेंट की सर्विस में एबजार्व कर लिये गये थे, क्या यह सही है कि उनको अब दूसरी स्टेट्स में आन डेपुटेशन भेज दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरी सूचना तो यह है कि रामपुर स्टेट की फौज के जो आफिसर्स थे उनमें से किसी ने यू पी० गवर्नमेंट की सरविस के लिये दरख्वास्त नहीं दी, फिर डेपुटेशन पर भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

ऐडीशनल सिटी मैजिस्ट्रेट, कानपुर के कार्यालय में ग़बन

*६--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के एडीशनल सिटी मैजिस्ट्रेट के दफ्तर से १९५२ में कुछ सरकारी रकम का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एडीशनल सिटी मैजिस्ट्रेट, कानपुर के दफ्तर से तारीख ६ नवम्बर, १९५२ को कुल ५,८८४ रुपये का गबन पाया गया। यह गबन ५ नवम्बर, १९५१ से ६ नवम्बर १९५२ के दरमियान किया गया।

*७--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा ही गबन इससे पूर्व साल में भी इसी कार्यालय से हुआ था ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऊपर दिये गये गबन के अतिरिक्त एडीशनल सिटी मैजिस्ट्रेट के दफ्तर से और कोई गबन नहीं हुआ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गबन कितने दिनों के बीच में हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो प्रश्न के उत्तर में ही लिख दिया गया है। ५ नवम्बर, १९५१ से लेकर ६ नवम्बर, १९५२ के बीच में।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गबन के संबंध में किन-किन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वहां जो महादेव प्रसाद नाम के अहलमद थे उनके ऊपर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि किस मद से संबंधित यह गबन था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किस मद से संबंधित था इसकी बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता।

जिला फ़तेहपुर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास केंद्र खोलने का विचार

*८--श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में इस साल, सन् १९५४-५५ में कुल कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास केन्द्र (N. E. S. Development Blocks) खोले जाने की योजना है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)--फतेहपुर जिले में सन् १९५४-५५ में एक और राष्ट्रीय प्रसार सेवा विकास केन्द्र (National Extension Service Block) खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रस्ताव पर कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री फूल सिंह--जैसे-जैसे स्टाफ तैयार होता जायगा तैसे-तैसे खुलते जायेंगे।

*९-१०--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[७ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला अल्मोड़ा में लोहाघाट क्षेत्र के नरसिंह, डौड़ा, मायावती आदि वनों की भूमि तथा उस पर पशु चराने का अधिकार

*११--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के इलाका लोहाघाट के नरसिंह, डौड़ा, मायावती वगैरह वन लेख तक के जंगल में दर्जा १ में कितनी एकड़ भूमि है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--लगभग १८,७५३ एकड़।

*१२--श्री खुशी राम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जंगल के चौतरफा गांव के गाय बैल आदि जानवरों को चुगाने की और वहां से घास लकड़ी लाने की आज्ञा नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इन वनों में ग्रामीणों को पशुओं चुगाने तथा घास-पत्ती लाने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

आगरे में कास्टिक सोडे का कारखाना खोलने के विषय में परिप्रश्न

*१३--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार आगरा में कास्टिक सोडा का करखाना खोलने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार पंच वर्षीय योजना के अनुसार कास्टिक सोडे का कारखाना आगरा में या कहीं और खोलने का है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं।

*१४-१५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिले में श्रम दान सप्ताह में प्लानिंग कमेटी द्वारा खर्च

*१६--**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष श्रमदान सप्ताह में हमीरपुर जिले में किन-किन स्थानों पर कितना-कितना रुपया प्लानिंग कमेटी द्वारा खर्च किया गया और यह रुपया किन-किन मदों पर खर्च हुआ ?

श्री फूल सिंह--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८७ पर)

जिला हमीरपुर में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक मौदहा के अन्तर्गत कार्यारम्भ

*१७--**श्री तेज प्रताप सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक मौदहा (जिला हमीरपुर) में कितने आबाद गांव लिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह--इस ब्लाक में कुल १०३ गांव लिये गये हैं जिनमें ९० गांव आबाद हैं।

*१८--**श्री तेज प्रताप सिंह** (अनुपस्थित)--उक्त ब्लाक में कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री फूल सिंह--इस ब्लाक में मार्च, १९५४ से काम होना शुरू हो गया है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक के लिये कितने आबाद गांव के होने की आवश्यकता है ?

श्री फूल सिंह--इस ब्लाक के लिये १०० गांव और ६६ हजार आबादी के होने की आवश्यकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी १० और आबाद गांव को इसमें सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह--और गांव सम्मिलित करने में कठिनाई यह है कि इसकी आबादी पहले ही ६६ हजार की जगह ७१ हजार ८ सौ है और फिर एक-एक गांव सम्मिलित नहीं

नोट--तारांकित प्रश्न १३ श्री नारायणदत्त तिवारी ने और १६-१८ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

[श्री फूल सिंह]

हो सकता। गांव की पंचायत अदालतों को भी सम्मिलित करना पड़ता है। ऐसा करने से बहुत से प्रश्न खड़े हो जायंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक्स में अभी तक क्या काम हुए हैं और कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री फूल सिंह---रुपया कितना खर्च हुआ है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन काम क्या-क्या हुए हैं वह ऐग्रीकल्चर, ऐनीमल हस्बेंडरी और सहकारी विभाग के मातहत कुछ काम हुए हैं और कोआपरेटिव सोइटीज बनायी जा रही है कोआपरेटिव टयूब वैल्स लगाने के लिये और कुछ नालियां वग़ैरह बनाई गई हैं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस ब्लाक योजना में हरिजनों को कोई विशेष सुविधाएं देने का आयोजन है, या नहीं है?

श्री फूल सिंह---हरिजनों के लिये तो सभी जगह विशेष आयोजन है।

उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक की आर्थिक स्थिति शेयर कैपिटल तथा ब्याज की ऊंची दर

*१९---**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ में प्रदेशीय सरकार के कितने रुपयों के हिस्से हैं?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---५ लाख रुपये के हिस्से हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतायेगी कि इस बैंक की कैपिटल क्या है?

श्री मंगला प्रसाद---कैपिटल के माने नहीं समझा, क्योंकि कई तरह के कैपिटल होते हैं। कारोबारी होता है, अपना निजी धन होता है।

श्री बलवन्त सिंह---दोनों कैटिपल बतलाने की कृपा कीजियेगा।

श्री मंगला प्रसाद---इसके लिये नोटिस की जरूरत है। लेकिन अन्दाज से कह रहा हूं कि करीब ६० लाख के तो उनका अपना शेयर कैपिटल है और करीब ३ करोड़ अपना निजी कैपिटल है और कारोबारी तो रोज घटता बढ़ता है। आज की स्थिति मुझे मालूम नहीं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतायेगी कि इसके शेयर होल्डरों को प्रति वर्ष मुनाफा दिया जाता है?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां, दिया जाता है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में इस ५ लाख के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को कितना-कितना मुनाफा मिला है?

श्री मंगला प्रसाद---करीब २२,५०० मिला है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निजी कैपिटल से क्या तात्पर्य है?

नोट---तारांकित प्रश्न १९ श्री बलवन्त सिंह ने पूछा।

श्री मंगला प्रसाद--निजी कैपिटल वह है जो कि बैंक की खुद अपनी हो जाती है। कारोबारी वह है जो और लोग डिपोजिट करते हैं, हर तरह की डिपोजिट को मिला कर कारोबारी कैपिटल होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति क्या है?

श्री मंगला प्रसाद--काफी अच्छी है। जिसकी शेयर कैपिटल ५० लाख ६० लाख की हो, उसकी स्थिति अच्छी ही है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रान्तीय सरकार इस बैंक से क्या क्या काम ले रही है?

श्री मंगला प्रसाद--प्रान्तीय सरकार इससे कोई काम नहीं ले रही है, कोआपरेटिव सोसाइटीज का काम लेती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिजर्व बैंक से मीडियम टर्म लोन कितना इस प्रान्तीय कोआपरेटिव बैंक ने लिया?

श्री मंगला प्रसाद--मीडियम टर्म लोन अभी तक रिजर्व बैंक देता ही नहीं था। इस साल फौर दी फर्स्ट टाइम देने की बात है अभी उसकी प्रथा चलायी जा रही है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या प्रान्तीय सरकार कोआपरेटिव बैंक जो सोसाइटीज को रुपया देता है उसका रेट एक्जारबीटेंट है उसके दर को कम करने के लिये विचार कर रही है?

श्री मंगला प्रसाद--प्रावंशियल कोआपरेटिव बैंक सब सोसायटीज को रुपया नहीं देता है। वह तो सेंट्रल बैंक या Provincial Cooperative Federation को रुपया दिया करता है या कभी कभी District Cooperative Federation को भी देता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही बात है कि जब बैंक से जनता को रुपया पहुंचता है तो उसे १० प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जब कि उसको रिजर्व बैंक से डेढ़ प्रतिशत पर रुपया मिलता है?

श्री मंगला प्रसाद--रिजर्व बैंक से डेढ़ परसेंट पर प्रावंशियल बैंक को रुपया मिलता है, उसकी गारन्टी होती है और कोआपरेटिव बैंक सेंट्रल बैंक को ढाई परसेंट पर रुपया देता रहा है। सेंट्रल बैंक पहले societies को ९ प्रतिशत और उससे अधिक पर भी देती रही है और societies अपने सदस्यों को १०, ११ और १५ प्रतिशत देती रही है लेकिन अब ७ परसेंट से ज्यादा सोसायटीज से नहीं लेता है सोसायटीज काश्तकारों से या अपने मेम्बर्स से ९ प्रतिशत से ज्यादा नहीं लेती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि रिजर्व बैंक ने नया हुक्म निकाला है कि किसी से भी सवा छै प्रतिशत से ज्यादा सूद नहीं लिया जायगा?

श्री मंगला प्रसाद--इसकी इत्तिला माननीय सदस्य को होगी, हमें नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रिजर्व बैंक अपनी शाखायें गांवों में ले जाने के लिये ५ प्रतिशत पर रुपया देने के लिये तैयार है?

श्री मंगला प्रसाद--ऐसी कोई इत्तिला मुझे नहीं है।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक का शेयर ट्रांसफरेबिल है या नहीं, यदि है तो उसकी मारकेट वेल्यू क्या है?

श्री मंगला प्रसाद—अभी शेयर ट्रांसफर होते नहीं हैं नोटिस चाहिये, यदि आप डिटेल्स जानना चाहते हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से मुनाफा दिया जाता है?

श्री मंगला प्रसाद—जिस साल जैसी आमदनी होती है। इस साल साढ़े चार प्रतिशत दिया गया था और पिछले साल भी इतना ही दिया गया था और कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार के पास कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र आये थे जिले से कि सोसायटीज को बैंक अधिक कर्जा दे जिससे ज्यादा लोगों में वितरण किया जा सके?

श्री मंगला प्रसाद—यह बात सही है और हम सोसायटीज को ज्यादा रुपया देना चाहते हैं इसके लिये कानून में परिवर्तन करने का प्रयत्न है जिसमें जो रुपया बैंक का हो वह वापस हो जाय। अगर रुपये के वापस होने का इन्तजाम हो जाय, तो हम ५ करोड़ से भी ज्यादा रुपया दे सकते हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसायटीज में ३ करोड़ रुपया जमा है तो क्या उससे नेशनल लोन्स में कुछ सहायता देने का सरकार विचार रखती है?

श्री मंगला प्रसाद—नेशनल लोन्स में कोआपरेटिव सोसाइटी ने अपना काफी पैसा लगाया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोआपरेटिव बैंक में उत्तर प्रदेश की कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज का कितना शेयर कैपिटल है और उनके कितने रुपये के शेयर्स हैं?

श्री मंगला प्रसाद—जितना उसका शेयर कैपिटल है ६० लाख का सब उन्हीं का है और कुछ सरकार का, ५ लाख का है तो उसकी डिटेल्स तो इस वक्त मालूम नहीं है, क्योंकि सवाल तो सिर्फ इतना ही था कि गवर्नमेंट ने कितने रुपये के शेयर्स लिये हैं। खैर, आप अपना नोटिस दें तो सब डिटेल तफसीलवार बताये जा सकते हैं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार कोआपरेटिव बैंक की बैलेंस शीट मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—मेरे पूछने का मतलब यह है कि सवाल यह था कि बैंक में कितना रुपया दिया गया है। तो जब तक बैलेंस (sheet) न देखा जाय तो पूरा-पूरा बैंक का हाल नहीं मालूम हो सकता, इसलिये मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि बैलेंस शीट मेज पर रखने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि यह सरकारी संस्था बिल्कुल नहीं है। कोआपरेटिव बैंक के विषय में इतने डिटेल्ड प्रश्न पूछने की इजाजत मैं देता नहीं। मैं उतने ही सवाल की इजाजत दूंगा जिनसे सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध आता हो। सरकार की सिर्फ ५ लाख रुपये बैंक में लागत मौजूद है, कुल ६० लाख कोआपरेटिव की लागत है। ऐसी अवस्था में कोआपरेटिव बैंक की बैलेंस शीट लाकर सरकार सदन में उपस्थित करे इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिये मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय शिवनारायण जी को भी प्रान्तीय बैंक से कर्जा मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि सोसाइटीज की इतनी तादाद बढ़ गयी है उत्तर प्रदेश के अन्दर कि बैंक उनको मेंटेन नहीं कर पा रही है?

श्री मंगलाप्रसाद--यह सही है कि आज कल कोआपरेटिव माइंडेड ज्यादा लोग हो रहे हैं, उसमें ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं और साथ देना चाहते हैं। इस साल हमने ड्राइव किया था, एक करोड़ रुपया हमने अपने बैंक में डिपाजिट कराया और मुझे आशा है कि जिस तरह से इस साल लोगों ने साथ दिया है, आगे भी जनता हमारा साथ देगी और हम हर साल ४-५ करोड़ रुपये बैंक में बढ़ायेंगे और उनकी डिमांड को पूरा करेंगे।

सैदपुर में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का प्रस्ताव

*२०--श्री कमला सिंह-- क्या सरकार के पास गाजीपुर जिले की प्लानिंग कमेटी ने यह प्रस्ताव भेजा है कि सैदपुर में पहले एन० ई० एस० ब्लाक दिया जाय? यदि हां, तो यह कब तक मिलेगा?

श्री फूल सिंह--गाजीपुर प्लानिंग कमेटी ने प्रशिक्षण प्रसार केन्द्र, गाजीपुर से मिला हुआ एक नेशनल इक्सटेंशन सर्विस ब्लाक तथा दूसरा ब्लाक सैदपुर में खोलने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार आगामी गांधी जयन्ती के अवसर पर जिला गाजीपुर के सैदपुर में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का विचार कर रही है?

श्री फूल सिंह--आगामी गाँधी जयन्ती के अवसर पर ट्रेनिंग सेन्टर के पास खोलने का विचार है।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि गाजीपुर में जो राष्ट्रीय स्कूल है वहां प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र में इन लोगों को शिक्षा दी जाती है?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री कमला सिंह-- क्या सरकार सैदपुर में एन० ई० एस० ब्लाक का खोलना गाजीपुर से ज्यादा उपयुक्त समझती है?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

सैदपुर, जिला गाजीपुर में उद्योग विभाग का केन्द्र खोलने का सुझाव

*२१--श्री कमला सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि उद्योग विभाग का गाजीपुर में जो केन्द्र है उसमें सैदपुर तहसील के अधिकतर जुलाहे सूती कपड़े बुनने को लाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सैदपुर में ही इसका केन्द्र खोलने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह--(क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कपड़े का उद्योग केन्द्र जो गाजीपुर में खोला है उसमें कितनी लागत लगी है?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो जुलाहे या करघे पर काम करने वाले लोग हैं उनको बुनाई के रूप में कितनी सहायता दी जाती है?

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि वर्षा की ऋतु में करीब करीब ४ महीने रास्ता बन्द हो जाने की वजह से जुलाहे सैदपुर से गाजीपुर नहीं पहुंच सकते और इस तरीके पर जो सूत वगैरा है वह भी नहीं पहुंच सकता?

श्री हुकुम सिंह---रेल से रास्ता होगा तो वह रेल से जाते होंगे। इसके बारे में मुझे पूरी इत्तिला नहीं है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि सैदपुर तहसील में दक्षिण से उत्तर जाने के लिये कोई रास्ता या सड़क नहीं है?

श्री हुकुम सिंह---माननीय प्रश्नकर्ता ज्यादा जानते हैं, मुमकिन है उनकी बात सही हो।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सैदपुर में केन्द्र खोलने में उनको क्या-क्या कठिनाई है?

श्री हुकुम सिंह---वहां पर कोई स्टेशन नहीं है। महज बुनकर रहने से कोई केन्द्र नहीं खुल जाता है। बहुत से और फैक्टर होते हैं जिनको देख कर वह खोला जाता है। वहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है और सड़क भी नहीं है जिसकी हमारे मित्र को खुद शिकायत है। इस वजह से वहां पर केन्द्र खोलना ठीक नहीं है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि सैदपुर के पास सैदपुर रेलवे जंकशन और औरैया जंकशन है, जो करीब करीब २ फर्लांग की दूरी पर है?

श्री हुकुम सिंह---वह रेलवे वाला नक़शा देख लें तो साफ हो जायगा। मुझे इसका पता नहीं है।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह---हमारा गाजीपुर में जो केन्द्र है वह महज नमूने के तौर पर काम करता है। उसमें थोड़ा बहुत उत्पादन होता है इतना उत्पादन नहीं है कि उनको पूरा काम प्रोवाइड कर सकें वहां पर अब कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने का विचार है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां केवल बुनकर ही बुनाई का काम करते हैं या और कोई भी करते हैं?

श्री अध्यक्ष---यह माननीय सदस्य स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि बुनाई का काम कौन करते हैं।

श्री शिवनारायण---गाजीपुर सेंटर में जो केन्द्र है उसमें केवल बुनकर ही काम करते हैं या कुछ और लोग भी काम करते हैं?

श्री हुकुम सिंह---नमूने के तौर पर जो कपड़ा बुनता है उसको बुनकर ही बुनते हैं।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार सैदपुर में जुलाहों की तादाद और काम को देखते हुये कोई शाखा गाजीपुर में खोलने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, कोआपरेटिव बनाने का उद्योग किया जा रहा है।

प्रदेश में कम्युनिटी प्रोजेक्ट केन्द्रों की प्रगति तथा तदर्थ अमेरिकन टेक्निकल सहायता पर व्यय

*२२--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के केन्द्र अथवा उसके लिये क्षेत्र का चुनाव किन आधारों पर किया जाता है ?

श्री फूल सिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्टस के केन्द्रों अथवा उनके लिये क्षेत्रों का चुनाव क्षेत्र के पिछड़े पन तथा विकास के लिये उस क्षेत्र की क्षमता पर किया गया था। निकट भविष्य में कोई नये केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं।

श्री झारखण्डे राय-- क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनके पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो खोले गये हैं उनमें स्थान उपयुक्त न होने के कारण उनमें प्रगति अच्छी नहीं हुई है ?

श्री फूल सिंह--ये केन्द्र डेढ़ साल पहले खोले गये थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री झारखण्डे राय--क्या यह सही है कि किसी केन्द्रीय मंत्री महोदय ने इस बात की शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश में जो केन्द्र खोले गये हैं उनमें आशाजनक कार्य नहीं हुआ ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी-- क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स न खोले जाने के कारण क्या हैं ?

श्री फूल सिंह--अब तो एम० ई० एस० प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शुरू-शुरू में खोले गये थे।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अमेरिकन टैक्नीकल एड के अन्तर्गत भी रुपया दिया गया है ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ब्लाक्स को हाल ही में स्थापित एम० ई० एस० ब्लाक्स में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

श्री फूल सिंह--जिन ब्लाक्स को तीन साल पूरे हो जायंगे उनको तीन साल पूरे हो जाने के बाद एम० ई० एस० में टर्न कर दिया जायगा।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में अब तक कितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कहां-कहां खोले गये और उनमें से कितनों में सफलता मिली ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अमेरिकन टेक्नीकल एड के अन्तर्गत जो यह रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या उसे अमेरिका को फिर वापस करना होगा ?

श्री फूल सिंह--यह जो शर्तें हुयी होंगी उनकी वे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुयी होंगी। मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अमेरिकनों की सेवायें किस रूप और किन-किन कामों में ली गयी हैं ?

श्री फूल सिंह--इनकी सेवायें बतौर सलाहकार के ली गयीं और जिन-जिन मुहकमों में ली गयीं उनके नाम मैं पढ़ सकता हूं ।

मिस्टर नेस···· एजूकेशन डिपार्टमेंट, मिस्टर ट्रेजेड···· म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, श्रीमती विल्स···· इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, मिस्टर केबिन, जेर ऐंड हार्डी···· एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्मीथ मेकल राय···· एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एलबर्ट माया···· मेडिकल डिपार्टमेंट ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन अमेरिकनों पर खर्चा कौन सी गवर्नमेंट का हुआ है ?

श्री फूल सिंह--कुछ खर्चा हमारी प्रान्तीय सरकार का भी हुआ है, कुछ केन्द्रीय सरकार का हुआ है ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकार का कितना खर्चा इन अमेरिकनों पर हुआ है ?

श्री फूल सिंह--इन सब के आंकड़े इकट्ठे तो नहीं हैं, अलग अलग सब के आंकड़े अगर आप इजाजत दें तो में पढ़ सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--क्या आप टोटल करके नहीं बतला सकते ।

श्री फूल सिंह--टोटल लगाने में देर लगेगी ।

श्री अध्यक्ष--तो आप अलग ही से पढ़ दें ।

श्री फूल सिंह--मिस्टर नेस पर तो कोई खर्चा नहीं हुआ है । मिस्टर ट्रेजेड पर ६९८ रु०, श्रीमती विल्स पर १०,७३८ रु० १३ आ०, मिस्टर केबिन पर २,११३ रु० ६ आ०, मिस्टर जेर पर १,७६६ रु० ६ आ० ६ पाई, मिस्टर हार्डी पर २,२९५ रु० ४ आ० ९ पाई, मिस्टर स्मीथ पर ६,२८३ रु० ६ आ० ९ पाई, मिस्टर मेकल राय पर ३,३१२ रु० १२ आ० और मिस्टर एलबर्ट माया पर ३५,६०० रु० खर्चा हुआ ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये अमेरिकन सरकार ने खुद अपनी मर्जी से रखे थे या किसी के मशविरे से रखे थे ?

श्री फूल सिंह--एलबर्ट माया को तो शुरू से ही रखा गया था, बाकी लोग मशविरे से रखे गये थे ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे जो यहां की सेवा में लिये गये थे वे अमेरिकन सरकार की ओर से भेजे गये थे या किसी अर्द्धसरकारी संस्था की ओर से या किसी विश्व संस्था की ओर से भेजे गये थे ?

श्री फूल सिंह---ये सब इत्तिला जो माननीय सदस्य को दी गयी है उसमें लिखी हुयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अमेरिकन सलाहकारों पर जो व्यय होता है वह भत्ते के रूप में व्यय होता है या वेतन के रूप में ?

श्री फूल सिंह--एलबर्ट माया के ऊपर तो वेतन के रूप में व्यय होता है, लेकिन बाकी पर तो भत्ते के रूप में ही व्यय होता है ।

*२३--**श्री झारखंडे राय**--[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

सलाहकारों के रूप में अमेरिकनों से ली गयी सेवाएं

*२४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष (१९५३-५४ में) कुल कितने अमेरिकनों की सेवाओं सलाहकार के रूप में उसनें लीं ?

श्री फूल सिंह--गत वर्ष १९५३-५४ में कुल नौ अमरीकनों की सेवायें सलाहकार के रूप में ली गयी ।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कृषि विभाग से कुछ अमरीकन जिनकी सेवा वहां ली जा रही थी। यह कह कर हटाये गये हैं कि वे अयोग्य हैं ?

श्री फूल सिंह--इस वक्त केवल एक अमरीकन काम कर रहा है, बाकी सब लौट गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५३-५४ में जिन अमरीकन सलाहकारों से राय ली गयी है क्या उन्हीं से ५४-५५ में भी राय ली जा रही है ?

श्री फूल सिंह--मैं कह चुका हूं कि अब महज एक आदमी ही काम कर रहा है।

*२५--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--[६ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरा तथा मथुरा ज़िलों के लिए नया फ़ारेस्ट डिवीज़न तथा जंगलों का पोषण

*२६--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा, मथुरा जिलों के लिये एक नया Forest Division खुलने वाला है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--एक नया फारेस्ट डिवीजन खुल चुका है।

*२७--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--यदि हां, तो इसकी सीमायें क्या होंगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस डिवीजन के अधिकार-क्षेत्र में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जिले और गुरगांव व देहली के कुछ भाग हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो रेवीन्स का एरिया आगरा में लिया गया है उसमें जंगल लगाने का काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वहां पेड़ लगाने का काम तो पहले से ही शुरू हो चुका है, पहले वह दूसरा डिवीज़न था, लेकिन काम अधिक हो जाने की वजह से अब एक के दो डिवीज़न कर दिये गये हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--जहां पर यह वन लगाये गये हैं वहां के लिये गर्मियों में पानी का क्या प्रबन्ध है ? ताकि वहां पेड़ों की केजुएलटीज़ न हों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जहां तक जंगलात का सवाल है उनके लिये कुवें या नहरें तो बनती नहीं क्योंकि उन के बहुत फैले हुए क्षेत्र होते हैं मगर जहां पर देखते हैं कि बहुत जरूरी है जैसे गोबर्धन की १४ मील की परिक्रमा है, जमीन भी वहां की खराब है और अगर पेड़ सूखते हैं तो अगर कहीं हो सकता है तो ऐग्रीकल्चर वालों के ट्यूबवेल्स कहीं पड़ोस में होते हैं तो वहां से लाकर पानी डाला जा सकता है ।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले ३ साल में जो पौधे लगाये गये थे उनमें से केजुएलटीज का प्रतिशत क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ठीक परसेंटेज तो नहीं बता सकता लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि बहुत कम नगण्य केजुएलटीज हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को यह सूचना है कि रेवीन्स के क्षेत्र में भी पौधे लगाना शुरू हो गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मथुरा से आगरा के बीच में रेवीन्व क्षेत्र में लगभग सन् ४९ के लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत फारेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ जमीन ली थी और उस पर जंगल लगाया था, अब वह काफी बड़ा जंगल हो गया है। अब जो रेवीन्स क्षेत्र में वन लगाया गया है उसमें अभी एक दो साल के पौधे हैं और वह काफी अच्छी हालत में हैं। यों तो केजुएल्टीज जरूर हुयी हैं लेकिन जमीन की हालत देखते हुए और जिस कठिनाई में काम हुआ है मैं समझता हूं कि उसमें हमें काफी सफलता प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़गांवा, राजस्थान और आगरे की हद पर जो पेड़ लगाये गये हैं उनके लिये पानी का क्या इंतजाम किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वन का इतना विशाल क्षेत्र हो गया है कि वैसे तो पानी का कोई प्रबंध नहीं हो सकता लेकिन जो रोड्स साइड के एवेन्यूज हैं उनमें गाड़ियां रहती हैं, उनसे जहां तक सड़कों का ताल्लुक है पानी देने का काम चलता है लेकिन, जहां तक जंगल के क्षेत्र का सवाल है वहां पानी पहुंचाना सम्भव नहीं है और वहां प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन जिलों से आप के पास यह भी सूचना आयी है कि वहां पर जब तक समुचित रूप से पानी का इंतजाम न होगा तब तक कामयाबी वहां न होगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, वह तो चाहे ऐसे प्रार्थना पत्र आयें या न आयें, यह तो हम स्वयं जानते हैं कि जितनी सफलता हम चाहते हैं वह जब तक पानी का प्रबन्ध न हो तब तक नहीं हो सकती, हमने जंगल लगा दिये हैं शायद प्रकृति हमारी मदद करे। गुड़गावां वगैरह जहां का जिक्र है वहां पर शरणार्थियों का शहर भी है वहां उन लोगों ने काफी नुकसान भी किया है। लेकिन अब देहली पुलिस ने केन्द्रीय सरकार के आदेश पर काफी प्रबन्ध कर दिया है। जहां तक पानी का सवाल है वह तो बहुत कठिन प्रश्न है।

उन्नाव जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें

*२८--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--७ को।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पेंशनें किस दर से दी जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सब के लिये एक दर से नहीं होती। वह व्यक्ति की आर्थिक अवस्था के विचार से अलग-अलग होती है लेकिन ५० रुपए से अधिक नहीं दी जाती।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सातों व्यक्तियों को कुल मिलाकर कितनी पेंशन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१६६ रुपए महीना दी जाती है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सात व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के भी आवेदनपत्र विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, चार व्यक्तियों के आवेदनपत्र विचाराधीन हैं।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सातों व्यक्तियों में से कम से कम कितने रुपए की पेंशन मिलती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१४ रुपए की ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १६६ रुपये की जो रकम दी जाती है वह मासिक दी जाती है या सालाना ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ने तो कहा था कि यह मासिक सबका जोड़कर आता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४० राजनीतिक पीड़ितों की दरख्वास्तें जो सरकार के विचाराधीन हैं उनपर कब तक निर्णय हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सम्भव है कुछ भ्रम हो गया है। मैंने तो केवल ४ के लिये कहना चाहा था सम्भव है कि ४० कह गया हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आपने ४० नहीं कहा था। आपने ४ ही कहा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ४ ही कहा था और आशा है कि उन पर बहुत जल्द विचार खत्म हो जायगा ।

*२९-३१---श्री रामलखन (जिला बनारस)---[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुक़दमों की संख्या घटने के कारण जुडिशियल अफसरों को कम करने का विचार

*३२---श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के कारण माल के मुकदमों में कमी हो गयी है ? यदि हां, तो कितने माल के मुकदमा करने वाले जुडिशियल अफसरों की संख्या में कमी किये जाने की सम्भावना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप माल के मुकदमों के दायर होने की संख्या काफी गिर गयी है। यह प्रश्न कि क्या राज्य में जुडिशियल अफसरों की संख्या में जनहित को बिना क्षति पहुंचाये हुए कुछ भी कमी करना संभव हो सकता है, कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। इस विशेष विषय की जांच सरकार ने एक उच्च अधिकारी को सौंपी जिसके सुझाओं पर सरकार विचार कर रही है। जुडिशियल अफसरों की संख्या में निकट वर्तमान में कोई पर्याप्त कमी करना अभी सम्भव नहीं मालूम होता किन्तु सरकार उतने ही जुडिशियल अफसरों को रखने का निश्चय रखती है जितने जिलों में मुकदमों को निबटाने के लिये आवश्यक हैं।

श्री रामअधार तिवारी---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि वह उच्च पदाधिकारी कौन हैं और उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनका नाम तो मैं बतला सकता हूं ---श्री सूचा सिंह खेरा और सुझाव तो कई हैं जिनके ऊपर जब तक गवर्नमेंट विचार न कर ले तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

श्री रामअधार तिवारी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जुडीशियल आफिसर्स को यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि यदि वे आफिसर्स रेट्रेंच किये जायं तो दूसरे स्थान पर रख दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आश्वासन तो ऐसा कोई नहीं दिया जाता, लेकिन हमेशा ऐसा हर सर्विस के लिये होता है कि वे सब रिट्रेंच किये जाते हैं तो यथासम्भव लोगों को जगह दी जा सकती है तो दी जाती है ।

श्री बसंतलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो जुडिशियल अफसर काम कर रहे हैं प्रदेश में, उनकी नौकरी अस्थायी रही है या स्थायी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो अस्थायी समझना चाहिये ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों में जुडीशियल अफसर कम किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस माने में कम हुए हैं कि १९५० में १९८ थे और १९५४ में १६६ हैं ।

श्री रामअधार तिवारी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जुडिशियल अफसरों के कैडर का चुनाव बंद हो गया है या अभी जारी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझे मालूम है इस वक्त बंद है ।

श्री कमला सिंह--क्या यह सही है कि जुडीशियल अफसरों में से कुछ स्थायी बनाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि कितने आदमी रहें और कितने न रहें । जब यह विचार हो जाय कि कितने रहेंगे तब यह प्रश्न भी उठ सकता है ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जुडीशियल अफसरों का काम और उसका डिस्पोजल बमुकाबिले डिप्टी साहबान के बहुत अच्छा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, काम तो जो उनके सुपुर्द हुआ है, वह तो उन्होंने अच्छा किया है ।

अतारांकित प्रश्न

१-३--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)--[३० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

---

३१ अगस्त, १९५४ के प्रश्न ४६-४८ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

श्री अध्यक्ष--माननीय सूचना मंत्री ने पहिले किसी दिन कुछ जवाब दिये थे, उनको वे दुरुस्त करना चाहते थे ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--मैंने उस सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र भेजा था ।

श्री अध्यक्ष––मैंने उत्तर में यह लिखा है कि आपको सदन में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि आपने इस सवाल का यह जवाब दिया था परन्तु इसका सही जवाब यह है। मेरा इस प्रकार का पत्रोत्तर आपके पास पहुंचा या नहीं ?

श्री राममूर्ति––अभी तक पहुंचा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––तो आप कल के लिये तैयार हो जाइये। प्रश्नों के बाद अगर समय रहेगा तो आपको मौका दिया जायगा, तब आप सही उत्तर दे दें ।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्ध कारिणी समिति, हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्श-दात्री समिति तथा रीजनल एम्प्लायमेन्ट ऐडवाइजरी कमेटी के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष––अब मैं कुछ चुनाव के सम्बन्ध में सूचना सदन को दे देना चाहता हूं। बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति,

हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्श दात्री समिति, तथा रीजनल एम्पलायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिये नीचे लिखे अभ्यर्थियों के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे––

१–बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (हमीरपुर) ।

२–हाकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिए श्री गोपीनाथ दीक्षित, (इटावा) ।

३–रीजनल एम्प्लायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के लिये श्री काजी अदील अब्बासी, (बस्ती) और श्री देवी नन्दन शुक्ल (देवरिया) ।

नामों की वापसी का समय ३१ अगस्त, १९५४ के ३ बजे तक था। उसमें इस समय के भीतर रीजनल एम्पलायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी से श्री देवीनन्दन शुक्ल ने अपना नाम वापस ले लिया। अब प्रत्येक समिति के नाम निर्देशित सदस्य की संख्या रिक्त स्थान के बराबर है।

अतः बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी की प्रबंधकारिणी समिति के लिये श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा रीजनल एम्पलायमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के लिये श्री काजी अदील अब्बासी को मैं विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं।

*उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष––अब कृषि आयकर संशोधन विधेयक, १९५४ पर विवाद जारी रहेगा।

पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर विचारार्थ समय निर्धारित करने की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं एक बात पूंछना चाहता था। श्रीमन्, पिछले सेशन में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की रिपोर्ट और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद के लिये भी एजेंडा में स्थान रखा गया था। तो चूंकि पिछले सेशन में उन पर विवाद नहीं हो सका इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी रिपोर्टों पर विवाद की महत्ता को देखते हुये सन् ५१ और ५२ की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, इस वर्ष प्रस्तुत की गई पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद के लिये सरकार से समय दिलाने और सदन में विवाद होने की व्यवस्था करें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव ठीक है। लेकिन कौन सा दिन इसके लिये निश्चित होगा और इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री माननीय वित्त मंत्री से सलाह करने के बाद आप की सेवा में निवेदन कर सकेंगे?

*उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ८ (क्रमागत)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, कल माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने के उपरान्त मैं अधिकारपूर्वक यह कह सकता हूं कि वाद विवाद में वह अत्यन्त निपुण हैं, कुशल हैं। परन्तु खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि जिस रूप से और जिस तरह से उन्होंने सही और वास्तविक प्रश्न को छिपाया है वह कदापि इस सदन के लिये शोभा नहीं देता है। श्रीमन्, माननीय चतुर्वेदी जी ने जो कहा वह केवल एक शब्द यह था कि स्टेट इंटरप्राइज़ और प्राइवेट इंटरप्राइज़। उन्होंने इसका बहुत अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया और इस सदन को बताना चाहा कि स्टेट इंटरप्राइज़ वह नहीं है। कृषि अब भी प्राइवेट इंटरप्राइज़ है। श्रीमन्, यह ऐसी बात है जिसको कि ६ करोड़ से भी अधिक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनको इस बात का ज्ञान है कि आज कृषि जो है वह प्राइवेट इंटरप्राइज़ है न कि स्टेट। उनके कहने का महत्व जो था, उद्देश्य जो था, उस पर कदापि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी का यह कहना था कि कृषि पर यदि कर और हर प्रकार के गवर्नमेंट के ड्यूज़ इतने बढ़ा दिये जायंगे कि एक साधारण कृषक के लिये उसका बोझ सहन करना कठिन और दुष्कार हो जायगा तो वैसी परिस्थिति में श्रीमन्, प्राइवेट इनीश्येटिव जो है वह लुप्त हो जायगी। इनीश्येटिव का जो प्रश्न था, महत्व जो था, वह इस बात पर था कि अगर आज कृषि से किसी तरह की आय अगर बाकी नहीं बचती है तो उसका परिणाम यह होगा कि लोगों के इनीश्येटिव पर धक्का पहुंचेगा। परन्तु इसको न कहते हुये– यह तो एक स्लिप आफ टंग थी श्रीमन्, कि उन्होंने इसको प्राइवेट इन्टरप्राइज़ के रूप में कहा और उसका लाभ उठाकर असली मसले को साइड ट्रेक कर दिया और उस पर इस तरह से आवरण डाल दिया कि लोग उस इनीश्येटिव पर ध्यान ही न दे सकें। मैं समझता हूं कि माननीय चतुर्वेदी जी ने जो कुछ कहा है वह बहुत उचित था इसीलिये सरकार के लिये उस पर ध्यान देना सबसे पहला उसका काम था। लेकिन हठधर्मी के कारण या एक ग़लती से, एक शब्द की ग़लती से उन्होंने इस क़दर नाजायज़, फायदा उठाया कि हर महत्व पर, उसके हर दृष्टिकोण पर परदा डालना चाहा और अपनी तकरीर में सुझाव उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ६ (२) (ए) के अनुसार गुणांक, के आधार पर कर का निर्धारण होता है। लेकिन उसको मल्टिपिल पर आधारित न करते हुये करदाता ६(२) (बी) का आश्रय ले सकता है यानी अपना हिसाब किताब दिखा कर निर्धारण करा सकता है। यह कोई नवीन बात नहीं है जो कर दाता या इस भवन के माननीय सदस्य न जानते हों।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† १ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

इनको कहना चाहिये था कि इनीशिएटिव को मारना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। इस बात की ओर कदापि ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक दिन जब इस प्रश्न पर विवाद चल रहा था तो उस समय माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सेंट्रल इनकम टैक्स की जो दरें हैं, ओवर आल पोजीशन उसकी यह है कि ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स कम है। कल उन्होंने यह स्वीकार किया कि थोड़ा सा अन्तर है। अब श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच हजार रुपये की आमदनी पर १७० रु० ३ आना० सेंट्रल इनकम टैक्स देना होता है और ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स २१८ रु० देना होता है। जिसकी आमदनी दस हजार रुपये हो उसको ४८२ रु० ३ आने सेंट्रल इनकम टैक्स देना होता है और ८४५ रु० १२ आने ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना होता है। जिनकी आमदनी पचास हजार रुपया हो उसको सेंट्रल इनकम टैक्स के अनुसार १३ हजार २१० रु० १५ आने देना होता है और ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के अनुसार १८ हजार ३४५ रू० १२ आने देना होता है। इसको देखते हुये इस सदन का कौन सा ऐसा माननीय सदस्य है, जो यह न समझे कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के अनुसार उसको कहीं अधिक कर के स्वरूप में देना होगा बनिस्बत सेंट्रल इनकमटैक्स के। इसी सदन में एक स्थान पर माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की जो दर है वह कम है सेंट्रल इनकम टैक्स से। अगर वह इन आंकड़ों को चैलेंज करें तो सहर्ष सुनना चाहूंगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसी तरह का एक विधेयक मद्रास में भी लाया गया। मद्रास विधान सभा पहली मरतबा कृषि पर कर लगाने जा रही है। उन्होंने जो नक़ल की है वह ट्रावनकोर कोचीन की की है। श्रीमन्, ट्रावनकोर कोचीन में १४ आने फी एकड़ सर्किल रेट है जब कि मद्रास में सर्किल रेट उससे कहीं अधिक है। परन्तु उन्होंने जो हिसाब रखा है कर का वह इस प्रकार है—१,५०० पर कुछ नहीं, ३५ सौ पर नौ पाई, पांच हजार पर एक आना छः पाई, दूसरे पांच हजार पर दो आना छः पाई, और दूसरे पांच हजार पर तीन आना छः पाई, और जो आमदनी बच रही उस पर चार आना फी रुपया लेते हैं। श्रीमन्, मुझे इस विषय में यह कहना है कि आज इस प्रदेश में सर्किल रेट कहीं अधिक है। हम उसका जो लगान पहले देते थे वह अलग रहा। मालगुजारी और सेसेज देते हैं। इर्रीगेशन टैक्स लगान हुआ है उस एरिया में, तो वह भी देना होता है। इसके अलावा जो ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स लिया जा रहा है वह और भी दुष्कर है और अगर यह इसी दर से लगा रहा तो किसानों को इससे इतनी तकलीफ होगी कि उनकी कमर टूट जायगी। इस वाद-विवाद में थोड़ी सी गलती होती गई है। उस तरफ से बारम्बार यह कहा गया कि इक्विटी दो क्लासेज के दर्मियान में होती है। इक्विटी केवल क्लासेज तक ही सीमित है। श्रीमन्, यह भ्रम है। इक्विटी के मानी इससे कहीं अधिक होते हैं। वह हर व्यक्ति के लिये लागू है। अगर सरकार ने एक वर्ग पर भी सीमित रह कर अपनी किसी टैक्सेशन पालिसी को आधारित किया तो व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात होगा। मद्रास असेम्बली में और यहां भी सरकारी पक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया वह यही कि सिद्धांततः डबुल प्वाइंट टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। उस पर मैं इस समय नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना कहना आवश्यक है कि जो यह रफ्तार रखी जा रही है और माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी का संशोधन अगर स्वीकृत होता है तो उससे एक ही आशा है कि जो छोटे किसान हैं उनको कुछ थोड़ी सी बचत है लेकिन छोटे और बड़े किसान की यह वर्गीकरण की नीति किसी प्रकार से हमारे प्रदेश के लिये हितकर प्रतीत नहीं होती। इक्विटी व्यक्ति भी मांग सकता है, एक समुदाय भी मांग सकता है, एक मुल्क भी मांग सकता है और कई मुल्कों की गोष्ठी भी मांग सकती है। इक्विटी की परिभाषा जो है उसका क्लासेज से इंटरमिंगिल कर के उसके स्वच्छ व निर्मल करेक्टर को कलंकित न करना चाहिये जो मैं मुनासिब समझता हूं उसकी ओर श्रीमान का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना भी चाहता हूं और वह यह कि इक्विटी का संबंध क्लाजेज से ही नहीं है बल्कि व्यक्ति से भी है।

श्रीमन् मुझे दुख है कि जहां पर वाद विवाद का स्तर ऊंचा रखना चाहिये, जहां पर जो सम्बन्धित बातें हों उन्हीं को कहना शोभा देता है वहां एक माननीय मंत्री महोदय के लिये

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

यह कहना कि उन्होंने प्राइवेट इंटरप्राइज शब्द को इस्तेमाल किया था न कि स्टेट इंटरप्राइज शब्द को। इस पर उनको बड़ा भारी आपत्ति हो गई, यह कहां तक मुनासिब है? ६ करोड़ में कौन नहीं जानता कि यह स्टेट इंटरप्राइज नहीं है। मैं उनकी स्मरण शक्ति इतनी दुर्बल नहीं समझता कि वह इसके इनिशियेटिव को भी भूल गये। माननीय चतुर्वेदी स्वयं समझते होंगे कि स्टेट इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज में क्या अन्तर है। ६२ (ए) और ६२ (बी) के अधीन जो भी चाहो रक्खा जा सकता है, इस दफा के अधीन करिये या दूसरी दफा के अधीन करिये।

अब दूसरी बात जो उन्होंने बड़े जोरों के साथ कही वह यह कही कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो यही कहा गया कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल इन्कम टैक्स के बारे में यह कहा गया कि ३ हजार से एग्जेम्शन लिमिट ४,२०० की गई और माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा कि उसी आधार पर हमने भी इसको ४२०० कर दिया। हमने किसी के फायदे के लिये यह नहीं कहा जब कि इस तरह से यह कहा गया कि यहां तक प्रतिबन्ध है। और उन्होंने जो दलील दी वह यह कि किसी वर्ग विशेष के लिये यह किसी तरह से फायदा उठाने के लिये नहीं किया है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के आधार पर हमने यह किया है। मैं यह कहता हूं कि वह इस सिद्धांत को जब उनका पक्ष आता है तो क्यों भूल जाते हैं? क्या वह एक जगह नकल कर सकते हैं और दूसरी जगह नकल करने में उनको कोई प्रतिबन्ध है? जो सिद्धान्त माना जाय उसका पूर्णतया पालन किया जाय यही उचित बात है न कि जहां पर उनका लाभ हो वहां पर तो उसको उचित माना जाय और उसका पालन किया जाय और दूसरे स्थान पर उसको उचित न माना जाय और वहां पर उसका पालन न किया जाय। यह कदाचित उचित नहीं माना जा सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। इसमें चतुर्वेदी साहब ने कहा कि "खंड ८ के उप खंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम संख्या २ व ३ में "एक आना" तथा "दो आना" के स्थान पर क्रमशः "९ पाई" तथा "१८ पाई" कर दिया जाय। ९ पाई की जगह वह १८ पाई चाहते हैं। आज देश में पंचवर्षीय योजना हमारे पास है और हमको देश का उत्थान करना है। हम किसी से जबरदस्ती धन छीन कर नहीं ला सकते हैं और गवर्नमेंट बिना टैक्सेशन के चल नहीं सकती। गवर्नमेंट ने यह किया है कि जो ४,२०० के ऊपर आमदनी होगी उसमें टैक्स लगाया जायगा और उसके बाद जो उसकी आदनी होगी उसमें ५० फीसदी लिया जायगा इससे ज्यादा नहीं लिया जायगा। यह कह देना कि किसी को स्वराज्य का हिस्सा मिल गया और किसी को नहीं मिला उसको कहां तक जज किया जा सकता है। हमारी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही है। चाहे वह कोई कैपिटलिस्ट हो या दूसरे हों किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। आज मिल ओनर्स के ऊपर भी ९० फीसदी टैक्स लगा हुआ है और उनसे सरकार वसूल कर रही है। सरकार उनको छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। हम पूंजीपतियों से पैसा लेकर स्कीम चलायेंगे और जो भी पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा ले कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा जाता है कि दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत होते हैं "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" लेकिन खुद अवधेश प्रताप सिंह जी इस पर उलटा अमल कर रहे हैं। खुद अमल नहीं करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। किन्तु हम लोग इससे घबराते नहीं हैं। मैं इस मौजूदा अमेंडमेंट का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार ने कोई अनुचित नहीं किया है। दो साल सोच लेने के बाद इस संशोधन को वह यहां पर लायी है। यहां पर एक आनेमें और ९ पाई में कोई फर्क नहीं है और वह सब को मान्य हो सकता है और चतुर्वेदी जी को भी मान्य है।

दूसरी बात यह है कि आज कहा जाता है कि इससे ग़रीबों का नुक्सान हो जायगा और ३० एकड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका नुक्सान हो जायगा। मैं उनको विश्वास

दिलाता हूं कि मैं अभी गांव से लौट कर यहां आ रहा हूं। यहां पर अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम किसानों के लिए धन लुटा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उनसे एक तिनका भी मिलना दुश्वार है। आज जो लोगों की दशा है उसको देखते हुये सरकार ने यह ठीक किया है। मालगुजारी जोतने वाले से ली जाती है। यह कोई गलत बात नहीं है। आप लोग अंग्रेजों के जमाने में सीर को मुफ्त जोतते थे, लेकिन आज हमारी सरकार आप से रेंट वसूल कर रही है इसलिये लोगों में खलबलाहट है। ४२०० के बाद उसका ५० फीसदी उनसे लिया जायगा। मैं फिर अन्त में यह बात कहता हूं कि कोई गवर्नमेंट बिना टैक्सेशन के नहीं चल सकती है। हम कोई जबरदस्ती करके डाका नहीं डाल रहे हैं। कर के रूप में ही उचित कर उनसे वसूल किया जा रहा है। हमको वह जमाना याद है जब जानसन कलेक्टर ने लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल किया था। इसलिये आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह टैक्सेशन गलत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपकी इजाज़त से चतुर्वेदी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लें। इसी में हम लोगों का कल्याण है, तभी हमारी पंच वर्षीय योजना भी सफल हो सकती है, सड़कें और कुएं भी बन सकते हैं, जहां बाढ़ें वगैरह आ जाती हैं वहां पर भी पैसा खर्च किया जा सकता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मंत्री जी ने मेरी बहुत सी शंकाओं का जवाब दे दिया, किन्तु दो एक बातें फिर भी ऐसी रह गयीं जिनके बारे में मुझे संतोष नहीं हुआ। एक तो यह नहीं मालूम पड़ा कि इस टैक्स से कितनी आमदनी होने वाली है यानी ७ हजार कर-दाताओं पर कितना बोझा पड़ेगा। दूसरी बात जो कि मैंने मुख्य रूप से कही थी वह यह थी कि इसमें और इनकम टैक्स में डिसक्रिमिनेशन रक्खा गया है वह किस आधार पर और किस जस्टीफिकेशन से है, उसका भी कोई संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों के उदाहरण दिये थे, जो कि वास्तव में कोई मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन रुपया काफी कमा लेते हैं इन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादातर सोशलिस्ट लिटरेचर में अटैक भी है। वे लोग हैं—रेंट रिसीवर्स, इंटरेस्ट रिसीवर्स, डेविडेंड रिसीवर्स कमीशन एजेंट्स और स्पेक्युलेटर्स। इन लोगों की आमदनी को ठीक प्रकार से असेस नहीं किया जा सकता है। ऐग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रिलिस्ट के बारे में माननीय मंत्री ने यह कहा कि उसमें भेद है, ऐग्रीकल्चरिस्ट का कैपीटल भगवान का दिया हुआ होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी लोग है जिनको इस तरह की भगवान की दी हुई चीज मिलती है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज है उसमें सोने से लेकर कोयला तक सब भगवान का ही दिया हुआ मिलता है। फारेस्ट में भी सभी प्रकार की चीजें तैयार मिलती हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कम टैक्स पड़ता है। नमक तथा मछलियां आदि भी भगवान की दी हुई होती हैं। लेकिन न मालूम केवल किसान के ऊपर ही क्यों टेढ़ी दृष्टि है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कि यह बात माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं। उन्होंने अपने विषय का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। अगर समय होता तो मैं पहले ही उनसे कैलकुलेशन के लिये कहता क्योंकि जैसा मैंने बताया १० हजार की इन्कम पर पहुचते-पहुचते दूने का अन्तर पड़ जाता है। यह अन्तर बहुत ज्यादा है। मैंने जो फिगर्स दिये थे वे इस प्रकार से हैं :—

	इन्कम टैक्स	ऐग्रीकल्चरल टैक्स
	रु० अ०	रु० अ०
५ हजार तक	११७—१३	२१८—१२
१० हजार तक	४९२—३	८८३—१२

इस अन्तर का कारण यह है कि जहां इनकम टैक्स में आय के २० प्रतिशत पर छूट मिल जाती है वहां ऐग्रीकल्चरल टैक्स पूरा का पूरा देना होगा। गावों में इसका रूप देखना चाहें तो यह होगा कि जो लोग आज रुपये का लेन-देन कर रहे हैं, अब भी कानून के खिलाफ २४ से ४८ परसेंट तक इंटरेस्ट लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परछांई तक कहीं उनके पास तक नहीं जाती। अगर यह मान भी लिया जाय कि करदाताओं की सूची में उनका नाम आ भी

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जावे तो उनकी आमदनी का पता लगाना बहुत कठिन है। जो रुपये का लेन-देन करते हैं, जो मवेशियों का व्यापार करते हैं, जो थोड़ा बहुत गल्ले का व्यापार करते हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिनकी आमदनी ५ और १० हजार के बीच में आ जाय। कुछ परिवार तो ऐसे होंगे, जो मौज से अपनी आमदनी का उपभोग करते हैं और सरकार उनसे एक पैसा भी नहीं ले सकती है और न वे देने के लिये तैयार हैं। लेकिन जो मेहनत से और ईमानदारी से खेतों में अपना काम करते हैं उन पर निश्चित रूप से कर वसूल होगा और मेरा तो ऐसा ख्याल है कि मैक्जिमम रेट से वसूल होगा। उसका कारण यह है कि जब कोई बड़ी कैलेमिटी वगैरह आयेगी तब तो शायद आप कोई छूट भी उसमें दे देंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति के खेत में ही किसी वजह से पैदावार नहीं हुई तो उसके लिये कोई कहने वाला भी नहीं होगा और वह कानूनगो आदि की खुशामद करता फिरेगा। रही अपील की बात, तो जितनी उसको कर से बचत होगी उससे अधिक अपील में खर्च हो जायगा। इस प्रकार आप सीधे सादे और सरल किसान से टैक्स ले लेंगे और जो जबानी जमा खर्च कर के रुपया पैदा करते हैं उनको छोड़ देंगे। तो माननीय मंत्री जी इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करें।

अब जहां तक सामाजिक न्याय की बात रही वह तो जैसा कि मैंने कहा, सभी क्षेत्रों में होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप सामाजिक न्याय न करें यदि ऐग्रिकल्चरल क्षेत्र में, जमींदारी क्षेत्र में, काश्त के क्षेत्र में सामाजिक न्याय हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अरबन एरियाज की तरफ भी दृष्टि जानी चाहिये। मैंने तो खुद कहा कि जमींदारी एबालिशन आपने किया तो वह सिद्धांततः ठीक था। कोई भी व्यवस्था जिसमें शोषण होता हो उसको नष्ट करना ही चाहिये। अगर खेती के अतिरिक्त और क्षेत्रों में भी ऐसा हो जाय तो मुझे कोई शिकायत न रहे। ऊंची आमदनी वालों से कर लेना चाहिये यह भी ठीक है। लेकिन ५ हजार से १० हजार तक तो न्यायोचित इनकम है और इसको हमारे विरोधी दल के लोग भी मानते हैं। एक हजार रुपये की मासिक आमदनी यदि किसी अफसर की होती है तो वह उस पर इनकम टैक्स देता है, लेकिन जो तीन चार सौ रुपये उसकी टी० ए० की आमदनी होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, जो एलाउंसेज मिलते हैं उन पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन छोटे किसान जो हिसाब नहीं रखते और अगर रक्खें भी तो कोई उसको मानेगा नहीं। उनके एक एक पैसे पर टैक्स पड़ जायगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि कर की दर कुछ नीची भी हो तो भी कर का भार एग्रीकल्चरिस्ट पर और लोगों से कुछ ज्यादा ही पड़ेगा क्योंकि वहां इवेजन का कोई सवाल नहीं है। फिर दैवी आपत्तियों से उनकी कुछ न कुछ क्षति होती ही रहती है। अगर माननीय मंत्री जी ने आंकड़े इकट्ठे कर लिये हों तो वे अब भी मुझको समझा सकते हैं कि जो अमेंडमेंट है वह जायज है कि नहीं। फिर जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा मैं करूंगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त मैं यहां आया अभी माननीय अवधेश प्रताप सिंह यह कह रहे थे कि ३,००० के बजाय लिमिट जो ४,२०० पर एग्जेम्शन की गयी है वह इसलिये की गयी है क्योंकि सेंट्रल इनकम टैक्स की लिमिट ४,२०० पर थी और मैंने यह भी कहा था कि वह किसानों को राहत पहुंचाने के लिये नहीं की गयी है। मैंने यह कभी नहीं कहा। जब माननीय नेता विरोधी दल यह कह रहे थे कि ३,००० के बजाय ४,२०० क्यों रखी तो मैंने कहा था कि हम ४,२०० या २,४०० या कुछ भी रखें, लेकिन चूंकि ४,२०० की लिमिट सेंटर में रखी गयी थी तो उस से हमें एक लेविल मिल गया और एक क्लू के तौर पर हमने उसे ही मान लिया। बिहार में भी ३,५०० की लिमिट है। इसलिये उनका यह ख्याल गलत है। यह भी गलत है कि हम जो सब्सटेन्टिव किसान हैं और जो मेहनत करते हैं और जिनके पास अपनी खेती करने के लायक ही जमीन है उनको हम राहत पहुंचाना नहीं चाहते। ४,२०० की लिमिट इसीलिये रखी गयी है ताकि उससे नीचे के किसानों को

राहत मिले और जो बड़े-बड़े किसान हैं और बड़े फार्म होल्डर हैं उन्हीं से हम टैक्स मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर ४ दिन से अधिक बहस होते हुए हो गये हमारे यहां ८५ लाख किसानों के परिवार हैं। उसमें से मुश्किल से ७,००० आदमियों पर यह बोझ पड़ेगा यानी १,२०० परिवारों के बीच १ पर पड़ता है, तो अगर हम ७,००० से भी टैक्स न लें तो फिर किस से लें और कहां से फिर स्टेट के लिये रुपया लायें ?

दूसरी बात यह है कि माननीय शम्भूनाथ जी ने जो कुछ कहा उन का मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने भी वही दलीलें दोहराई, मैं उनका फिर क्या जवाब दूं कल ही कहा जा चुका है। लेकिन इतना मैं और कहना चाहता हूं कि यह टैक्स सेंट्रल इनकमटैक्स से कहीं भी ज्यादा नहीं पड़ता है। जैसे कि शुरु में ही ४,२०० से ५,००० तक १ आना है, इसमें भी वही है जो ४८–४९ से चला आया है और यहां भी १ आने के बजाय साढ़े ९ पाई है। बाकी ऊपर चलकर तो कम ही है ज्यादा नहीं। हायर इनकम्स पर सेंट्रल इनकम टैक्स ८४ प्रतिशत तक पड़ता है, जो साढ़े १३ आने करीब आता है लेकिन हमारे यहां कहीं भी दस आने से अधिक नहीं है। जहां हमारे यहां ४ आना है वहां साढ़े ४ आना है, २४ पाई की जगह २२ से ३८ पाई तक है। दूसरे एलाउन्सेज की बात कही गयी, लेकिन किसान को तो जो आमदनी होती है वह केवल मेहनत कर के ही होती है, उसे तो कोई दूसरी आमदनी होती नहीं। अन्त में मैं चतुर्वेदी जी से कहूंगा कि हमारे यहां असिल हालत तो यह है कि जमीन तो है कम और लोग हैं ज्यादा और चारों तरफ से मांग है कि हमें जमीन मिलनी चाहिये। अच्छी जमीन की हर तरफ मांग है चाहे कोई हो, गवर्नमेंट हो या कोई राजनैतिक पार्टी हो हमें उन लोगों को समझाना चाहिये और कहना चाहिये कि उनके हक से उनके पास जमीन ज्यादा है। इस सिलसिले में मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। जहां तक रिडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है उस को मैं अपने सूबे में गैरजरूरी समझता हूं, क्योंकि उससे हमारा कोई मसला हल नहीं होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करते हुये कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने फिर स्वयं रिडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र उठा दिया है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने विषय नहीं उठाया है वह तो संबंधित विषय ही पर आ रहे हैं।

श्री चरण सिंह—मुझे तो नेता जी के एतराज पर निहायत ताज्जुब हुआ। तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। अब मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता। लेकिन मैंने एक रिडिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो वह कहते हैं कि उनको मौका मिल गया इसके मुताल्लिक कहने का और वे न जाने क्या-क्या असंगत बातें कहा करते हैं। 'ए' से लेकर 'जेड' तक। खैर, रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात उठायी जाती है उस सिलसिले में इस गवर्नमेंट का यह निश्चित मत है और उसके सिलसिले में मैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके मत को प्रकाशित कर चुका हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं यह समझता हूं कि जिन भाइयों के पास बड़े-बड़े फार्म हैं उनका फर्ज है कि वह उन्हें एफीशियेंटली चलावें, मेहनत करें और पैदावार को बढ़ावें। पैदावार जितनी आज हमारे यहां होती है उससे तिगुनी चौगुनी तक हो सकती है और अगर वह यह करेंगे तो उन्हें टैक्स का बोझ महसूस नहीं होगा। अगर साधनों के होते हुए भी, और गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह के प्रोत्साहनों के होते हुए भी वह नहीं चलाते और टैक्स का बोझ महसूस होता है तो मुझे उसपर ज्यादा कुछ अफसोस नहीं होगा अगर वह छोटे-छोटे फार्मों में अपने को तकसीम कर लें और वह कुछ न सही तो इसलिये कि टैक्स का बोझ न महसूस हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चतुर्वेदी जी पर छोड़ता हूं कि वह इस संशोधन को रखें या वापस लें-लें वैसे तो मैंने उनसे कल ही कहा था कि मूव ही न करें लेकिन, वे माने नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं इसे वापस लेना चाहता हूं, और विशेषकर माननीय शिवनारायण जी के आग्रह पर।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन वापस लेने लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ ।)

पक्ष में....१२३

विपक्ष में....३ ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम संख्या ५ के शब्द "उपर्युक्त" के पश्चात् शब्द "बाद के" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है । इसको रखने के बाद यदि हम धारा को पढ़ें..... ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये । यह शाब्दिक संशोधन है तो अब इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है ।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---हां, स्वीकार है । यह शाब्दिक है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के अन्तर्गत भाग १ की क्रम संख्या ५ के शब्द "उपर्युक्त" के पश्चात् शब्द "बाद के" बढ़ा दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ द्वारा परिवर्तित किये जाने वाले अनुसूची के भाग १ में प्रतिबन्ध (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :---

(ख) ५,००० रुपए तक की आय वाले कर दाताओं की दशा मे देय कृषि-आय-कर पूर्ण कृषि आय की उस धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगा जो ४,२०० से अधिक हो ।

इस संशोधन का आशय माननीय अध्यक्ष महोदय केवल यही है कि जो ४,२०० से ऊपर वाले मारजिनल केसेज हों उनको प्रोटेक्शन दिया जाय । जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण सिंह जी ने उस रोज यह संदेह प्रकट किया कि ४,२०० के ऊपर अगर १ रुपया होगा तो कितना लग जायगा । उनको शायद यह संदेह हो कि ४,२०१ पर कहीं ३,५०१ की तरह से एक आना जोड़कर लग जाय । तो वह बात इससे साफ हो जाती है जो मारजिनल केसेज हों उनपर जो वह हार्डशिप हो जाती अब वह न होगी और कोई ऐसी ऐनामली भी न रह जायगी । तो यह संशोधन ५ हजार तक वाले में इसलिये रखा गया है कि ५ हजार तक ही मारजिनल केसेज हो सकते हैं इसलिये इस संशोधन के जरिये से इसका सुधार कर दिया गया है और जो पहले बात रह गयी थी उसके जरिये से पूरा कर दिया गया है । मुझे आशा है कि भवन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के द्वारा परिवर्तित किये जाने वाले अनुसूची के भाग १ में प्रतिबन्ध (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :---

"(ख) ५,००० रुपए तक की आय वाले कर दाताओं की दशा में देय कृषि आय-कर पूर्ण कृषि आय की उस धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगा जो ४,२०० रु० से अधिक हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि आयकर ऐक्ट में संशोधन करने के लिये

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९।

विधेयक

यह आवश्यक है कि १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषिआय-कर ऐक्ट में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन किये जायं ।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९।

इसलिये अपने गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा ।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित हो जायगी और शेष धारायें १ जुलाई, १९५४ से प्रचलित होंगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० जून, १९५४ को या इससे पूर्व समाप्त होने वाले कृषि वर्षों के लिये कृषिआय-कर के निर्धारण चाहे, ऐसे कर-निर्धारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किये जा चुके हों या न किये गये हों, बराबर किये जाते रहेंगे, मानो १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषिआय-कर ऐक्ट की धारा ४,६,१५,१६, और २५ तथा उसके परिशिष्ट का इस अधिनियम द्वारा संशोधन नहीं किया गया हो ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषिआय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू०पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय ।

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री बनारसी दास]

श्रीमन्, मौजूदा अधिनियम इस समय हमारे प्रदेश की ४२१ म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में लागू है। इसका सम्बन्ध लगभग इस प्रदेश की ९० लाख जनता से है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे प्रदेशों में मकानों की कमी है। गत सेंसस के अनुसार यह अंदाजा लगाया गया कि कुल हैड क्वार्टर्स के कस्बों की आबादी ५० लाख है, उसके लिये यदि यह मान लिया जाय कि एक परिवार में ५ आदमी होते हैं तो इस प्रकार से दस लाख मकानों की आवश्यकता है, लेकिन १९५१ की जनगणना के अनुसार मकानों की संख्या ७ लाख से ऊपर थी। इसीलिये अनुमान लगाया जाता है कि कुल केन्द्र के कस्बों के अन्दर मकानों की कमी दो लाख से ऊपर है। यदि इसमें प्रदेश की टाउन एरिया की आबादी को भी शामिल कर लें तो लगभग मकानों की कमी दुगनी हो जाती है। इसलिये आवश्यकता पड़ी कि यह अधिनियम जो ३० सितम्बर को समाप्त होने जा रहा है उसकी अवधि इस विधेयक के द्वारा बढ़ाई जाय और जो लोग मौजूदा अधिनियम के अनुसार मकानों के अन्दर सुरक्षित रहते हैं, जिनको निकाला नहीं जा सकता है या किराया बढ़ाया नहीं जा सकता है उनको सुरक्षित रहने दिया जाय। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और शहरों में काफी तादाद में मध्यम वर्ग और नीचे की श्रेणी के लोग रहते हैं उनकी रक्षा के लिये इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

इस मौजूदा विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन किये गये हैं जिनके द्वारा इस मौजूदा कानून को जो इस प्रदेश में ६ साल से चल रहा है उसको और उपयोगी बनाया गया है। इसमें अब तक एक तो सब से बड़ी शिकायत मकान मालिकों की थी कि जब उनके मकानों पर नियंत्रण है तो उनको वक्त पर किराया तो मिलना चाहिये, जो उनको नहीं मिलता है और जब पारसाल इस विधेयक को इस सदन के सामने और विधान परिषद् के सामने लाया गया तो उस समय यही प्रश्न उठाया गया था। उस समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि हम चाहते हैं कि किराये की वसूलयाबी आसानी से हो। इसलिये जो कमेटी इन बातों को देखने के लिये नियुक्त की गयी थी, उसके टर्म्स आफ रिफ्रेंस में यह भी था कि इस तरह से किराये की वसूली आसानी के साथ हो। इस मौजूदा विधेयक में इस बात को कोशिश की गयी है कि किराये की वसूलयाबी आसानी के साथ हो। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम का जो तजुर्बा हमें हुआ इसकी रोशनी में हमने देखा कि मौजूदा अधिनियम हेड क्वार्टर्स के कस्बों पर ही है और हमारे तहसील या टाउन एरिया में हमारी मशीनरी नहीं है, इसलिये इस नियम को एन्फोर्स करने में कठिनाई होती है। इस विधेयक में यह संशोधन किया है कि यदि यह विधेयक तमाम प्रदेश में लागू हो सकता है, लेकिन प्रदेशीय सरकार विशेष आज्ञा के द्वारा टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी इसको लागू कर सकेगी तो मौजूदा कानून जिस रूप में पेश किया गया है, ३० सितम्बर, के बाद प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी और नोटीफाइड एरिया में लागू होगा और यदि सरकार आवश्यकता समझे तो अन्य स्थानों में भी लागू किया जा सकता है। सरकार को यह भी अधिकार होगा कि यदि वह आवश्यकता महसूस करती है कि किसी स्थान पर इसको हटा लिया जाय जहां इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तो उसको हटा लिया जायगा।

मौजूदा रेंट कंट्रोल ऐक्ट के सिलसिले में यह तजुर्बा हुआ कि प्रदेश में काफी मुकद्दमेबाजी इसके सम्बन्ध में होती है। आजकल सिविल कोर्ट्स में जितना लिटिगेशन होता है वह १/३ इस ऐक्ट के मातहत होता है। इसलिये पिछले वर्ष के आधार पर इसकी परिभाषा और धाराओं को सादा बनाने की कोशिश की गयी है। इस विधेयक में जो औद्योगिक मकान या फैक्टरीज हैं या वहां रहने के स्थान जिनका सम्बन्ध औद्योगिक बातों से है, जब तक वह इस अधिनियम की परिधि के अन्दर थे इससे विशेष कठिनाई होती थी यदि कोई कर्मचारी अलग हो जाता था, या कोई भवन उद्योग का एक हिस्सा हो जाता था, तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता था, तो इसलिये एकमोडेशन की परिभाषा से इसको निकाल दिया गया है कि अगर कोई औद्योगिक जगह है, वहां पर कोई उद्योग चलता है और उद्योग के सम्बन्ध में कोई

मकान दिया गया है, तो वह इस ऐक्ट की परिधि से बाहर होगा। इसी प्रकार से जो केन्द्रीय और राज्य सरकार के मकान है, वह भी इस विधेयक की परिधि से बाहर होंगे।

इसके साथ ही साथ इस कानून के सम्बन्ध में रिवीजन का कमिश्नर को अधिकार था, लेकिन उनका अधिकार सीमित था, लेकिन उसमें वृद्धि की गयी है, कि न केवल वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश को कनफर्म या कैंसिल कर सकें, बल्कि यह भी अधिकार दिया गया है कि वह चाहे कनफर्म करें या कैंसिल कर दें, या इसके अतिरिक्त जो आवश्यक और उचित समझें वह आदेश दे दें। जब मकान खाली हो जाते थे, तभी एलाटमेंट हो सकता था यह कठिनाई पड़ती थी, अब जो मकान खाली होने वाला है, उसके लिये भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह वेकेंट समझ कर अलाट करा सकें। तो यद्यपि जो मूल अधिनियम अभी लागू है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है, इसकी अवधि ३० सितम्बर, १९५८ तक रखी जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि ४ वर्ष तक भी मकानों की कमी को दूर नहीं किया जा सकेगा।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य यह प्रश्न कर सकते हैं कि इस विधेयक का सम्बन्ध तो केवल जो मौजूदा मकान हैं उनको किराये पर उठाने या उनको खाली कराने से है, तो उन मकानों की कमी के सम्बन्ध में जो विवाद कभी-कभी होते हैं, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है? यद्यपि इसका कोई सीधा सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं है, यह तो एक अलग प्रश्न है और यह तो मानी हुयी बात है कि मकानों की कमी है। तो इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि चूंकि मकानों की कमी है, कहीं ऐसा न हो कि मकान मालिक मकानों की कमी समझ कर टेनेंट्स की असुविधा से नाजायज फायदा उठा कर ज्यादा किराया वसूल करें, मनमाने ढंग से उठाना चाहें। इस चीज की बहुत सम्भावना है। सरकार इसलिये एक प्रतिबन्ध चाहती है कि सदन इससे इत्तफाक करे कि अभी तक इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता है। एक बड़ा आवश्यक सामाजिक अधिनियम है और इसलिये यह विधेयक ४ साल के लिये इसकी अवधि बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट के द्वारा हमारे प्रदेश की ९० लाख जनता जिससे संबंधित रही है, उसकी बड़ी सेवा हुयी है, इसलिये इस विधेयक को ४ साल के लिये सदन स्वीकार करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ को प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा जाय।

मैं प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करूंगा। श्रीमन्, आज माननीय बनारसीदास जी ने उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ को दुबारा ५ साल के लिये.....

श्री बनारसी दास---४ साल।

श्री नारायणदत्त तिवारी---४ साल के लिये बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है उसमें अगर हम उनके प्रस्ताव को वैसे ही स्वीकार कर लें और विधेयक के सिद्धांतों पर और विधेयक के सारे ढांचे पर पुनर्विचार न कर लें तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की जनता और खासतौर से शहरों में रहने वाली जनता के लिये बड़ा ही अहितकर होगा। श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि माननीय बनारसी दास जी ने, जो कि स्वयं उस रेन्ट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे जिसकी रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हुयी है, उन्होंने आज बिना इस विधेयक के ढांचे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को बदले इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, इस ऐक्ट की आलोचना की गयी है, बनारसीदास जी चेयरमैन, मैं समझता हूं उस रिपोर्ट के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, तो उन्होंने स्वयं पहले ही पेज पर लिखा है--"The Act in the existing form has become a very intricate affair." मैं माफ किया जाऊं श्रीमन्, रिपोर्ट अंग्रेजी में छपी है, इसलिये मैं अंग्रेजी में ही पढ़ने को मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या हिन्दी में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--केवल अंग्रेजी में है श्रीमन्, इसलिये मैं माननीय सदन से भी माफी चाहूंगा इसे अंग्रेजी में पढ़ने के लिये।

श्री अध्यक्ष--लेकिन अनुवाद कर दीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--"The Act in the existing form has become a very intricate affair." विधेयक अपने वर्तमान रूप में बहुत ही क्लिष्ट है। "Successive amendments incorporated in it have made it all the more cumbersome." जितने भी संशोधन उसमें अब तक हुए हैं उन्होंने उसको और भी भद्दा या भारी भरकम बना दिया है "Its important provisions about fixation and realization of rent, allotment, eviction and repairs, etc., are so much scattered and inter-mixed that it is not only difficult for laymen but even to the legal brains to understand and interprete them clearly and precisely." उसकी जो मुख्य धारायें हैं जो कि किराये की वसूली या नियत करने के बारे में, एलाटमेंट करने के नियम के बारे में या निकाले जाने के या मरम्मत किये जाने के बारे में हैं वह इतने बिखरे हुए और इतने परस्पर मिले हुए हैं कि साधारण जनता के लिये तो क्या बड़े-बड़े कानूनी जानकारों के लिये भी उनको समझना और उनके अर्थ को निकाल सकना, पर्याय को समझ सकना ठीक प्रकार से, बहुत ही मुश्किल है।

"Several members of bar appearing before us to tender their evidence, pointed out that at present at least one third of litigation in the Civil Courts was about this piece of legislation and a sizeable portion of it was due to its intricacy."

बार के तमाम जो वकील लोग हैं उन्होंने गवाही के समय हमसे कहा कि एक तिहाई जो मुकदमे इस प्रान्त में चल रहे हैं वह इसी ऐक्ट की वजह से हैं और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी पेचीदगी की वजह से है।

"We are, therefore, of the opinion that the entire Act should be redrafted and its important provisions be consolidated under different main heads."

इसलिये हमारी राय यह है कि सारा विधेयक दुबारा ड्राफ्ट होना चाहिये, दुबारा लिखा जाना चाहिये और उसकी खास-खास धाराओं को अलग-अलग हेड्स, अलग-अलग मदों में अलग-अलग धाराओं के रूप में कंसालिडेटेड यानी सुसंगठित रूप से रखा जाना चाहिये।

तो माननीय बनारसी दास जी मैं समझता हूं सदन से आशा करते हैं कि वह कम से कम उनकी रिपोर्ट को ही मानते हुये, उसके पहले ही पृष्ठ के अनुसार.....

श्री अध्यक्ष--यह कब की रिपोर्ट है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह २३ अगस्त को पेश की गयी है। २३ अगस्त, १९५४ को इस सदन में पेश की गयी। श्रीमन्, इसके अलावा इस विधेयक को जब किरायेदारों

और मकान मालिकों के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो माननीय मंत्री जी चाहे कितना ही दावा करते हों कि उन्होंने चार-पांच धाराओं को घटा-बढ़ा कर इस विधेयक को बड़ा सुन्दर बना दिया है, अगर उनका ऐसा विश्वास है तो वह बहुत ग़लतफहमी में हैं। पिछले चार सालों में दो बार कंट्रोल के सम्बन्ध में, मकान के किराये के संबंध में, किरायेदारों और मकान मालिकों की मांग के ऊपर दो इन्क्वायरी कमेटियाँ बन चुकी हैं, पहली आचार्य युगुल किशोर कमेटी और दूसरी कमेटी माननीय बनारसी दास के सभापतित्व में बनी थी। इन दोनों कमेटियों ने एक मत से इस बात का सुझाव दिया कि वर्तमान विधेयक जिस रूप में है उसमें केवल किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच संघर्ष की भावना ही नहीं बढ़ती बल्कि सारे प्रदेश की हाउसिंग स्कीम में भी रुकावट पड़ती है। माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार ने १९५१ में एक संशोधन किया। उन्होंने इस बात की कोशिश की यह कह कर कि १९५१ के बाद जितने मकान बनेंगे उन पर यह ऐक्ट नहीं लगेगा और इससे इस सरकार ने यह आशा की थी कि नये मकान भविष्य में ज्यादा बनेंगे। श्रीमन्, मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनसे मैं साबित कर सकता हूं कि सरकार की जो मृगतृष्णा थी वह मिथ्या साबित हुई। इस संशोधन के बाद जितने मकान बने और इससे पहले १९५१ में जितने मकान बने अगर दोनों का मुकाबला किया जाय तो इधर जो मकान बने हैं उनकी संख्या कम हो गयी है। श्रीमन्, मेरे पास प्रदेश के १२ मुख्य नगरों के आंकड़े मौजूद हैं उनको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। पूरे प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। आगरा में १९५१ में ३४६; १९५२ में ३०४ और १९५३ में ११८ मकान बने।

श्री बनारसी दास—१९५० के भी आंकड़े पढ़ दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पूरा कर लेने दीजिये उसके बाद कहिये। केवल इलाहाबाद में प्रदेश भर में १९५० के बाद मकानों में वृद्धि हुई है। १९५० में २४२, १९५१ में ३१७, १९५२ में ४३९ और १९५३ में ४४६ मकान बने। अलीगढ़ में १९५० में ४२९, १९५१ में ३३३, १९५२ में ४१३ और १९५३ में ५५१ मकान बने। बनारस में १९५० में ८०४, १९५१ में १२२३, १९५२ में ५३९, और १९५३ में ४८६ मकान बने। बरेली में १९५० में ६४०, १९५१ में १०६८, १९५२ में २१०, और १९५३ में २१०। देहरादून में, १९५० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, १९५१ में ७५, १९५२ में ५७, १९५३ में ५७ मकान बने। कानपुर में १९५० में ८८६, १९५१ में १३१८, १९५२ में १००७, १९५३ में ८५० मकान बने। लखनऊ में १९५० में ७३४, १९५१ में ८८२, १९५२ में ४३७ और १९५३ में ३९० मकान बने। मेरठ में १९५० में २५५, १९५१ में ३१३, १९५२ में ४२१ और १९५३ में ७८२ मकान बने। मुरादाबाद में १९५० में १०, १९५१ में ५, १९५२ में १२३ और १९५३ में ८०। मुज़फ्फ़रनगर में १९५० में ११९, १९५१ में १८१, १९५२ में १०१ और १९५३ में १०१। सहारनपुर में १९५० में ३५, १९५१ में २१७, १९५२ में १३१ और १९५३ में १३१। कुल टोटल १९५० में ४,२४६, १९५१ में ६,२७८, १९५२ में ४,१८२ और १९५३ में ४,२०२ मकान इन शहरों के बड़े-बड़े नगरों में बने। इससे साबित होता है कि १९५० के मुकाबले में १९५२ और १९५३ में मकान कम बने। चाहे उसमें हाउसिंग कमेटी या सरकार का दोष हो, सीमेंट वगैरह न देने के कारण, चाहे किसी का दोष हो बहरहाल ऐक्ट का संशोधन करके और किरायेदारों को इस ऐक्ट की धाराओं से वंचित कर देने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो श्रीमन्, जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सन् ५२, सन् ५१ और सन् ४८ से पहले बने मकान तीन क्लासेस के इस ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं लेकिन इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि कुछ न हो सका। तो कम से कम पंच वर्षीय योजना के अनुसार माननीय मंत्री जी देखेंगे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नये मकानों पर अगर रेंट कंट्रोल ऐक्ट की धारायें लागू नहीं की जातीं तो इसकी अवधि अधिक से अधिक चार साल तक रखना चाहिये और ४ साल से ज्यादा वे धारायें नये मकान पर अवश्य लागू होने चाहिये। अगर सरकार इस डिस्क्रिमनेशन को खत्म नहीं करती तो पंचवर्षीय योजना को कम से कम लागू करना चाहिये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात जो विधेयक में एतराज की है जिसका मैं सिद्धान्ततः विरोधी हूं कि सन् ४६ के बाद जितने मकान बने हुये हैं उनके किराये में म्युनिसिपल टैक्स का १/३ हिस्सा किराये में जोड़ा जा रहा है। श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से आपका ध्यान खंड ८ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें एक नई उपधारा ५ (ए) जोड़ी जा रही है । यह अंग्रेजी में इस प्रकार है :—

"Where the tax referred to in clause (i) of sub-section of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916, has been increased after July 1, 1946, in the case of any accommodation constructed before the said date, the landlord may on and from the commencement of the U. P. Control of Rent and Eviction (Amendment) Act, 1954, and, notwithstanding anything in this Act or any Order made thereunder, to the reasonable annual rent payable for the accommodation by the tenant an amount equal to one-third of the difference between the amount of the tax assessed before July, 1946, and the amount assessed after this date. The amount so added to the rent shall be payable by the tenant to the landlord along with the rent.

"(2) Where the question arises whether the tax referred to in sub-section (1) has increased in respect of any accommodation it shall be referred to the District Magistrate who shall determine the same."

इसका अर्थ यह है कि यू० पी० म्युनिसिपल ऐक्ट, १९१६ के मातहत सन् १९४६ के बाद बने मकानों का किराया जो बढ़ाया गया है कि १/३ किराया दिये जाने वाले किराये को बढ़ा दिया जायगा और जिस प्रकार से और किराया है उसी प्रकार से यह भी वसूल किया जायगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा, यह टैक्स जितना बढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई एतराज हो, तो वह उसे निश्चय करे। तो श्रीमन्, मेरा विरोध सिद्धांत के आधार पर यह है कि युगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी और माननीय बनारसी दास कमेटी दोनों ने इस बात का विरोध किया कि सन् ४६ के बाद किसी भी प्रकार से किरायेदार के हित में किसी भी प्रकार का एनहेंसमेंट किराये में किया जाय। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान पेज ९१ जुगल किशोर एंक्वायरी कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है—"Under the Act 'reasonable rent' has been taken to be the municipal assessment of 1942 *plus* 25 per cent, thereon. The additional 25 per cent. represents the higher cost of maintenance, repairs, etc."

इसमें विधेयक के अनुसार जो रीजनेबिल रेंट माना गया है सन् ४२ के म्युनिसिपल असेसमेंट का २५ प्रतिशत की वृद्धि उसमें मानी गई है रख रखाव के खर्चे और मरम्मत के खर्चे को जोड़ कर। "It has often been argued that this additional 25 per cent. does not fully compensate the landlord for the additional amount which he has to spend on repairs, taxes, etc. But the standard of maintenance generally adopted by the landlords in the case of rented accommodation is low and we consider the increase of 25 per cent. over the 1942 rentals allowed at present, to be adequate."

यह भी कहा गया है कि २५ परसेंट की जो यह वृद्धि है यह मकान मालिक जो मरम्मत या टैक्स में ज्यादा खर्च करता है वह उसकी पूर्ति नहीं करता।

लेकिन मकान मालिकों के लिये किराये के मकान के सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट किया गया है वह बहुत कम है, वह ज्यादा उचित नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुये हम यह समझते हैं कि सन् १९४२ ई० की दर के हिसाब से जो किराया रखा गया है उसमें २५ फीसदी

की वृद्धि की गयी है वह सही है। यह जुगुलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में है। लेकिन माननीय बनारसी दास जी ने अपनी रिपोर्ट में मकान मालिकों के लिये कुछ ज्यादा रहम किया है और किरायेदारों से ज्यादा नाराज हो गये हैं। जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी किरायेदारों के हक़ में थी लेकिन बनारसी दास जी की रिपोर्ट किरायेदारों की तरफ से कुछ हट गयी है। रिपोर्ट के विस्तार में मैं बाद में जाऊंगा लेकिन केवल मिसाल के लिये कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९४६ ई० के बाद किराये के सम्बन्ध में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इनका किराया बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री बनारसीदास जी ने मकानों की कमेटी की रिपोर्ट के पेज ९ में कहा है कि:

"Now we take up the case of buildings constructed after June 30, 1946, As already pointed out at present their 'reasonable rent' is determined on the basis of cost of construction and of maintenance and repairs of the accommodation, its situation and any other matter, which in the opinon of the District Magistrate, is material"

अब उन मकानों के मामले को लेते हैं जिनके लिये यह संशोधन किया गया है आगे चल कर माननीय बनारसी दास जी कहते हैं कि :

"Now arises the question whether to allow any premium, of their assessments in fixing 'the reasonable rent' or not. It is fairly known that the assessments of the houses built after 1946 are quite high and fully take into account the changed conditions. Position since then has also not materially altered."

जो मकान सन् १९४६ ई० के बाद बने हैं और उन पर जो असेसमेंट किया गया है वह काफी उचित है। उसके बाद जो समय बदला है उसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद कोई परिस्थिति में विशेषरूप से परिवर्तन नहीं हुआ है। दरअसल लड़ाई के बाद के बने मकानों पर किराया ज्यादा है। इसलिये उन मकानों के ऊपर एक्स्ट्रा एलाउन्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये हमारी राय यह है कि ऐसे मकान जो ३० जून, सन् ४६ ई० के बाद बनाये गये हैं उनका किराया उनके म्युनिसिपैलिटी के एसेसमेंट के बराबर होना चाहिये। इसके पहले का जो पैराग्राफ है उसमें यह साफ कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने सन् १९४६ ई० के बाद के बने मकानों में टैक्स की वृद्धि की सिफारिश की है लेकिन सन् ४६ के बाद जितनी टैक्स में वृद्धि हुयी है उनकी सिफारिश नहीं की है। तो मैं श्रीमन्, चाहता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी के सामने यह मामला जायगा तो सेलेक्ट कमेटी सारी किराये की दरों पर विचार करेगी। आज जिस प्रकार से एक तरफ किरायेदार को दिक्कत हो रही है कि कहीं तो मकान मालिक मरम्मत के लिये पैसा नहीं देता है और अगर किरायेदार मरम्मत कराता है तो वह खुद अपने पास से मरम्मत करवा कर दावा करे और फिर उसका लम्बा-चौड़ा लिटीगेशन चले। तब कोर्ट उसके बाद साल भर में मकान की मरम्मत की रक़म दिलावे। तो आज जो विधेयक के अन्दर नियम हैं उनसे किसी प्रकार से भी मकानों की हालत नहीं सुधरती है। मालिक मकान भी जिद में आ जाते हैं और किरायेदार भी जिद में आ जाते हैं। ऐसी मिसाल है कि ५ रुपये के किराये के मकान है जिसके ऊपर ५०० रुपये मरम्मत का दावा हुआ। ५ रुपये का मकान, उस पर ५०० रुपया जा कर हो गया। तो यह ज्वलन्त समस्या मकानों के संबंध में है जिससे आज किरायेदार बहुत परेशान हैं कि वह कहां पर जायं। अगर गौतम जी से परामर्श लें और आज प्रान्त में जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी गलियों में मकानों की क्या हालत है उसकी जांच के लिये अगर कमेटी बिठाई जाय तब मालूम हो सकता है कि हालत क्या है। यदि बम्बई के ऐक्ट को और आसाम के ऐक्ट को देखा जाय तो उन्होंने अपने यहां क्या सुधार किया है इसका ज्ञान हो सकता है और कितना सुन्दर ऐक्ट उन्होंने अपने यहां कर लिया है लेकिन हमारे इस विधेयक में वैसी व्यवस्था नहीं है। मिसाल के लिये एक जगह माननीय मंत्री जी ने यह भी सुझाव दिया था कि अगर मकानों की मरम्मत ठीक प्रकार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं की जाती तो किराया घट सकता है। अबेटमेंट के बारे में उन्होंने सिफारिश की थी। अगर मकानों के मालिक मकानों को ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं तो किराया कम हो जायगा। बहुत सी सिफारिशें इस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी हैं जिनको विधेयक में रखने की आवश्यकता थी लेकिन इसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इसके ऊपर सेलेक्ट कमेटी विचार कर सके। श्रीमान् जी, खंड १० (३) की उपधारा (६) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाले जा रहे हैं। इन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों के द्वारा किरायेदारों को दो सहूलियतें दी गयी थीं। वह सहूलियतें यह थीं कि अगर कोई किरायेदार कोर्ट में मामला पेश होने पर या डिग्री होने पर भी मुक़दमें की क़ीमत एरियर्स आफ रेंट आदि कोर्ट में अगर जमा कर देता था या डी० एस० ओ० के यहां जमा कर देता था तो उसको मकान से निकाला नहीं जाता था। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी को किरायेदारों पर न जाने क्या गुस्सा आया कि उन्होंने इस ७ – बी के द्वारा इन दोनों प्रावीजन्स को निकाल दिया। यू० पी० की नकल कर के दूसरे सूबों ने अपने कानूनों में संशोधन किया था। आपने यह संशोधन सन् ५२ में किया था और आज उसको आप वापिस ले रहे हैं जब कि इस में कोई तुक नहीं है। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कोर्ट में सूट फाइल होने के बाद अगर कोई किराया जमा कर देता है तो उसमें क्या हर्ज है और इस प्रकार की सहूलियत वे क्यों छीनना चाहते हैं? और माननीय मंत्री जी ने यह क्यों उचित समझा कि सारे प्रान्त के किरायेदारों को इस सहूलियत से वंचित कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि वह कौन सा सिद्धांत है। मेरे पास ऐसे आंकड़े मौजूद हैं कि सारे प्रान्त में कितने मुकदमें चले और कितनों में प्रासीक्यूशन हुआ। उसके हिसाब से भी किरायेदारों को यह अधिकार वापिस लेना शोभा नहीं देता। धारा ७ बी (१) के अनुसार और धारा (४) के अनुसार सन् ५१ में ३७५ प्रासीक्यूशन्स हुए और २२१ में कनविक्शन हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि १५० मामले ऐसे हुये जिनमें समझौता हो गया या किरायेदारों ने अपना किराया जमा कर दिया और काबिज रहे। जब कि साल भर में १९८३७ एलाटमेंट्स हुए, इनमें से केवल ३७५ प्रासीक्यूशन्स हुए और केवल १५० मामलों में सहूलियत मिली और लैंडलार्ड्स को तकलीफ हुई। फिर इसके द्वारा आप कितने मकान मालिकों को रियायत दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसी प्रकार सन् ५२ में देखिये २३,९३२ एलाटमेंट्स हुए, ३५३ प्रासीक्यूशन हुए और केवल १४४ में कनेविक्शन हुआ। सन् ५३ में २०,७५० एलाटमेंट्स हुए, ५१४ प्रासीक्यूशन्स हुए, १३० कनविक्शन हुए। अतः इस धारा से थोड़ी बहुत रिलीफ सन् ५३ में मिली और सन् ५३ में जो रिलीफ मिल रही थी उसको आज आप वापिस ले रहे हैं। यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सब लैटिंग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक के खंड ३ के अनुसार सब टेनेन्ट्स को टेनेंट मानने से इनकार कर दिया है। इस विषय में मूल धारा में यह लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लैंड लार्ड की आज्ञा से टेनेंट सबलेंटिंग कर सकता है। इसके मानी यह हैं कि आपने सबलैटिंग के अधिकार को नहीं छीना है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लैन्डलार्ड दोनों मिल कर उसको सब-लैटिंग की इजाजत दे देते हैं तो वह सब-लैटिंग कर सकता है। लेकिन आज प्रदेश में ऐसे हजारों सब टेनेंट्स हैं। मैंने इस संख्या को जानना चाहा लेकिन मुझे सब-टेनेंट्स की संख्या नहीं मिल पायी। परन्तु जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी और माननीय बनारसी दास इन्क्वायरी कमेटी, दोनों ने एक मत से यह सिफारिश की है, मैं पेज भी बतला दूं क्योंकि मैं बेकार समय नष्ट नहीं करना चाहता। पेज २१ पर बनारसी दास कमेटी ने सिफारिश की है कि जो आज सब-टेनेंट्स हैं उनको टेनेंट्स माना जाना चाहिये। उनको वे ही अधिकार दिये जाने चाहिये, जो इस विधेयक के अनुसार सभी किरायेदारों के हैं। पेज ९२ पर जुगुल किशोर इन्क्वायरी कमेटी ने यही बात कही है। तो जो वर्तमान सब-टेनेंट्स हैं बिना उनके लिये कोई

उपयुक्त व्यवस्था किये माननीय मंत्री जी अपने इस विधेयक के द्वारा सब-टेंनेंट की परिभाषा को भी निकाल दिया है कि वे टेनेंट नहीं हो सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है। तो आखिर फिर उनका क्या होगा, उनके बारे में आपकी क्या योजना है उसको भी आपने नहीं बताया है।

जहां तक सब-टेनेंट्स की समस्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। उनके संबंध में कई बार यह प्रश्न उठा कि आया सब-टेनेंट का सीधा सम्बन्ध मकान मालिक से रहे या टेनेंट्स से रहे। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुये सब-टेनेन्ट्स के क्या अधिकार होने चाहिये और किस प्रकार से किसको उसे किराया देना चाहिये, इस विधेयक द्वारा उसे अधिकार मिलने चाहिये कि नहीं .....

श्री अध्यक्ष—आप समय कुछ ज्यादा लेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप कल जारी रखियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद होगा।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं इस विवाद संबंधी भाषणों के लिये समय निर्धारित करूंगा, क्योंकि इस विषय पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी के लिये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आधे दिन का समय है, इसी के अनुसार वह अपने भाषण का समय निर्धारित कर लें, शायद मुख्य मंत्री जी भी इस पर बोलना चाहें इसका ख्याल करते हुये आप भाषण दें। विरोधी दल के नेता जी को मैं कहूंगा कि वह स्वयं ही निर्धारित कर लें कि पहले इधर से कौन बोलेगा, चाहे वह खुद बोलें या किसी और को मौक़ा दें, वह सब अपनी ओर के वक्ताओं के समय निश्चित कर के मुझे सूचना दें कि कितना समय वे लेंगे जैसे पहले उन्होंने एक बार नाम दिये थे। आज उस दिन से आधे समय के लिये वक्ताओं के नाम मुझे बता दें। बाकी सदस्यों के लिये एक सा समय मैं बाद में निर्धारित करूंगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, आज हमको, अपने सूबे में जो बाढ़ आई है उसकी स्थिति पर और उस सिलसिले में सरकार की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही हुई है इस पर विचार करना है। बाढ़ अभी हाल के जमाने में सन् ४८ में सब से पहले हमारे सूबे में आई थी। उसके बाद एक आध साल को छोड़ कर वह प्रायः हर साल आती रही। इस वर्ष भी आई और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वह कुछ इलाकों में काफी शिद्दत के साथ आई। बाढ़ जब सन् ४८ में आई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्लड कमेटी मुक़र्रर की गयी थी और उसमें हमारे विधान मण्डल के भी कुछ सदस्य थे और अधिकतर इस मसले के जो विशेषज्ञ हैं, इन्जीनियर आदि वह लोग थे। बाढ़ कमेटी ने अपनी दो तीन सब-कमेटियां मुक़र्रर की थीं। एक रिलीफ सब-कमेटी के नाम से जो सब कमेटी मुकर्रर हुई थी उसने सन् ४९ में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसने इस बात की सिफारिश की थी कि अगर कहीं बाढ़ आ जाय और लोग मुसीबत में फंस जायं तो सरकार की तरफ से किस प्रकार से उन लोगों के कष्ट को कम करने के लिये कोशिश की जानी चाहिये। लेकिन जो टेक्निकल-सब-कमेटी थी जिसका काम यह था कि बाढ़ के कारण क्या हैं और बाढ़ को अगर तुरन्त न रोका जा सकता हो तो उसको किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है या उससे जो नुकसान हो सकता है उसको किस प्रकार कम किया जा सकता है उसने काफी अरसा

[श्री चरण सिंह]

लिया, क्योंकि उनके सुपुर्द मसला भी पेचीदा था वह रिपोर्ट पिछले साल आई और उसकी रिपोर्ट पर भी तुरन्त कार्यवाही गवर्नमेंट की तरफ से की गई, फ्लड कमेटी को रिकांस्टीट्यूट किया गया और उसकी बैठक कर के एक एक सिफारिश पर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला किया गया और जैसा कि आपकी इजाज़त से मैं सदन के सामने बतलाने वाला हूं कि प्रायः फ्लड कमेटी की हर सिफारिश पर अमल किया जा चुका है या अमल किया जा रहा है। एक सिफारिश थी कि ऐसे इलाकों में जहां अक्सर बाढ़ आ जाती है वहां के लोगों में हिम्मत बढ़ाने के लिये और क्या अपने फरायज़ हैं, इसको समझाने के लिये प्रोपेगेंडा किया जाय। जहां तक गवर्नमेंट का संबंध था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस सिलसिले में लोगों को यह बात समझाने के लिये एक सरक्यूलर भेज दिया गया है कि वह उन लोगों में एक यह भावना पैदा करें कि बाढ़ का मुकाबला करना है और जितना इन्सान से हो सकता है वह करना है न कि पराजय की भावना से हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना है।

दूसरी सिफारिश यह है कि स्काउटों की तरफ से एक आन्दोलन किया जाय और इस तरह का एक संगठन बनाया जाय जो ऐसे मौक़ों पर डूबने वालों की सहायता कर सके और उनको किनारे पर पहुंचा सकें। इस सिलसिले में १२/१३ जिलों में जिनमें बाढ़ आती है, उनको १२,००० रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया गया और प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ह्यूमन लाइफ सेविंग सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाने की कोशिश हो रही है और हज़ारों उनको सुविधायें दी जा रही हैं।

एक सिफारिश यह थी ए० आर० पी० की ट्रेनिंग की तरह से बाढ़ से लड़ने के लिये ट्रेनिंग दी जाय। यह भी कार्य ह्यूमन लाइफ सेविंग सोसाइटी जो प्लानिंग विभाग के अंतर्गत बनाई जा रही है, करेगी। इसके अलावा एक सिफारिश यह थी कि लखनऊ में इसका सेंट्रल आफिस खोला जाय जहां पर फ्लड के बारे में जिलों से सूचना आये उसको कोआर्डीनेट करें और जिलाधीशों को बतला दें। उसके लिये हुक्म जारी हो चुके हैं और एक सेंट्रल आर्गेनाइज़ेशन कहिये या सेंट्रल वार्निंग स्टेशन कहिये लखनऊ में कायम होने वाला है। इसके अलावा ३० जगहों पर सूबे के मुताल्लिक जिलों में वार्निंग पोस्ट्स कायम कर दिये गये हैं जिन से जिन जिलों में बाढ़ पहुंचने वाली है उनको बतला दिया जाता है। ३० जगह जो यह पोस्ट्स हैं वह इसी साल कायम की गयी हैं, दो-चार पहले से भी थी।

एक सिफारिश यह थी कि गांव पंचायतों को रेडियो रिसीवर दे दिये जायं ताकि वह भी लोगों को इत्तिला कर सकें। इसके सिलसिले में भी कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है। आठवीं सिफारिश यह थी मॉडल फ्लड स्कीम बनायी जाय। ये बहुत पहले ही १३ जिलों में बना ली गयी थी और हर जिलों में फ्लड कमेटी मुकर्रर है और हर तहसील में भी मुकर्रर है जहां कि बाढ़ आती है। उनके यहां मुस्तकिल स्कीम तैयार रहती है उसको हर साल रिव्यू करते हैं। एक सिफारिश यह भी थी रिवर्स का और ट्रांसपोर्ट का सेंसस हो कि आख़िर किन नांवों को और किन-किन यातायात के साधनों को आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की सेंसस भी हो चुकी है।

दसवीं सिफारिश यह थी कि दस हजार रुपया बोट्स बनाने के लिये डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को दे दिया जाय। उस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ११० बोट्स गवर्नमेंट ने तैयार कर के दे दी हैं। इसके अलावा ४५,००० रुपया ११२ बोट्स बनाने के लिये इस शर्त पर दिया गया है कि जो गांव सभायें आधा रुपया बोट बनाने के लिये अपने पास से दे देंगी तो आधा रुपया गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। एक नाव बनाने में ८०० रुपया लगता है तो ८०० में से ४०० गांव सभा देगी और ४०० गवर्नमेंट देगी। यह ४५,००० रुपया गांव सभा के डिस्पोज़ल पर रख दिया गया है।

ग्यारहवीं सिफारिश यह है कि इस तरह का एक कानून बनाया जाय कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार हो इस तरह के नाव या और जो जरूरी साधन हैं, उनकी आवश्यकता हो तो उनको रिक्वीजीशन कर सकें। इस तरह का कानून मई, १९५२ में बन गया था और जून में लागू भी हो चुका है।

बारहवीं सिफारिश यह थी कि पांच-पांच हजार रुपया हर साल, ये जितने १२–१३ जिले हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहले से ही रख दिया जाय। ताकि इन्तजार न करना पड़े और फौरन अपने पास से खर्च कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह हर साल ५,००० रु० हर जिले को दे दिया जाता है।

तेरहवीं यह थी कि खादर और कछार के रकबे के नक्शे बनाये जायं और फ्लड पोस्ट्स बनाये जायं। फ्लड पोस्ट्स का मतलब यह है कि कछार या खादर के इलाके में या जहां बाढ़ आती है एक ऐसी जगह मुकर्रर की जाय जो ऊंची हो और वहां जरूरी सामान, जिसकी कि बाढ़ के वक्त जरूरत पड़ती है, मसलन चना, तेल, दियासलाई और नमक और कई चीजें गिनाई हुई हैं, वह पहले से मुहइया हों। ताकि लोग वहां पहले से पहुंच सकें और जो जरूरतें ऐसी हों, जिनके बिना इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता वह वहां पहले से मौजूद हों। इस तरह की फ्लड पोस्ट्स हर जगह पर मुकर्रर है और उसी जगह लोगों को पहुंचा दिया जाता है।

चौदहवीं सिफारिश यह थी कि लोगों को यह सुझाया जाय कि वह अपने आप हिफाजत की जगह पर पहुंच जायं और अगर खुद न पहुंचें तो जो एवेकुएशन कराने के लिये लोग उनकी मदद के लिये आवें उसका फायदा उठा सकें। यह कोई नई बात नहीं थी, यह तो समझाया ही जाता है। लेकिन बावजूद समझाने के लोग अपने गांव को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते।

पन्द्रहवीं यह थी कि डिस्ट्रिक्ट अफसर को चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउंस में फ्लड कमेटीज बनावें, वह हर जिले में बना दी गयी हैं।

सोलहवीं थी कि डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड कायम किया जाय। डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड की जगह नेचुरल कैलेमिटीज फंड पहले से कायम है, जिसमें फ्रिलैंथ्रपिस्ट लोगों से रुपया देने और हिस्सा बटाने के लिए कहा जाता है। थोड़े जिलों में काफी रुपया लोगों ने दिया है, लेकिन सब जिलों की बाबत यह नहीं कहा जा सकता। यानी फंड सब जगह जिस उदारता से लोगों को देना चाहिये, नहीं दिया गया है।

सत्रहवीं सिफारिश यह थी कि जो हमारी सेना के अफसरान हैं, आर्मी अथारिटीज हैं, उनसे दरख्वास्त की जाय कि वह जो अपने विभाग की ट्रेनिंग के सिलसिले में नदियों के तैरने या पार करने की जो उनकी स्कीम है, उसकी जो ट्रेनिंग अपने लोगों को देते हैं वह इसी जमाने में दी जाय ताकि उससे हमारे लोग फायदा उठा सकें और वह भी सीख सकें और साथ ही एवेकुएशन में मदद मिल जाय। लेकिन आर्मी अथारिटीज के सामने कुछ दिक्कत है और वह हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कुछ कठिनाई हमें बतलाई है।

अठारहवीं सिफारिश यह थी कि गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, बलिया और बनारस, इन ५ जिलों में एक-एक रेडियो इक्विप्ड नाव दे दी जाय। इस प्रकार की नावें इन जिलों को दी जा चुकी हैं।

उन्नसवीं यह थी कि ट्रैवलिंग डिस्पेंसरीज की योजना पहले से ही तैयार होनी चाहिये जिससे दवाई खुद लोगों के पास पहुंच सके। इस तरह की योजना पहिले से ही जिलाधीशों ने बना रक्खी है और जहां बाढ़ आती है वहां हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी सिफारिश की जाती है।

[श्री चरण सिंह]

बीसवीं सिफारिश थी कि फ्लड इंश्योरेंस फंड बनाया जाय, अर्थात् यह कि मान लो एक किसान की एक एकड़ जमीन डूब गयी। वह अगर १ रुपया फी एकड़ सालाना का इन्श्योरेंस करा लिया करें और एक रुपया फी एकड़ जमा कर दिया करें तो जब कभी बाढ़ वग़ैरह आती है और उससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है तो उस समय इन्श्योरेंस सोसाइटीज की तरफ से उनको मदद मिल जाया करे। इस सिलसिले में दो तीन कम्पनियों से बातचीत की गई है और इस पर गौर हो रहा है। कतई कोई फैसला अभी हुआ नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कम्पनियों के लिए भी यह एक नयी बात है।

२१वीं सिफारिश यह थी और इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो अनुचित न होगा कि एक सर्वे और ड्रेनेज डिवीजन कायम किया जाय जो कि पूरब के जिलों में सर्वे करे कि कितना पानी आता है, कहां-कहां तक उस पानी का असर पड़ता है और कितने दिनों में आता है और कितनी देर में वह गुजर जाता है, कितने रकबे पर असर डालता है और किस तरीके से जो बांध हैं वह बनाये जा सकते हैं या जिस जगह पर पानी तंग रास्ते से होकर गुजरता है तो क्या उसको चौड़ा करने की जरूरत है। जो टेकनिकल मसले हैं उन पर विचार करने के लिये एक डिवीजन की भी उन्होंने सिफारिश की थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बतलाते हुए खुशी होती है कि यह डिवीजन कायम हो चुका है, गोंडा में उसका हेडक्वार्टर है और कई योग्य अधिकारी सर्वे वग़ैरह कर रहे हैं।

२२वीं सिफारिश उस कमेटी की यह थी कि लोगों को यह शिक्षा दी जाय कि स्वायल कंजरवेशन अर्थात् जमीन जो कट कर जाती है वह न कटे, उसके लिए किस तरह से और क्या-क्या किया जाय, किस तरह से अच्छे प्रकार खेती की जाय, इसकी शिक्षा उन लोगों को दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सब दोस्तों को मालूम ही है कि स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट बन चुका है और उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी कार्यवाही करने का विचार रखती है और सिर्फ विचार ही नहीं रखती है बल्कि कार्यवाही शुरू हो गई है। अभी वह आपके सामने, सदन के और पब्लिक के सामने आया नहीं है। एक बोर्ड बनने जा रहा है और एक ट्रेनिंग सेंटर हम खोलने जा रहे हैं जिसमें कि स्वायल कंजरवेशन मेथड के बारे में शिक्षा लोगों को दी जायगी। हम काफी बड़े पैमाने पर यह काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हमारे अफसरान उस काम में ट्रेंड नहीं हैं, न उनको इस काम का अनुभव है। इसलिये दो चार अनुभवी अधिकारी जो हमारे पास हैं उनकी देखरेख में हम बहुत से नवजवानों को एफारेस्टेशन के काम में, करेक्ट ऐग्रीकल्चरल मूविंग के काम में और इंजीनियरिंग के काम में शिक्षा देना चाहते हैं। इन तीनों में उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसका हम इन्तजाम कर रहे हैं।

२३वीं सिफारिश अध्यक्ष महोदय, यह थी कि जो कैचमेंट एरियाज हैं जहां कि बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ों पर या नदियों के उद्गम स्थान जो हैं, जहां के जंगल कटने की वजह से वह पानी बिना किसी रुकावट के बिना भूमि में समाये हुए नदियों में जाकर बहता है जिसके कारण भी बाढ़ आ जाती है, ऐसी जगहों में एफारेस्टेशन किया जाय। उसके लिये इसी साल एक एफारेस्टेशन डिवीजन अलाहिदा कायम हो चुका है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और ५ लाख रुपये आप लोगों ने इस साल के बजट में उसके लिये मंजूर किये हैं। पहली बार में हम गोमती और राप्ती के कैचमेंट एरिया में एफारेस्टेशन के काम को लेना चाहते हैं और उसमें कई सौ एकड़ का एफारेस्टेशन हो भी चुका है।

२४वीं सिफारिश यह थी कि गांवों में जो पुराने तालाब हैं वह सिल्ट अप हो गये हैं, भर गये हैं। तो कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे तालाबों, जो कि कछार और खादर के इलाके में हैं, को खुदवा दिया जाय, गहरा करा दिया जाय। इससे कुछ पानी उनमें रुकेगा और नदियों में जो पानी आता है उसमें कुछ कमी आयेगी। इन तालाबों में से जो मिट्टी निकले वह तालाब के चारों तरफ इस ढंग से डाली जाय कि वह ऊंचा स्थान हो जाय और बाढ़ आने के वक्त मनुष्य और पशु उसमें अपनी जान बचा सकें। ऐसा भी विचार था कि ऐसी जगह पर थोड़ा सा शेड डाल दें ताकि वर्षा से उनकी रक्षा हो सके। यह काम ऐसा था जो कि श्रमदान के जरिये से हो सकता था। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को कह दिया है कि श्रमदान का जो हफ्ता आये उसमें इस तरह की कोशिश होनी चाहिये कि तालाबों को खोद कर गहरा किया जाय।

पचीसवीं सिफारिश यह थी और यह आखिरी सिफारिश थी कि हर गांव में फ्लड लेबिल कितना हो जाता है उसका कहीं कोई रिकार्ड होना चाहिये। इसमें हमारे सर्वे सब डिवीजन से भी मदद ली जायगी। लैंड रिफार्म्स कमिश्नर ने एक एलाबोरेट स्कीम बनायी है और सभी जिलाधीशों से कहा गया है और उन्होंने लेखपालों से कहा है कि वह हर गांव में देखें कि किस तारीख को कितना पानी पहुंचता है और उसका रेकार्ड रखें। चूंकि लेखपालों की बड़ी तादाद होती है और गांवों में रहते हैं उनके जरिये से इस काम में आसानी होगी। अध्यक्ष महोदय, यह २५ सिफारिशें फ्लड कमेटी की तरफ से हुई थीं। इन पचीसों सिफारिशों में प्रायः सभी पर या तो अमल हो चुका है या अमल किया जा रहा है। इसलिये जहां तक लांग टर्म्स कार्यवाही करने की बात थी उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जितना किया जा सकता था, जितना हमारे बूते के अन्दर है उसमें करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गयी है।

इस वर्ष जो बाढ़ आयी है, वह काफी व्यापक है। मेरे पास एक नक्शा है जिसमें तमाम तफसील के साथ यह सब बतलाया जा सकता है कि कितने गांव किस जिले में बाढ़ से ग्रस्त हैं। कितनी फसलों को कितने मकानों को, और कितने आदमियों को इससे तकलीफ पहुंची है। गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर-खीरी और अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे, जहां कि आपके जिले झांसी में बाढ़ नहीं आया करती थी वहां भी कुछ इलाका ऐसा है, हालांकि वह थोड़ा सा है लेकिन ऐसी बाढ़ आयी है कि शायद लोगों की याददाश्त में कभी इतनी नहीं आयी होगी। इस साल बाढ़ आई है। आजमगढ़ के थोड़े से इलाके में बाढ़ आयी है। इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मैं जाब्ते के लिये नहीं बल्कि आन्तरिक हृदय से यह बात कहना चाहता हूं कि यों तो पिछले साल भी हमारे अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जैसा हमारा और उनका तजुरबा बढ़ता जाता है उन्होंने पिछले साल की अपेक्षा भी अधिक संतोषजनक काम इस वर्ष किया है। उसकी तफसील में इस वक्त जाना जरूरी नहीं समझता। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमने अफसरों से यह कह रक्खा है कि जहां तक रुपये का सम्बन्ध है रुपये के खर्च करने से अगर लोगों की तकलीफ मिट सकती है तो अगर एक रुपये के स्थान पर सवा रुपया खर्च कर दिया जायेगा तब भी हम उनसे जवाब तलब नहीं करेंगे, बल्कि जितना रुपया हमसे मांगें हमको उतनी ही खुशी होगी। टेलीफोन के जरिये, टेलीग्राम के जरिये, खास तौर से देवरिया व गोरखपुर, बहराइच और जिलों में भी जिलाधीशों ने गवर्नमेंट से और माननीय मुख्य मंत्री जी से, मुझसे सेक्रेटरी से, इर्रीगेशन मंत्री और इर्रीगेशन सेक्रेटरी से प्रायः रोजाना कंट्रैक्ट रखने की और हिदायत लेने की कोशिश की है। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जहां तक उनके काम करने की बात है उसमें तफसील में शिकायत हो सकती है, कहीं कोई काम जैसा होना चाहिये था वैसा न हुआ हो। किसी व्यक्ति विशेष या किसी गांव विशेष की शिकायत हो सकती है लेकिन आम तौर पर गवर्नमेंट इस बात से पूर्णतया संतुष्ट है कि उन्होंने इस साल बहुत अच्छा कार्य किया है। गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपया फ्लड रिलीफ फंड में दिया गया है, लाखों रुपया तकावी में दिया गया

[श्री चरण सिंह]

है। लाखों रुपया टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये जिलों में दिया गया है। ६, ६ लाख रुपये की तकावी दी गई है। एक-एक, दो-दो लाख रुपये टेस्ट वर्क्स के लिये दिये गये हैं और यह भी आदेश है कि जहां जितनी जरूरत हो फौरन तलब किया जा सकता है। जहां तक गवर्नमेंट की मालगुजारी, बकिया तकावी और दूसरे मतालबों का ताल्लुक था उसकी वसूलयाबी भी सब जगह रोक दी गई है। साथ ही जहां गवर्नमेंट के जंगलात थे वहां पशुओं के चरने के लिये उनको भी खोल दिया गया। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर में जहां जंगल नहीं हैं, वहां गवर्नमेंट की मजबूरी है लेकिन जो सूखी घास गवर्नमेंट इकट्ठा करवाती है उस घास को वहां भेजने के आदेश दे दिये गये हैं। देवरिया के लिये १०० वैगन्स घास और १० वैगन्स भूसे के लिये आर्डर जारी हो चुके हैं। मैं सही तो नहीं कह सकता लेकिन अब तक जिले के अन्दर शायद वह भूसा और घास पहुंच चुका होगा।

जहां तक भूसे का ताल्लुक है ट्रान्सपोर्ट चार्जेज काफी ज्यादा होने के कारण उसको लेने का विचार नहीं है। घास का न किराया लिया जाता है और न कीमत ली जाती है। अब तक तजुर्बा यह बतलाता है कि बहुत कम जानवर बाहर की भेजी हुई घास को खाते हैं। लेकिन मतालबा होता है लिहाजा हर साल बाढ़ के वक्त हम उसे भिजवाते हैं। जानवर भी मनुष्य की तरह टेस्ट डेवलप कर लेते हैं और वे भी आम तौर पर बाहर से भेजी हुई सूखी घास खाने को तैयार नहीं होते। यों भूख से मरता क्या न करता। बहुत जरूरी हो, भूखे मरने की नौबत आती हो तो शायद उसे खा लें लेकिन हम अपनी तरफ से जरूर भेज देते हैं।

जहां तक बच्चों की तालीम का सवाल है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल्स में शिक्षा पाते हैं वहां के लिये गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि उनको जो नुकसान इस फीस से होगा उस नुकसान की पूर्ति गवर्नमेंट अपने फंड से कर देगी ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न आने पाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही देवरिया के जिले में कुछ कपड़ा भी तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने कानपुर से कुछ कपड़ा मंगा लिया है। इसके साथ ही मुझे बतलाने में खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से यह इत्तिला मिली कि मिल ऐसोसियेशन बम्बई ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये कपड़ा देने का इरादा किया है। उनको अपनी स्वीकृति दे दी है। यह नहीं लिखा कि कितने हजार जोड़े और कमीजें भेजी जायं। यह तो देने वालों के ऊपर है जितनी वह दे सकें। लेकिन प्रोपोर्शन मुकर्रर करके भेज दिया है। अगर मान लीजिये कि १०० कमीजें भेजने को तैयार हैं तो ५ फलां जगह, २ फलां जगह और १० फलां जगह जानी चाहिये और इसी रेश्यो से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजने के लिए प्रार्थना की है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कह दिया है कि वे ऐसे लोगों की फेहरिस्त तैयार कर लें जिन्हें कपड़ा पहुंचाना आवश्यक है।

बस एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह बाढ़ लोगों पर मुसीबत लाती है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। लोगों को तकलीफ होती है और बहुत संख्या में लोगों को तकलीफ होती है और हम उस तकलीफ को मिटाने की जितनी कोशिश हो सकती है करते हैं और कर रहे हैं। यह बाढ़ या और कोई मुसीबत ऐसी चीज है जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। कौन आदमी ऐसा होगा कि जो अपने लोगों की मुसीबत न मिटाना चाहे उसके मिटाने के ढंग पर दो राय हो सकती है लेकिन कोई इस प्रकार का इशारा करना या संकेत करना कि गवर्नमेंट मुसीबत मिटाना नहीं चाहती या आफिसर जानबूझ कर लोगों की तकलीफ देखना चाहते हैं और आराम पहुंचाने की कोशिश नहीं करते मैं समझता हूं कि बहुत न्यायसंगत नहीं है। कोई इस प्रकार इशारे की बात करना भी वैसे हर आदमी को अधिकार है कि वह कुछ कहे, क्रूरता होगी। गांव वालों को तकलीफ

हुई है, पशुओं का बहुत नुकसान हुआ है और फसल नष्ट हुई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। देवरिया में और दूसरे जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछा है, आजमगढ़ और बहराइच में तो हमने इजाजत दे दी है और देवरिया में तो इस वक्त टेक्ट वर्क हो रहा है जिसमें १२ हजार आदमी रोज काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देने की योजना है कि जो बाढ़ की वजह से बेरोजगार हो गये हैं। नार्मल टाइम्स में तो अपने खेतों पर यह काम करते थे पर उनकी मुसीबत दूर करने के लिये ८ या ९ जगह पर देवरिया में काम हो रहा है। १२ हजार मजदूर केवल अकेले देवरिया में काम कर रहे हैं। लोगों को तकलीफ है मैं इस बात को तसलीम करता हूं और साथ ही साथ यह भी कि लोगों की मदद करने की जरूरत है। जो हमने सस्ते गल्ले का लोगों को पहुंचाने का इन्तजाम किया है और जो उसकी दुकानें खुली हुयी हैं उससे कितने लोग खरीदते हैं वह इस बात से साबित होगा कि कितने लोगों को इस गल्ले वगैरा की जरूरत है। लोगों को जितनी तकलीफ है वह जाहिर है मस्लन मेरे पास जून, जुलाई और १५ अगस्त तक के आंकड़े हैं। बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, बनारस जौनपुर, बहराइच और खेरी में सस्ते गल्ले की जो दूकानें खोली गयीं। वे क्रमशः इस प्रकार से हैं :--

५८५, ११२, ११६, ११४, १८०, ४, ४२, ४७ और १३।

इन दूकानों से जो गल्ला बिका वह बहुत काफी मात्रा में नहीं है। मैं केवल अगस्त के महीने की बात ही लेता हूं। मिर्जापुर में जहां बाढ़ नहीं थी १५ दिनों में ४८३ मन गल्ला बिका। गोरखपुर जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसमें १ अगस्त से १५ अगस्त तक १५ दिनों में केवल २५८ मन गल्ला लोगों ने इन सस्ती दूकानों से लिया। इससे जाहिर होता है कि आज वे चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों न हों लोगों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ लेकिन उनके खाने के लिये गल्ले की कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि हर जिले में कितना नुकसान हुआ, हर जिले में गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया, अगर उसकी तफसील की जरूरत हुई तो आप जब डिबेट के उत्तर देने का मौका देंगे उस समय सदन को बतलाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर यह दोष नहीं लगा रहा हूं कि उनकी वजह से बाढ़ आती है, वैज्ञानिक लोग तो ऐसा कह सकते हैं लेकिन मैं तो गांव का एक किसान होने के नाते ऐसा सोचता हूं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है इसलिये सरकार का अधिक दोष नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं और महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई नेचुरल कैलेमिटी हिन्दुस्तान के लिये मोनोपली नहीं है वे तो सारे संसार में आती हैं। सरकार का यही फर्ज होता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आये, प्रजा आफत में फंस जाय तो वह प्रजा को बचाने की चेष्टा करे। ऐसी चेष्टा करने में, यदि सरकार कोताही करती है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती तो हर समझदार आदमी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सरकार की शिकायत करे। अगर वह शिकायत नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि वह समझदार आदमी नहीं है। मैं भी उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्व मंत्री जी ने एक बाढ़ कमेटी की सिफारिश पर लम्बी कार्यवाही करने की बात कही। मुझे शिकायत इस बात की है कि सिवाय दो-तीन सिफारिशों के और सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं हुई। हो सकता है माननीय मंत्री जी के दफ्तर में कोई कार्यवाही हुई हो, लेकिन जिनको बाढ़ से बचाना था उनको कुछ भी नहीं बताया गया। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं और उसका हक भी रखता हूं। बाढ़ से बचाने की ट्रेनिंग दी गयी लेकिन मैं नहीं जानता किसको ट्रेनिंग दी गयी। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं देवरिया का नागरिक हूं, यहां का सहयोगी हूं, असेम्बली का सदस्य हूं, कि ट्रेनिंग किसको दी गयी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं उनको

[श्री गेंदा सिंह]

ट्रेनिंग न दी जाय लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिये थी। अगर मुझे ट्रेनिंग मिली होती तो मैं भी दूसरों को बताया होता। तो मेरा तो ऐसा विचार है कि सिवाय नाव वाली सिफारिश के या दो एक और बातों के किसी भी सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं और जिलों के बारे में तो नहीं कहता हूं केवल अपने जिले के बारे में कहूंगा जिला देवरिया में एक कार्यवाही जो पिछले वर्ष हुई वह इस साल नहीं हुई। फ्लड पोस्ट्स के बारे में इस वर्ष कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की गई और अगर कोई की भी गयी हो तो अधिकारियों की यह इच्छा थी कि उसमें कम से कम लोग पहुंच पायें वही किया जाय। मैं नहीं जानता कि इसमें उनका क्या आशय था। लेकिन उसके बाद तहसील कमेटी ने क्या किया। यह फ्लड पोस्ट तो उन जगहों पर बनते हैं जहां कि बाढ़ आती है और जहां से नजदीक से इन्तजाम हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि किस फ्लड पोस्ट द्वारा देवरिया जिले में क्या कार्यवाही हुई है। अब मैं देवरिया जिले की बात छोड़ता हूं और जिले के बारे में ही उनसे जानना चाहता हूं तथा उन सिफारिशों के ऊपर सोचता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इस पर जरूर गौर करना चाहिये कि जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों पर भी अगर कोई काम हुआ होता तो राहत हुई होती। मैंने यह बात तो बतला ही दी कि नाव वाली जो सिफारिश है उस पर कार्यवाही करने की कोशिश की गयी। अमली तौर पर उसमें कुछ कठिनाई थी जिससे लोगों ने काफी फायदा नहीं उठाया लेकिन कोशिश की गयी। एक और मामला जरूर है, जैसे बस्ती जिले में एक डिवीजन खोला गया लेकिन जो डिवीजन खुला, जिस पैमाने पर उसको काम करना चाहिये, क्या उसने किया? मैं नहीं जानता कि पिछले वर्ष से इस वर्ष तक मैंने कितनी चिट्ठियां माननीय राजस्व मंत्री जी को लिखीं और जबानी भी उनसे कह चुका हूं कि कम से कम सर्वे तो आप करा दीजिये। जिस वक्त मैं फ्लड कमेटी का मेम्बर था उस वक्त भी मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी सर्वे होना चाहिये। फिर सर्वे हो जाने के बाद यह देखा जाय कि हम लोगों के लिये यह सम्भव है कि नहीं कि इस बाढ़ से बचें। फिर इस पर विचार किया जाता लेकिन सर्वे नहीं कराया गया। इस मर्तबा जब बाढ़ आयी तब फिर मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी को कई पत्र और तार भेजे। अब मैं नहीं जानता कि मेरे उस पत्र के आधार पर या किस आधार पर उन्होंने एक मिश्रा जी इंजीनियर को वहां भेजा जिन्होंने वहां जाकर लोगों से पूंछा कि हम काम शुरू करना चाहते हैं। तो इस सिफारिश के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वह आसाम और बिहार की सरकार से पीछे तो नहीं ही रहेगी। जहां तक आर्थिक तौर पर कहा जाय, क्या आसाम और बिहार की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से ज्यादा मजबूत हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी अर्थशास्त्र तथा इस मामले के बहुत बड़े ज्ञाता हैं यदि वे बतला दें कि बिहार की सरकार हमारी सरकार से आर्थिक तौर पर मजबूत है या आसाम की सरकार हमारी सरकार से आर्थिक तौर पर मजबूत है तो मैं मान सकता हूं और अगर मजबूत है तो फिर उस पर विचार करने की जरूरत हो जायेगी। एक बार जब यह सवाल इस सदन में उठा था तो मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से कहा था कि वे अपने पड़ोसी प्रदेशों को भी जरा देख लें कि आज बिहार क्या कर रहा है? आज माननीय राजस्व मंत्री जी ने देखा होगा कि बिहार के मुख्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिंह जी ने एक बयान निकाला है। उस बयान के आधार पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो खुद जाकर देख आया हूं। चूंकि मैं पड़ोसी हूं इसलिये एक पड़ोसी के नाते जिस वक्त मैं अपने पड़ोस के बिहार के गांवों को देखता हूं तो हमें बहुत अचम्भा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या लाभ हो गया है? अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार के एक और इलाके के जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं श्री रामजी वर्मा वे भी अहरौली के पास ही बगल में

बिहार के अन्दर भसहीं नाम का एक फ्लड पोस्ट है वहां गये थे। वहां मैंने जाकर उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या रिलीफ का काम करते हैं। ऐसे मुझे मालूम तो था ही कि लेकिन मैं प्रत्यक्ष मालूम करना चाहता था। उन्होंने बतलाया कि हम ६ छटांक रोज हर बालिग को देते हैं और ३ छटांक हर बच्चे को देते हैं बिना इस बात का लिहाज किये हुए कि किसकी क्या हैसियत है। अगर वह मांगने के लिये आता है तो हम जरूर दे देते हैं। हफ्ते में दो मर्तबा बांटने की कोशिश करते हैं। इस समय कर्जे की अदायगी तो हमने रोक ही दी है। मालगुजारी की वसूली भी रोक रखी है लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों को उदारतापूर्वक कर्जा भी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब यह सोचने की बात है कि ६ छटांक और ३ छटांक के हिसाब से कितना गल्ला होता है। लेकिन हम अपने यहां देखते हैं कि अबकी मर्तबा लम्बी अवधि तक बाढ़ रही और आज भी बाढ़ का सिलसिला चला जा रहा है, उस सिलसिले में जहां तक मेरी जानकारी है दो मर्तबा अधिकारियों ने कोशिश की वे पाव भर या आध सेर अन्न हर बालिग और नाबालिग को पहुंचाना चाहते थे। मैं उन्हीं के फिगर आपके सामने रख दूं कि बाढ़ से कितने लोग ग्रसित हुये और उन्होंने क्या मदद की, तो अच्छा होगा। मेरी इच्छा कभी सरकार को बदनाम करने की नहीं है लेकिन जो तथ्य है जो वस्तु स्थिति है उसे हमें अवश्य सामने रखना पड़ेगा बिहार की सरकार ने न केवल अपने ही यहां से खर्च किया है बल्कि केन्द्र से भी उन्हें सहायता मिली है। बिहार के मुख्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण सिन्हा ने कहा है कि हमने १९ करोड़ रुपया इस काम में पिछले वर्षों में खर्च किया है। पिछले मार्च तक वह १४ करोड़ रुपया खर्च कर चुके थे और ५ करोड़ उन्होंने इधर खर्च किया है। पार्लियामेंट में भी जिस दिन इस पर विवेचना हुई तो माननीय काटजू साहब ने कहा कि यू० पी० गवर्नमेंट ने हमसे २५ लाख रुपया मांगा है लेकिन बिहार के लिये उन्होंने कहा कि हमसे ६ १/२ करोड़ रुपया मांगा है। उसमें एक रकम तो कर्जे के तौर पर चाही गई थी और काफी बड़ी रकम २ करोड़ की ऐसी थी जो ग्रेटूशस रिलीफ के नाम पर मांगी गई थी। आसाम के बारे में भी काटजू साहब ने कहा कि उन्होंने भी ९० लाख रुपया मांगा था।

दूसरा सवाल यह हो सकता है कि बिहार और यू० पी० की बाढ़ में क्या कोई बड़ा अन्तर है ? क्या यू० पी० बाढ़ ऐसी है कि जिसमें ज्यादा रिलीफ या रुपये की जरूरत नहीं है या हमें केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी तकलीफ को रखने की जरूरत नहीं है ? जो कुछ भी फिगर हमारे राजस्व मंत्री जी ने दिये हैं अगर हम उन्हीं को आधार मान लें तो उनके अनुसार इस समय यहां १४ लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं जिनकी फसलें बरबाद हुई हैं, यद्यपि मैं उनके इन फिगर्स से सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने केवल ९ जिलों के नाम इसमें रखे हैं और अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित राय है, कम से कम १४ जिलों में बाढ़ गई है और इन ५ जिलों के आंकड़े तो हमारे पास हैं ही नहीं कि उनके बारे में भी हम बता सकें या माननीय राजस्व मंत्री जी उनकी स्थिति पर प्रकाश डाल सकें कि वहां की हालत क्या है जैसे फर्रुखाबाद, उन्नाव, बलिया। यह जिले बाढ़ में हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं है। फैजाबाद, लखनऊ रामपुर में भी बाढ़ आई है वहां भी नुकसान हुआ है, वहां नुकसान कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो लेकिन बाढ़ वहां भी आई। फर्रुखाबाद के बारे में कहा जाता है कि ६६-६७ हजार एकड़ जमीन पानी में डूब गई तो फिर ऐसी हालत में इन आंकड़ों पर कैसे विश्वास करूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वह सही आंकड़े नहीं हैं, इस वक्त मजबूरी हो सकती है कि उन्हीं को सही माना जाय लेकिन ९ जिलों में ही सही और १४ लाख व्यक्तियों के लिये ही सही इस सरकार ने क्या किया ? सरकार ने केवल १ लाख ३५ हजार रुपया ग्रेटूशसू रिलीफ के लिये इन नौ जिलों में भेजा। यह कल तक के आंकड़े हैं। १४ लाख में जब १ लाख ३५ हजार रुपया बांटा जाता है तो क्या हिसाब पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जिन १४ जिलों में बाढ़ आई है, जिन लोगों के घर डूब गये हैं और

[श्री गेंदा सिंह]

जिस वक्त से बाढ़ आई है करीब २६ जुलाई से आज एक महीने से अधिक हुआ कि लोगों के घर खेत सब डूबे हैं फसलें भी खत्म हो चुकी हैं, जहां पानी घट भी गया है वहां भी फसल नहीं है कि जिसको काट लिया जायगा और जिससे लोग गुजर कर सकें। जरा हिसाब भी समझ लिया जाय तो अच्छा होगा। एक लाख ३५ हजार रुपये में १४ लाख आदमियों को एक महीने से ज्यादा दिनों तक गुजारा करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी और सरकार ने किया। राजस्व मंत्री जी तो बहुत हिसाब लगाने वाले आदमी हैं। जरा बतावें कि एक आदमी पर कितने पैसे पड़ते हैं और कितना अन्न उसको मिलता है और उसके बाद यह कहना कि सहायता के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दे दिया गया है कि तुम खर्चा करने में चूको मत और किसी को पैसे के बिना तकलीफ मत पहुंचाओ क्या अर्थ रखता है। तो यह हो सकता है कि या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स माननीय राजस्व मंत्री जी की भाषा न समझते हों और या फिर कोई ऐसी भाषा राजस्व मंत्री जी की है कि जिस भाषा का अर्थ हो कि खबरदार, जब हम कहें कि पैसे के बिना किसी आदमी को तकलीफ न मिले तो पैसा नहीं खर्चना चाहिये। अगर यह मतलब हो तो मैं मान जाऊंगा कि उनके हुक्म की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने पूरी तरह से तामील की। परन्तु यदि यह अर्थ नहीं है तो इस सहायता का क्या अर्थ है। एक बात और बतलाऊं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने चिट्ठी लिखी राजस्व मंत्री जी के पास वे बड़े भाग्यवान हैं कि उन्हें अपनी चिट्ठी का जवाब मिल गया। उत्तर में कहा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया है कि जितना पैसा चाहो खर्चा कर दो और तुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिल कर उस काम को करा लो। लेकिन क्या हुआ? जगन्नाथ मल्ल जी वहां नहीं थे। लेकिन सैकड़ों आदमी जगन्नाथ मल्ल जी के घर पर खड़े हुये थे और कह रहे थे कि एक पाव भर दाना दिला दो। लेकिन पाव भर दाना दिलाने के लिये वहां पर कोई अधिकारी नहीं था। कस्बे के लोगों से उन लोगों को दो चार सेर अन्न दिलाना पड़ा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो हालत है जो फौरन मुसीबत आदमियों के ऊपर आ जाय उस मुसीबत में मदद करने की हमारी सरकार १ लाख ३५ हजार रुपये बटवायेगी १४ लाख में और कहेगी कि हमने किसी के लिये मरने के लिये इजाजत नहीं दी है और कोई नहीं मर सकता। मैं भी कहता हूं कि मरेगा कैसे, कजा तो यों ही उसकी आ जायगी। अगर आपकी यह हालत है तो बाढ़ के लिये याद रहे अध्यक्ष महोदय कि यू० पी० की गवर्नमेंट से हमारी एक सिफारिश यह भी थी कि यहां पर सेंटर में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिससे हम सारे जिलों को यह खबर कर सकें कि बाढ़ आने वाली है और खबरदार हो जाओ। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में कह दिया गया कि आज रात को बाढ़ आने वाली है और दूसरे दिन उसका मजाक बन गया अध्यक्ष महोदय अखबारों में यह कौन सा इंतिजाम है कि ९ बजे रात या किस वक्त बाढ़ पहुंचेगी यह कहा गया और उसी वक्त पानी घटना शुरू हुआ। और मैं अध्यक्ष महोदय, यह बात इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई यह मजाक है। जिलों के हेडक्वार्टर्स से किस तरह से खबरें पहुंचती हैं, राजस्व मंत्री जी जरा बतलायें कि जिलों के हेड क्वारटर्स से जो खबरें यहां पहुंचती हैं। वह किस तरह से केन्द्रीय सरकार को पहुंचती हैं। इस पर वह गौर करें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से माफी चाहूंगा यह बात कहने के लिये कि जैसे जिला मैजिस्ट्रेट्स के पास से खबरें पहुंचती हैं उनके पास उसी प्रकार से खबरें पहुंचाने की यह भी आदत सीख गये हैं। अभी माननीय काटजू साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई जानवर नहीं मरा, मैं हैरत में पड़ गया। एक आदमी को सिर्फ बतलाते हैं कि वह मरा और माननीय राजस्व मंत्री जी के कागजात बतलाते हैं कि उसमें ९ आदमी मरने की बात है जब कि दर्जनों आदमी और हजारों पशु मरे हैं। केन्द्र को कहां से खबर मिलती है। क्या काटजू साहब को कोई इलहाम तो नहीं हुआ है? इस तरह की खबरें केन्द्रीय सरकार को देकर यू० पी० सरकार हमारे प्रदेश का भारी अहित करती है। हमारी जान से खेलवाड़

करती है। जब लाखों आदमी मुसीबत में पड़ते हैं उस समय वह आंकड़ों के इन्द्रजाल में ही फंसे रहते हैं और लोगों को भूखों मारते हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स तो बड़े ईमानदार हैं, वह गलती तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर वक्त होता तो मैं आंकड़ों से साबित करता कि उनके आंकड़ों में राजस्व मंत्री जी किस तरह से फंसते हैं। अगर हमको मुकदमा चलाने का अख्तियार होता तो गलत बयान देने में उनको सजा करा देते। ऐसे कागजात जिनमें जालसाजी होती है, इस तरह की जालसाजी होती है, हजारों, लाखों जनता के साथ इतने ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति करते हैं। मैं वक्त निकाल कर उनसे मिलना चाहता हूं।

अब कुछ आंकड़े उन्होंने मुझे दे भी रखे हैं। पिछले वर्ष तो मैं आंकड़े मांगते-मांगते मर गया लेकिन नहीं मिल सके। कल उन्होंने इनायत की कि मुझे कुछ आंकड़े दे दिये। अब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे यह बतलाइये कि यह सही हैं और अगर सही हैं तो किस तरह से सही हैं और क्या यह आपकी बुद्धि को अपील करते हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा बहुत शुरू में ही मैंने कहा कि जो मुसीबत बाढ़ से लोगों पर आती है उसकी कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी मानी जाय और माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह पढ़े-लिखे आदमी हैं जरा मेहरबानी करके चायना के अनुभव से लाभ उठावें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लगे हुए एक्सपर्ट लोग कहते हैं, उनकी राय को पढ़ लें। एक बार अगर वह उनकी राय को पढ़ लेंगे जो आज भी पत्रों में है, यह वह है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर भले ही कुछ सफलता प्राप्तकर ली हो जिस पर काफी रुपया खर्च किया है। परन्तु उनके यहां यानी चीन में ४-५ नदियां यांगटसी, पिपरी और ऐला, वग़ैरा हैं उनके बैसिन में ४० करोड़ जनता बसती थी, आज चीन सरकार ने उनको बहुत सी मुसीबत से बचा दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वहां के लोगों को खाना और कपड़ा दिया गया। यह उन्होंने जरूर किया कि ५ आने पर काम नहीं लिया। उन्होंने १ रु० २ आने से शुरू किया और कहा कि मिट्टी फेंको। १ रु० २ आने मिनीमम वेज रखी थी। मिट्टी फेंक कर नदियों के ऊपर बड़े-बड़े बांध लगा कर और रिजरवायर बनाकर और तरह-तरह के उपाय करके लोगों को बाढ़ से बचाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बड़े बांध बनाये हैं लेकिन हमारी सरकार कहती है कि बांध नहीं बनाये जा सकते। बांध बनाने से लाभ के बजाय हानि होगी।

एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर यह राजस्व मंत्री जी की बुद्धि को अपील कर जाय तो हमारा भाग्य बन जाय। एक नदी घाघरा है। उसके एक तरफ छपरा है और दूसरी तरफ बलिया है। बलिया में बांध बनने से नदी की धारा बिगड़ जायगी और बलिया का अहित हो जायगा परन्तु बिहार में बांध से नुकसान नहीं होता। यह हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी एक बार यहां देखने की कृपा करें, जहां पर यू० पी० की सरहद खत्म होती है वहां से नदी घाघरा और सोनपुर से जहां पर नारायनी मिलती है बांध लगा हुआ है। बड़ी गंडक को ले लीजिये, जहां वह पहाड़ के नीचे उतरती है, जहां वह नीचे बिहार में जाती है तो वहां एक किनारे पर बांध लगा हुआ है जो त्रिबेनी से लेकर सोनपुर तक है। दूसरी तरफ देवरिया और गोरखपुर जिले हैं, वहां कोई बांध नहीं है। जहां सारन जिला है, उस तरफ भी बांध लगा हुआ है। अब माननीय राजस्व मंत्री ने बड़ी गंडक को यहां खेलने के लिये छोड़ रक्खा है। बिहार में तो यह खेल नहीं सकती छूट करके, लेकिन गोरखपुर और देवरिया में उसको स्वतंत्रता है कि खेल खेलो और उसका परिणाम यह है कि देवरिया और गोरखपुर की लाखों एकड़ फसल और व्यक्तियों को तबाह करती है। कोसी का यह रेकर्ड है कि कोसी, जिसको बहुत ही खतरनाक नदी बताते हैं और कहा जाता है कि ६०५ क्युजेक्स उसमें पानी आया, तो उतना ही पानी गंडक में भी आया।

[श्री गेंदा सिंह]

सन् १८९३ में जितना पानी गंडक में आया उससे इस साल दो फिट पानी अधिक आया और जितना पानी आया अधिकांश बिहार में तो गया नहीं, वहां बांध लगा हुआ है, गोरखपुर और देवरिया में चला गया।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—बिहार में कैसे बाढ़ आई?

श्री गेंदा सिंह—मैं तो ग्रामवासी जी से कहता हूं कि वह मेरे साथ चलें चलें, बेतिया, चम्पारन देख आवें कि गंडक से बचाने की कैसी व्यवस्था वहां है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि कम से कम जो छोटे-मोटे काम हैं वह तो करने ही चाहिये। किसी तरह से लोगों की रोजी चलनी चाहिये। अगर नहीं चलती है तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह से वह अपना गुजारा करें। मैंने तो दरख्वास्त की थी राजस्व मंत्री जी से कि कम से कम एक बार देख तो लीजिये, लेकिन देखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तार अगर दिया जायगा तो उसका उत्तर नहीं देंगे, चिट्ठी दी जायगी, उत्तर नहीं देंगे और सोचते यह हैं कि उनके सरकारी अधिकारी जो करते हैं वह ठीक काम करते हैं। अगर ठीक वह करते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि वह कानून की रू से चला करें। मैंने कल एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया था और देवरिया जिले में उन्होंने खद स्वीकार किया था कि १२,००० मजदूर रोज टेस्ट वर्क पर काम करते हैं। जरा यह भी बतलाने की कृपा करें कि क्या वह रोज मजदूरी पा जाते हैं? कभी-कभी दैनिक मजदूरी भी उन्हें मिलती है? ३–३, ४–४, ५–५ दिन में उसको मजदूरी मिलती है। जो भूखा दिन भर काम करता है शाम को खाली हाथ घर जाता है। यह कहां का न्याय और कहां की मानवता है? धारा ११३, फेमीन कोड में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोज मजदूरी मिल जानी चाहिये, लेकिन नहीं मिलती। तो मुझे कहना यह है कि यह मैं नहीं कह पाता हूं कि उनकी क्या मदद होनी चाहिये क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि कहते हुये मुझे डर लगता है। वह तो माननीय सदस्य जो और भी बैठे हुए हैं वह बतायेंगे. लेकिन एक बात कहता हूं कि खुदा, ईश्वर, कर्त्तव्य, धर्म और मानवता के नाम पर किसी नाम पर, हमारी सरकार कम से कम सही रिपोर्ट तो तैयार करे कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, कहां-कहां किस तरह से नुकसान पहुंचा और कितने लोग आज संकट में हैं। कम से कम जो यू० पी० की सरकार है वह केन्द्रीय सरकार के पास तक तो यह सही ब्योरा भेजे, इसमें सरकार का कोई अपमान नहीं है। श्री मन्नारायण अग्रवाल ने बिहार में जाकर कहा कि "डू और डाई" का सवाल है आज। वहां तो ४–५ जिलों क प्रश्न है कि "डू और डाई"। परन्तु हमारे यहां १४ जिले हैं जहां यह सवाल "डू और डाई" का प्रत्यक्ष है। उनमें से कुछ ऐसे भी जिले है जिनकी मुसीबत ऐसी है कि अगर हम पिछला रिकार्ड देखें तो सन् १९४७–४८, १९४९–५० और १९५१–५२, १९५२–५३ जब भी बाढ़ आई तो लम्बे पैमाने पर आई और उसके आने के बाद वहां की अवस्था बुरी तरह से बिगड़ी। यह खरीफ ग्रोइंग एरिया है, वहां रबी अच्छी नहीं होती और बाढ़ आयी तो खरीफ गयी। तो फिर वह जो ३६ लाख, ४० लाख, २२ लाख आबादी, इस साल उसको कहते हैं कि १४ लाख है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वह २५ लाख से कम आबादी नहीं है जो मुसीबत में है, आखिर उसके लिये क्या इन्तजाम है? कोई प्रबन्ध होना चाहिये। हम नहीं समझते कि यू० पी० की सरकार इतनी असमर्थ है कि उसका प्रबन्ध बिहार से पीछे रहे। अगर असमर्थ है, पूरे तौर से उसका मुकाबला नहीं हो सकता, तो उसको अपना खुला रूप बताना चाहिये, फिर हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिये। गैर-सरकारी मदद पर एक बात मैं कह देना चाहता हूं। राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि आखिर गैर-सरकारी लोग क्या करते हैं। मैं कहता हूं कि गैर-सरकारी लोगों से सब जगह जाकर पूछिये कि क्या होता है?

हम तो कहते हैं कि गैर-सरकारी लोगों ने अध्यक्ष महोदय, किया कुछ। परन्तु अगर उन जिलों के अधिकारियों के भरोसे पर यह बाढ़ वाले लोग रह गये होते तो उनकी और भी न जाने कितनी दुर्दशा हुई होती। गैर-सरकारी लोगों ने उनकी मदद जरूर की है? लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि गैर-सरकारी लोगों को प्रोत्साहित कहां किया जाता है? महात्मा गांधी हमारे में भी होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे में भी होते तो हम भी गैर-सरकारी मदद पर काफी भरोसा करते जैसा किसी जमाने में ऐसी बात हुई है। परन्तु आज अवस्था भिन्न है। राष्ट्र की सरकार होने के नाते आज सर्वप्रथम उसकी ओर देखना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष-- आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)--मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इत्तफाक से मैं भी उसी अभागे जिले का बाशिन्दा हूं जहां कि बाढ़ और अकाल आया करता है। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिला यों तो अकाल के लिये प्रसिद्ध रहा ही है लेकिन आज कल साल बसाल जब देखिये तब बाढ़ का एक नया प्रकोप वहां होता जा रहा है। अब तक रापती, रोहिणी और घाघरा नदियों में बाढ़ आया करती थी लेकिन इस वर्ष अध्यक्ष महोदय, संयोग की बात है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई नहीं जानता था कि नारायणी में भी कभी बाढ़ आयी हो। उस नारायणी नदी में जो अप्रत्याशित बाढ़ आ गई जिसको कि बड़ी गंडक भी कहते हैं, उससे हमारे गोरखपुर जिले में सैकड़ों गांव बरबाद हो गये, कई हजार मवेशी बरबाद हुये और कुछ मनुष्य बह कर भी मर गये। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मुझे दो एक बातें और कहनी हैं। उसके बाद मैं मूल समस्या की ओर जाऊंगा।

अभी-अभी हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो बयान दिया है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि आज जहां पर वह यहां यू० पी० गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं, और बिहार गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं, वहां अगर बिहार में इन्हीं सोशलिस्ट भाइयों को देखा जाय तो वह बिहार गवर्नमेंट की बुराई और यू० पी० गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे। यह एक रवैया सा उनका बन गया है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ सहायता दी गई है, वह अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि उसमें अपने भरसक सहूलियत देने का प्रयत्न किया है। एक बात उन्होंने और बतलायी है कि १४ लाख आबादी इन नौ जिलों में बाढ़ ग्रस्त है और १,३५ हजार रुपया दिया गया है और एक महीने के अन्दर बांटा जा रहा है, जरा सोचिये क्या हिसाब पड़ेगा? मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कहता हूं कि जरा वह हिसाब लगायें कि क्या हिसाब पड़ा? और जो वहां टेस्ट वर्क्स कटिया, जड़हन, बैठाई वगैरह हैं, वह किस लिए हैं, वह भी तो उन्हीं के लिए हैं? इस तरह से गलत इल्जामात न लगाये जायं। जो वास्तविकता है उस पर परदा न डाला जाय।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कि जो बांध बांधे गये हैं सारन जिले में नारायणी नदी पर और घाघरा पर उनके बारे में उन्होंने कहा। उसके बारे में मुझे यह कहना है कि नारायणी नदी जैसे ही निकलती है, पहले गोरखपुर जिले में आती है और धीरे धीरे वह बिहार की ओर बढ़ती है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती है उसकी धार कम होती जाती है। लेकिन गोरखपुर जिले में उसकी धार बहुत तेज होती है। हम लोगों ने माननीय डा० सीताराम जी के साथ देखा था कि खड्डा के आगे नौ मील की चौड़ाई में वह नदी बह रही थी। कभी यहां काटती थी और कभी वहां काटती थी। मैं माननीय गेंदा सिंह से कहता हूं कि जरा वह उस रेवले पुल बगहा को भी देखें जिसको नारायणी नदी बहा ले गयी। जब वह दो मील चौड़ा पक्का पुल नहीं टिक सका तो वह बांध कहां टिक सकता है?

हां कुछ बातों की ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान अवश्य दिलाऊंगा जिनकी ओर से नजर फेर लेना भी ठीक नहीं है।

[श्री शुकदेव प्रसाद]

फ्लड कोष के बारे में जसा कि कहा गया है उससे जो कुछ सहायता मिली है वह समय पर नहीं मिल पाई है। इसकी शिकायत अवश्य है। मैं अपने गोरखपुर जिले के बारे में जानता हूं कि जिलाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक करीब ३ लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं। उसके अन्दर केवल एक हजार रुपया जो बांटा गया, उससे बड़ा दुख हुआ था। जिलाधीश महोदय से इसके बारें में कहा गया, उन्होंने उस सहायता को बढ़ाया। लेकिन पहले जो सहायता दी गयी थी वह बहुत कम थी। इसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब बाढ़ आती है, उस समय तुरन्त ही सहायता पहुंचनी चाहिये और सहायता में केवल चना और चावल ही न दे दिया जाय बल्कि यह भी बहुत आवश्यक होता है कि उनको मिट्टी का तेल और माचिस भी दी जाय, क्योंकि बाढ़ के समय में बहुत से जहरीले सांप छप्परों पर और चारपाइयों पर चढ़ जाते हैं। वह मनुष्यों को काट लेते हैं, और लोग दवा न कर पाने के कारण मर जाते हैं।

फ्लड कमेटी गोरखपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि साल के अन्दर उसकी कोई बैठक नहीं हो पाती। अभी माननीय डा० सीताराम जी बाढ़ का निरीक्षण करने गये थे। उस समय जिलाधीश महोदय ने कमेटी की बैठक बुलायी। लेकिन उसके पहले न कोई बैठक हुई थी और न उसके बाद कोई बैठक हुई। ऐसी हालत में जो बाढ कमेटी बनी है उसकी सिफारिशों पर कैसे गौर किया जा सकता है? बाढ़ कमेटी की बैठक कमसे कम बाढ़ आने से पहले, बाढ़ आने के वक्त और बाढ खत्म हो जाने के बाद होना बहुत आवश्यक है। एक बात और कहना चाहता हूं और वह है नावों के बारे में। कहा गया है कि नाव के लिये तकावी दी जा रही है। लेकिन हमारे गोरखपुर जिले के अन्दर कोई नाव अब तक नहीं बनी है, न किसी नाव के लिये तकावी मिल पायी है ताकि कोई नाव उस तकावी से बन सके। नाव के बिना वहां बड़ी दुर्गति हो रही है। दूसरे उपायों की अपेक्षाकृत उसका प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है। कम से कम हर क्षेत्र में नाव का होना आवश्यक है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहूंगा। जहां देवरिया में १२ हजार आदमी टेस्ट वर्क्स में लगे हुये हैं, गोरखपुर जिले के अन्दर जहां पर नारायणी, छोटी गंडक, राप्ती रोहित, घाघरा सभी नदियों ने अपना प्रकोप फैला रखा है, एक भी आदमी टेस्ट वर्क्स पर नहीं है। जिलाधीश को भी लिखकर हमने दिया था। उनसे कई बार बातचीत भी की। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया कि फौरी सहायता के लिये टेस्ट वर्क्स चाहिये, लेकिन अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। मैं सरकार से तकावी नहीं चाहता क्योंकि कर्जा लेने की आदत अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम लोगों को काम और खाने को दिया जाय। इसलिये बहुत आवश्यक है कि उनको टेस्ट वर्कस में काम करने का मौका दिया जाय।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पारसाल भी बाढ़ आयी थी। लेकिन छूट जिन काश्तकारों की फसल बरबाद हो गयी, नहीं दी गई। इस वर्ष भी वही हालत है। छूट की रकम जो पारसाल बाढ़ग्रस्ट क्षेत्र था और इस साल भी है, उनको छूट दी जाय ताकि अगर वह बाढ़ द्वारा हुये अपने नुकसान को न पूरा कर पायें, तो कम से कम उनको लगान में तो छूट मिल जाय।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ हमारे सूबे के अन्दर प्रायः हमेशा ही, हर साल आती रहती है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ का प्रकोप अधिक हुआ है। दुर्भाग्य से बहराइच जिले की ऐसी कांस्टीटुएंसी से मैं भी यहां आया हूं कि जहां बाढ़ के प्रकोप से बहुत ही हानि हुई है। बहराइच जिले के अन्दर घाघरा और सरयू नदियों की प्रारम्भिक छोटी-छोटी धारायें शुरू शुरू ही में उबलने लगती है जो कि जिले के अन्दर आकर एक वृहत रूप धारण कर लेती हैं। अतएव बहराइच जिले के ऊपर बाढ़ का बहुत भीषण प्रकोप होता है, जब कभी भी होता है। माननीय राजस्व मंत्री ने बाढ़ कमेटी की २५ सिफारिशों का जिक्र किया और उन्होंने

सारी स्थिति से इस सदन को अवगत कराया। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह तो जरूर कहा कि हम सरकार को दोषी नहीं ठहरातें किन्तु उनके सारे भाषण को सुनने के बाद मेरी समझ में सारांश जो कुछ आया वह यही आया कि जो कुछ बाढ़ से संकट आता है उसका दारोमदार सरकार पर ही है। उन्होंने बिहार सरकार और आसाम सरकार की बहुत प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने वहां के समीपवर्ती जिले के निवासी होने के कारण यह भी बतलाया कि बिहार में नदियों के किनारे बांध बने हुये हैं और यहाँ उन्हीं नदियों को कूदने खेलने के लिये खुली छूट दे रक्खी है। लेकिन जब बिहार के फीगर्स देखे जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि ३६ लाख ६५ हजार एकड़ भूमि बिहार की बाढ़ ग्रस्त हल्के में आ गई है। श्री गेंदा सिंह जी के मुख से यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ कि वहां बांध बने हुये हैं और सुचारू प्रबन्ध है। एक समझदार व्यक्ति की समझ में तो यह बात नहीं आ सकती कि किस प्रकार वह उस सरकार की तारीफ करते हैं जबकि आये वर्ष बाढ़ वहां चूकती नहीं। साथ ही उन्होंने यह कहा कि ५ करोड़ रुपया वहां की सरकार ने इस वर्ष खर्च कर दिया है। वह पेपर मैंने भी देखा है। उसमें लिखा है कि अब तक कुल १४ करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च कर चुकी है और बिहार सरकार का अन्दाजा है कि ५ करोड़ रुपया इस वर्ष भी खर्च हो जायगा। कहा नहीं जा सकता कि ५ करोड़ खर्च होगा या नहीं। इसमें ३ करोड़ रुपया तकावी का भी शामिल है। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने केवल १ लाख ३५ हजार रुपया ही खर्च किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना शर्मनाक बात होगी। मैं अपने जिले के सम्बन्ध में जानता हूं कि सरकार ने १५ हजार रुपये मुफ्त बांटने के लिये आदेश दिये हैं और ४ लाख रुपया तकावी पर दिया जायगा। बहराइच के जिले के लिये १५ हजार मुफ्त और ४ लाख की ताकावी जहां कि २ लाख २४ हजार एकड़ जमीन बाढ़ ग्रस्त है स्वीकृत हुआ है और देवरिया में भी २ लाख २४ हजार एकड़ जमीन ही बाढ़ ग्रस्त है। ऐसी हालत में कुल १ लाख ३५ हजार ही दिया गया कहना, यह चीज सत्य को छिपाना है।

सरकार जहां सर्तक है बाढ़ से पीड़ित भाइयों की सहायता करने के लिये वहां पर थोड़ी सी बातों की ओर मैं भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बाढ़ की विशेष समस्या रहती है। इसलिए आते आते सन् ५२ में ही एक प्रश्न राजस्व मंत्री की सेवा में मैंने उपस्थित किया था कि बहराइच जिले में बाढ पीड़ितों की सहायता के लिये कितनी नावें मौजूद हैं? कहा गया कि १४ नावें मौजूद हैं और ११ नावें और बनाने के लिये मंजूरी दी गई है। मुझे पता नहीं कि वे ११ नावें बनी या नहीं बनी। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि १४ की १४ नावें कैसरगंज तहसील में काम कर रही हैं जो अपर्याप्त थीं और उसके बाद नानपारा तहसील आती है। यह ठीक है कि कैसरगंज में सबसे भीषण प्रकोप होता है, सारी नदियां मिल कर वहां पहुंच जाती हैं लेकिन नानपारा तहसील में एक भी नाव नहीं थी। ११ नावें बनी हों या नहीं बनीं हो लेकिन नाव की एक भीषण समस्या है जिसके बिना लोगों को कष्ट होता है इस पार से उस पार जाने में।

साथ ही जंगलात के विषय में भी निवेदन कर दूं कि जंगलात में पशुओं को चरने के लिये मौका दिया जाता है लेकिन वह फार दी टाइम बींग दिया जाता है। और बाढ़ का प्रकोप खत्म होने के बाद बरसात के डेढ़ दो महीने तक पशुओं को कष्ट रहता है। इस संबंध में कुछ समाचार मुझे प्राप्त हुये हैं क्योंकि मैं अभी बाढ़ के दौरान में गया भी था तो मेरी लोगों से मुलाकात हुयी और मैंने अपने क्षेत्र को देखा और मैंने उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में एक प्रार्थनापत्र भी भेजा है। हां, एक बात जरूर दुख की है कि जो फीगर्स ९ जिलों के हमने देखे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि बहराइच जिले में कुछ ही मकानात कटे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बहुत से गांव हमारे जिले में कट गये हैं जिसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है। मुझे आशा है कि पूरी रिपोर्ट आ जाने पर उनकी सहायता की जायगी।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसा दैवी प्रकोप हुआ करता है कि जिसमें प्रकृति प्रलयकारी अपना हाथ उठाया करती है। इस समय हमारे प्रदेश का पूर्वी भाग ऐसा ही स्थल बना हुआ है। जैसा कि हमारे पूर्वज बतलाते हैं कि आज से ५० वर्ष पूर्व तक कभी भी इस प्रकार का दैवी प्रकोप नहीं हुआ था। लेकिन २७ जुलाई को एकाएक देवरिया जिले के अन्दर जो दैवी प्रकोप हुआ उस दैवी प्रकोप को, जहां तक मेरी बुद्धि का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं कि उस प्रकोप को शाँत करने में मानवीय प्रयत्न कोई कामयाब नहीं हो सकता था। यह बात दूसरी है कि कुछ लोग अपने दिल दिमाग से ऐसी बात बनाते हैं किन्तु ऐसे अवसर पर इसको शांत करना कल्पना की बात है। देवरिया जिला २२ लाख की जनसंख्या से स्थापित है और देवरिया जिले के अन्दर ४ तहसील स्थापित हैं--पड़रौना, हाटा, सलेमपुर और देवरिया। २२ लाख लोगों के सामने देवरिया जिले में जो बाढ़ आयी वह २२ लाख जनता के सामने एक लम्बा सवाल पैदा हो गया। उस समय जिले के शासन अधिकारी सरकारी कर्मचारी और जिले के जो जिम्मेदार आदमी थे उनके दिमाग चक्कर काटने लगे लेकिन उस दैवी प्रकोप के सामने जहां तक हमारे सामने बुद्धि रही और जहां तक हमारी अक्ल काम करती रही सरकार के आदमी और गैरसरकारी आदमी वहां पर टूट पड़े। १३ अगस्त का किस्सा है कि हाटा तहसील, ग्राम मलइया स्टेशन खड्डा के करीब आकर ३० फुट पानी जम गया। मालूम होता था कि यह समुद्र मंडरा रहा है। उस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि जितने लोग वहां पर थे वह घबरा रहे थे कि अब हमारी जान नहीं बच सकती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक बाढ़ के समय सहायता करने का प्रश्न है वहां यह सोशलिस्ट लोग नहीं थे जो आज इस प्रकार की बात कहते हैं, वहां पर उनका पता भी नहीं था। वहां पर देवरिया जिले का हर एक सरकारी कर्मचारी और हर विभाग का कर्मचारी तथा देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया जिले के तहसील के हर एक हाकिम परगना, आनरेरी मैजिस्ट्रेट और देवरिया जिले के कांग्रेस कमेटी के समुचित कार्यकर्त्ता वहां पर मौजूद थे। पानी के ऊपर आने के कारण वहां पर त्राहि-त्राहि मचा हुआ था। मैं इस बात को भूल नहीं सकता हूं और इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि जिस तरह से हमारे सम्मानित सदस्य यह कहते हैं कि सरकारी अफसर रिपोर्ट को छिपाते हैं यह बिलकुल मिथ्या है, बिलकुल गलत है और निराधार है तथा जाल है। हमारे प्रदेश के अन्दर देवरिया जिले में जो इस तरह की बाढ़ आयी उसमें देवरिया के सरकारी अफसरों ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। उनके साथ में हम वहां के जनप्रतिनिधि मौजूद थे हमारे दिल में उनके लिये यह भाव आ जाता है कि उन सरकारी कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और उनके उस कर्त्तव्य-पालन को जिले का हर एक आदमी याद करता है। मैं अपने जिले के समाजवादी सदस्यों को आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि उस दिन देवरिया जिले का हर एक सरकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित था कोई फावड़ा लिये हुये थे तो कोई खांचा लिये हुये था। उस रात को भयंकर बारिश हो रही थी बिजली तड़क रही थी लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे अंधकार में इधर-उधर भागे फिर रहे थे, उनके पीछे हजारों आदमी रास्ता साफ करने में लगे हुये थे, यह कोई साधारण बात नहीं है, कोई हंसी या मामूली बात नहीं है। जब तक बाढ़ का प्रकोप रहा मैं कहूंगा कि देवरिया के मैजिस्ट्रेट ने जो काम किया वह अत्यन्त प्रसंशनीय था और इसके लिये उनको हर तरफ से बधाई दी गयी।

विरोधी पक्ष से कहा यह गया है कि देवरिया की जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें बहुत सी बातें छिपायी गयी हैं। देवरिया की रिपोर्ट का जहां तक संबंध है, मैं यह बतला देना चाहता हूं कि ५४६ गांव बाढ़ ग्रस्त हुये हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से भी यही बताया गया होगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी लिखा होगा। २५ हजार रुपया लोगों को मुफ्त सहायता दी गयी, देवरिया में ९ लाख रुपया तकावी में बांटा गया। देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने धनीमानी लोगों को नाव में चना नमक इत्यादि बांटने के लिये प्रोत्साहित किया। जिन रास्तों पर जाने में हम लोगों को खतरा मालूम होता था, पैर कांपते थे, उन रास्तों से सरकारी कर्मचारी भागते फिरे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा उनके पीछे मदद के लिये तमाम आदमी चले जा रहे थे। यह कोई साधारण बात नहीं है।

विरोधी सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि उनके दल के किसी भी सदस्य का उस भयंकर प्राकृतिक प्रकोप में पता तक नहीं था लेकिन आज उसकी पूर्ति में हम देखते हैं कि उनके द्वारा अखबारों में यह स्टेटमेंट निकाला जा रहा है कि अनशन करेंगे या इस्तीफा दे देंगे। मैं समझता हूं कि न तो कोई अनशन की जरूरत है और न इस्तीफे की जरूरत है और न वे ऐसा चाहते ही हैं लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से अखबारों में उनका स्टेटमेंट निकल जाता है, उनका प्रचार हो जाता है। जो विरोधीदल के सदस्य अभी बोल रहे थे :.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर गरमी लाने के बजाय भाषण में वाकआत बताये जायं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शिवप्रसाद--अध्यक्ष महोदय, जब सच्ची बात पर परदा डाला जाता है तो हर नौजवान के बदन में कुछ गरमी आ ही जाती है। मैं यह बतला रहा था कि इस तरह से जो काम किया गया है वह गांव के लोगों को अपने दल की तरफ लाने के लिये, चुनाव में लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही किया गया है। इसी वजह से ऐसे स्टेटमेंट्स दिये जाते हैं और असेम्बली में अक्सर बोल दिया जाता है और इस प्रकार से उनका प्रचार हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से जनता को भुलावे में नहीं डाला जा सकता है। कोई भी आदमी इस बात का पता लगा सकता है कि देवरिया में क्या सहायता की गयी है। जब भयंकर बाढ़ आयी है और इतना नुकसान हुआ है तो जनता को भलीभांति सुसज्जित नहीं किया जा सकता लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि जो सहायता की गयी है वह संतोषजनक है। यदि और भी सहायता की आवश्यकता होगी तो सरकार उसको भी देने को तैयार है। हम लोगों की मुख्य मंत्री जी से सहायता के संबंध में बातें हुई थीं उन्होंने हमें सब प्रकार का आश्वासन दिया और शीघ्रता से अपनी मंजूरी दी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से जो भी आवश्यकतायें जाहिर की गयीं उन सब की पूर्ति की जाती रही। इस पर भी यह कहना कि हमारी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, यह एक गलत प्रचार है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ५२ में जब हम इस सदन में पहले पहल आये थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुये यह संकल्प किया था कि हमारे प्रदेश में कोई भी जन एवं पशु भूखा नहीं मरने पायेगा। ५३-५४ में उन्होंने इसको दुहराया लेकिन जब इस कसौटी पर हम आज की परिस्थिति को कसते हैं तो उस संकल्प से मुख्य मंत्री को बहुत दूर पाते हैं।

सन् ५२ में जो सहायता सरकार की ओर से बाढ़-पीड़ितों को दी गयी थी, मैं समझता हूं कि उसके मुकाबले में आज की सहायता नहीं के बराबर है। अध्यक्ष महोदय मैं किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं तो उस देहात और गांव में बसता हूं जहां घाघरा और राप्ती की संयुक्त धारा बहती है और मुझे संतोष हो जाता है जब उन सब भूखों नंगों के बीच में अपने को भी देखता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं बनिस्बत हम लोगों के। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा एक रिपोर्ट जो २५ कामों की दी गयी है और बाढ़ के संबंध में एक तालिका प्रस्तुत की है। अभी उन्होंने आजमगढ़ के बारे में कहा कि पारसाल के मुकाबले में इस साल थोड़े इलाके में बाढ़ आयी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस रिपोर्ट को गलत कहूं या माननीय राजस्व मंत्री जी को गलत कहूं? रिपोर्ट में है कि इस साल एक लाख ४५ हजार एकड़ में बाढ़ आयी और पार साल एक लाख ३७ हजार ४४२ एकड़ में बाढ़ आयी थी। अब मेरी समझ में बात नहीं आयी कि यह रिपोर्ट गलत है या माननीय राजस्व मंत्री जी का कहना गलत है। २५ कामों के संबंध में कहना चाहता हूं कि बड़ी तफसील के साथ बातें कही गयीं लेकिन अध्यक्ष महोदय माननीय गेंदासिंह के देवरिया जिले में तो नाव का कुछ प्रबन्ध हुआ परन्तु मेरा यह दावा है कि आजमगढ़ जिले में सरकार की ओर से ऐसी नावें जो सरकार की सहायता से बनी हों एक भी नहीं हैं। मैं दो चार दिनों तक बाढ़-पीड़ित क्षत्रों में घूमा हूं। दुधिया देवारा, जहां से घोसी तहसील प्रारम्भ होती है, सगड़ी तहसील श्री विश्रामराय तथा श्री उमाशंकर जी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां घाघरा नदी प्लावित करती है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आंखों से वहां का जो दृश्य देख कर आया हूं उससे कह सकता हूं कि सन् ५२ के मुकाबिले में अधिकारियों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को बचाने एवं अन्न वितरण का प्रबन्ध नहीं के बराबर था। अभी मुझे वहां से एक चिट्ठी मिली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। यह चिट्ठी ३० तारीख की ही लिखी हुई है। इसमें लिखा है--

"मैं २३ तारीख को ही नैनीजोर देवारे में गया था। वही दृश्य हर जगह था जो चक्की हाजीपुर में देख चुके हैं। यहां नाव की बहुत कमी है। सिर्फ दो नाव हैं जो राजा देवारा के आदमियों को लेकर नैनीजोर आती हैं और वापस जाती हैं। जानवर उतरने का कोई प्रबन्ध नहीं है। गोलाघाट का ठेकेदार ७ रु० एक बार का किराया लेता है। उस पर दो या चार जानवर उस पार जा सकते हैं। लोग अपने जानवरों को ६, ६ मील पानी में तैरा कर बाहर निकाल रहे हैं। मुसहवा देवारा का एक चरवाहा अपनी तीन भैंस के साथ लापता है। रमोल चमार झगरहवा (देवारा राजा) का मकरन्द के पोस्ट आफिस से रुपया लेकर जा रहा था, पानी में डूब कर मर गया। कोई भी सरकारी नाव नहीं है। चना भी पूरे क्षेत्र में नहीं बांटा गया है। अजगरा मशरकी, इस्माइलपुर, अराजी देवारा नैनीजोर में दो-दो चार-चार घरों को दे दिया गया है। अभी बाढ़ घट नहीं रही है"। अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में लिखा है कि आजमगढ़ जिले में कोई जानवर नहीं मरा है, कोई आदमी नहीं मरा है। लेकिन जिन लोगों ने यह रिपोर्ट दी है, वह गलत हैं क्योंकि सगड़ी तहसील के परगना हाकिम को छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी गजटेड अफसर घोसी तहसील के दुघिया देवार को छोड़कर दुवारी देहात के बाढ़ के इलाके में नहीं गया है मैंने ही सरकार को पत्र लिख कर शिकायत की कि आजमगढ़ जिले के घोसी तहसील के परगना अधिकारी बाढ़ क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, पार साल भी मैंने शिकायत की थी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से बाढ़ को रोकने के लिये मुस्तैदी के साथ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आंवरा, नाला, बसनही, ताल पताछ कसारानाला, आदि में से नहर निकाल कर पानी बहाया जाय जिससे फसल बरबाद न होने पाये। जिस जिले से मैं आया हूं वहां पर सगड़ी और घोसी तहसीलों में घाघरा और राप्ती अपने पूर्ण वेग से प्लावित करती हैं और लाखों आदमियों के प्रभावित होने पर भी सरकार ने वहां कोई कदम नहीं उठाया है। कई बार यहां सदन में भी कहा गया और पारसाल भी जब आजमगढ़ में असेम्बली का उपनिर्वाचन हुआ था और जब संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी भी सगड़ी और घोसी गये थे तो ध्यान आकर्षित कराया गया था। सरकार जो पैसा देती भी है उस का भी गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और वह तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे सत्ताधारी दल के लोग खुश रहें और बिलकुल गलत तरीके से उस को मुक्त हस्त से खर्च और अपव्यय किया जाता है।

इस साल भी टेस्ट वर्क के सिलसिले में जो ७५ हजार रुपया दिया गया है लेकिन आजमगढ़ में अभी टेस्ट वर्क की शुरुआत भी नहीं हुई है। १ लाख ६५ हजार आदमी प्रभावित हुये हैं लेकिन दस हजार रुपया मुफ्त सहायता के लिये दिया गया है जो बहुत ही अपर्याप्त है कम से कम ६ मास के लिये मुफ्त सहायता होनी चाहिये। पारसाल की बाढ़ के कारण आजमगढ़ में १६ आने में से ६ आने की छूट दी गई थी। लेकिन ऐसे लोगों से पूरी, दूनी तक मालगुजारी वसूल कर ली गई है। जिनके बारे में मैंने चिट्ठी माननीय राजस्व मंत्री को दी है, कि आज बाढ़ के समय भी उन से तकावी मालगुजारी वसूल करने के लिये उन्हें खम्बे में बांधा जाता है और मजबूर किया जाता है कि किसी प्रकार देय धन प्राप्त हो जाय। इस संबंध में मैंने सरकार का ध्यान अनेक प्रकार से इस ओर दिलाया, तार दिये, चिट्ठियां लिखीं, निवेदन भी किये गये, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार गैर कानूनी काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार द्वारा अब तक नहीं हुई।

मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर सरकार चाहती है कि बाढ़ रुके या उन में कमी हो या वहां की जनता को सही तौर पर कोई राहत मिले तो उसको आजमगढ़ की तरफ काफी ध्यान देना होगा। घोसी और सगड़ी तहसीलें जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ें आती रहती हैं लेकिन सरकार की ओर से आज तक बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों से आजमगढ़ जाने के लिये कोई मार्ग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुछ टूटी-फूटी सड़कें हैं। ३ साल से बराबर कहा जा रहा है कि वहां पर बरसात में सदर तक जाने के लिये नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई बैल गाड़ी, मोटर बिलकुल नहीं जा सकती है, रौनापार से बिलरिया गंज, मधुबन से दुबारी वाया पएसया, दोहरीघाट से मधुबन सड़क तथा दुबारी से तुरतीपार (बलिया) तक बांध शीघ्र बनवा दिया जाय। ३ साल से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं है अगर अचानक वहां कोई घटना हो जाय तो किसी को बहुत देर तक तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। जो बंध सूरजपुर से दुबारी जाती है हाहानाला के पार मान्धाता सिंह जी का क्षेत्र है इस बीच में अगर ६ मील का बाँध बंध जाता तो जो बाढ़ होती है वह देखने को नहीं मिलती और बरहज बाजार जिला देवरिया से फतेहपुर तालरतोप तक समुद्र का दृश्य देखने को मिलता है वह न मिलता।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त पूरबी जिले लगातार ४ साल से बाढ़ग्रस्त हैं, सूखा वहाँ पड़ा है, ओला वहां पड़ा है। वहां की हालत देखते हुये जितनी तकावी बाकी है, जितनी मालगुजारी बाकी है, जितना टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बाकी है--अर्थात् सब देय धन--सरकार को मुस्तैदी दिखला कर ईमानदारी से सब माफ कर देना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की है कि वहां के जिला बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस माफ करना चाहते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि हायर सेकेंड्री स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले इन इलाकों के लड़कों की पूरी फीस माफ की जाये और पढ़ाई-लिखाई जारी रखने के लिये सरकार की ओर से और अधिक मदद होनी चाहिये और साथ ही साथ यह इंतिजाम सबसे जरूरी है कि बाढ़ आने के पहले जनता को बचाने के लिये नावों का इंतिजाम हो। अध्यक्ष महोदय, नावों का कतई इंतिजाम नहीं होता है और माननीय शुकदेव जी का मैं समर्थन करता हूं जो उन्होंने कहा कि बाढ़ आ जाती है और पानी जब घरों में घुस जाता है तब वहां पर कमेटियां होती हैं और सरकार की ओर से तब जिला अधिकारियों को आदेश जाता है कि यह करो और वह करो। सरकार को चाहिये कि बाढ़ के आने के बहुत पहले से ही इस पर ध्यान देना शुरू करे कि बाढ़ कैसे कब्जे में आये। इसके लिये आज ही से सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह सही है कि यह प्रकृति का प्रकोप है लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि यदि मनुष्य और सरकारें प्रयत्न करें तो उन पर कब्जा न किया जा सके। जो मनुष्य और जो सरकारें प्रकृति पर भी कब्जा कर लेती हैं वही मजबूत सरकारें गिनी जाती हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार अगर चाहे तो जो इतनी मजबूत सरकार हो और जिसके साथ में इतना पैसा हो और जिसके मुख्य मंत्री जैसे बुजुर्ग नेता हों वह सरकार १२ जिलों में बाढ़ को रोकने में सफल न हो और १४ लाख आदमियों को रोटी देने के लिये, उनको काम देने के लिये, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिये धन देने, सब को जमीन देने के लिये कदम उठाना चाहे और वह न कर सके। मैं जोरदार शब्दों में अपील करता हूं कि यह जो कहा जाता है कि माननीय गेंदा सिंह जी जो कहते हैं वह सही नहीं कहते हैं या जो कोई और कहते हैं वह सही कहते हैं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। यह अच्छी चीज नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी को दावत देना चाहता हूं कि अगर माननीय गेंदा सिंह जी की रिपोर्ट गलत है तो वह देवरिया में और आजमगढ़ में जा कर देखें कि सही माने में इनकी रिपोर्ट ठीक है या गलत है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। यह कहा गया है कि सरकार ने बहुत बड़ा इंतिजाम किया है। इसका जवाब तो नारायणी, घाघरा और राप्ती की बाढ़ों से जो घर उजड़ गये हैं और जिनके नन्हें-नन्हें बच्चे दानादाना के लिये बिलख रहे हैं और जिनके घरों के लोग आज नंगे हैं और भूखे हैं और फिर भी मालगुजारी और तकावी उनसे सख्ती से वसूल की जा रही है यह जवाब तो वहां के लोग

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

दे सकते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय लोग जवाब दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री जी बड़ी दृढ़ता के साथ बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां के लोग हर तरह से पीड़ित हैं दबाये गये हैं और उनके आगे बढ़ने के कोई साधन नहीं हैं ऐसे क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बजट में कहा गया कि जो बाढ़-पीड़ित इलाकों के लोग ऊपर आना चाहें उन सब के लिये सरकार जमीन दे सकती है लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि अपने क्षेत्र के अपने गांव के पास मोलनापुर, देवारा बरोहा दिवारों और मूसाडोही दिवारे जो कटते जा रहे हैं वहां के लोगों ने दरख्वास्तें दीं। हमने चिट्ठी लिखी, लेकिन उन बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये सरकार ने अब तक जमीन नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केवल जिलाधिकारियों ने जो कुछ लिखा है उसी पर न रहें बल्कि माननीय मंत्री जी और और लोग भी घूम करके देखें कि सही मानों में वहां के अधिकारी उन उसूलों की पाबन्दी कर रहे हैं या नहीं जिनको वह वहां कराना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर राजस्व मंत्री जी से अपील करता हूं कि यह बाढ़-पीड़ित इलाकों से मालगुजारी और तकावी आदि जितने जो देय हैं सब माफ कर दिये जायं, विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई का इंतिजाम किया जाय और वहां के लोगों के भोजन का इंतिजाम किया जाय जिससे वहां की जनता अपने तकलीफ के दिनों को भी बिता सके। कटाव रोकने के लिये बंडाल बनवाये जायं। आशा है सरकार शीघ्र ध्यान देगी।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, अभी गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और अन्य बड़े जिलों की बड़ी-बड़ी बाढ़ों के क्षेत्रों की बात बड़े-बड़े वक्ताओं से सुनकर श्रीमन्, मुझे तो ऐसा भय हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि एक छोटे जिले के छोटे से हिस्से में जो बाढ़ आयी जिसके बारे में मैं कुछ निवेदन करने जा रहा हूं उससे शायद यह भवन प्रभावित न होगा। यह भी भय हो रहा है कि समुद्र आ जाते हैं, आसमान फट जाते हैं, पाताल जहां फट जाता है ऐसी जगहों की ओर देखकर शायद सरकार का ध्यान हमारे क्षेत्र की ओर न जा सके। परन्तु श्रीमन्, क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, लेकिन बाढ़ से जो जनता को कष्ट होता है, जो नुक्सान होता है यह तो एक सा ही होता है। मैं धन्यवाद के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुये यहां पर यह निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में जो बाढ़ आई उससे जान का नुक्सान नहीं हुआ लेकिन फसल बिल्कुल बरबाद हो गयी। जहां तक सरकार की सहायता का प्रश्न है अगर मैं यह बतलाने लग जाऊं तो मेरा सात मिनट का सारा समय उसी में चला जायगा। इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया। लेकिन जो त्रुटियां रह गईं, जो किया जा सकता था नहीं किया गया या पहले जो करना चाहिये था वह नहीं किया गया, इसके बाबत आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान ३-४ मिनट में दिलाऊंगा।

माननीय मंत्री जी ने फ्लड पोस्ट का जिक्र किया। मेरे यहां जहांगीराबाद में भी एक फ्लड पोस्ट है। वहां पर सरकारी नाव तथा सामान भी रहता है। वहां पर २२ सरकारी नावें रहती हैं। परन्तु श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि जब बाढ़ आई तो उस समय १३ नावें पानी के अन्दर थीं मई और जून में भी वह पानी के अन्दर से नहीं निकाली गई थीं। जिस समय बाढ़ आई आदमी दौड़ाये गये और बहरामघाट से भी कुछ मल्लाह वगैरा बुलाये गये तब जाकर कहीं कुछ काम चल सका। जिस नाव में मैं गया था उसकी यह हालत थी कि एक मल्लाह हर समय उसका पानी निकालता रहता था। जब मैंने तहसीलदार साहब को बतलाया तब कहीं जाकर उसकी मरम्मत शुरू हुई।

दूसरी चीज जहां-जहां मैं गया कहीं मुझे ऐसा भी मालूम हुआ कि सरकारी कर्मचारी जो भेजे गये वे सामान के साथ पता नहीं किस कारणवश वह गांव में नहीं गये। जितना जरूरी था सामान पहुंचना वह नहीं पहुंच सका लेकिन जितना सामान भेजा गया था वही ठीक तरह से और सुचारु रूप से नहीं बंटा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब श्रीमन्, जो कुछ बाढ़ से क्षति पहुंची उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। हमारे जिले की दो तहसीलों यानी बिस्वां और सिधौली में बाढ़ आई। बिस्वां में २५० गांवों और सिधौली में १५० गांव हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकारी रिपोर्ट में कितनी क्षति दिखाई जायगी। लेकिन जहां मैं घूम सका हूं उसको देखकर मुझे यह पता चला है कि १५० गांवों में तो अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होगा। मैंने पता लगाया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा तहसील के आफिसर्स से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि एक लाख रुपये की तकावी दी गई है और इतनी ही हर साल दी जाया करती थी जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि बड़ी जगहों में बाढ़ की चर्चा सुनकर शायद छोटा क्षेत्र वंचित ही रह जाय क्योंकि एक लाख रुपये की तकावी तो हर हाल दी जाया करती थी। अब हमारे यहां १५० गांव ऐसे हैं जहां एक भी दाना अन्न का नहीं होगा और २५० गांव ऐसे हैं जहां काफी क्षति हुई है। अगर हम ५० काश्तकार ही ऐसे लेवें जिनके यहां कुछ नहीं होगा तो करीब २५ हजार हो जाता है और इसके हिसाब से ४ रुपये प्रति व्यक्ति तकावी पड़ती है और अगर ५० आदमी लें तो प्रति व्यक्ति ८ रुपये पड़ती है। या तो ऐसे क्षेत्र छूट जायेंगे जिनको तकावी मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिलेगी या फिर ४/८ रुपये मिलेगी तो इससे तो अगर न दी जाय तो अच्छा है। इस समय आवश्यकता यह है कि रबी की फसल से पहले उनके पास बीज हो और जिनको माफी दी जाना हो उनको माफी दी जाय और मुल्तवी तो पूरे क्षेत्र में करने की आवश्यकता है।

*श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी बुंदेलखंड के रहने वाले अभी तक बाढ़ क्षेत्र में नहीं गिने जाते थे। ईश्वर की कृपा हुई या कोप हुआ कि हमारा बुंदेलखंड भी बाढ़ क्षेत्र में गिना जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां बाढ़ कभी नहीं आती थी इसलिये वहां के लोगों को बाढ़ का अनुभव नहीं था कि बाढ़ आये तो क्या करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ऐसा सुना जाता है कि पूर्वी जिलों में जहां हर साल बाढ़ आती है वहां वह लोग अपना खास-खास सामान पेड़ों के ऊपर टांग लेते हैं, पर हमारे यहां तो ऐसा है कि एक ही दिन में १४ इंच पानी पड़ा और दो ही घंटे के अन्दर ४½ फिट की ऊंचाई से पानी आया और हर गांव में फैल गया। जितने भी मकान और घर थे वह सब एक ही घंटे के अन्दर साफ कर दिये, एक पैसा उनके पास नहीं रहा, एक वस्त्र नहीं रहा, एक दाना उनके पास खाने को नहीं रहा। गनीमत यह हुई कि दिन का मौका था, जिससे वह लोग जीवित निकल गये। अगर कहीं रात होती तो न तो वे सहायता मांग सकते और न कोई सहायता दे सकता। श्रीमन्, १२ तारीख को बाढ़ आई, तो मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि १३ तारीख को कलेक्टर साहब और एस० पी० साहब दोनों मौके पर गये और जाकर देखा उस क्षेत्र को और घूमे। जितने कर्मचारी और अधिकारी थे उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई और जो कुछ उनसे सहायता हो सकती थी उन्होंने की। पुलिस के बारे में, अभी तक तो उनकी शिकायत सुनी जाती थी, परन्तु ईश्वर की कृपा से उन्होंने इतना नेक काम किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता की। रानीपुर के दो सिपाहियों ने तो, मुझे मालूम है, अपनी जान को हथेली पर रखकर काम किया। वह नदी में तैरने लगे और जो कुछ भी मिल सका, आदमी, बच्चे मिल सके, उन्होंने बचाकर गांव के अन्दर किया।

श्रीमन्, जबकि १४ तारीख को हम लोग गये और हर एक गांव में जाकर देखा तो ऐसा मालूम होता था कि यहां पर बस्ती ही नहीं है, यहां पर कोई मकान नहीं थे, यहां पर कोई गांव नहीं था, ऐसी दर्दनाक हालत देख कर हम लोगों के भी आंसू निकल पड़े और माननीय अध्यक्ष महोदय भी झांसी में उपस्थित थे। मैंने उनसे जाकर यह निवेदन किया कि आप भी इस वक्त यहां पर हैं, यहां का निरीक्षण कर लीजिये। श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय की यह मेहरबानी हुई, क्योंकि उनको तकलीफ थी। उन्होंने १६ तारीख को मऊ रानीपुर क्षेत्र का दौरा किया और गरोठा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गज्जूराम]

तहसील का दौरा किया। खुद वहां की हालत देखी और वह जानकारी की। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ८० फीसदी या ८५ फीसदी तो उसमें हरिजनों की ही क्षति हुई, क्योंकि हरिजनों के ही मकान नदी के किनारे बसे हुये थे और १५ फीसदी या २० फीसदी जो कुछ बचे हैं वह भी पिछड़ी जाति के हैं, जैसे कि अहीर हैं, गड़रिये हैं उनकी क्षति हुई। श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं अपनी सरकार से कि वहां पर जो तकावी के रूप में रुपया दिया जा रहा है, तो वहां के हरिजन तकावी लेने के काबिल नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी रुपया दिया जाय ज्यादा से ज्यादा वह सहायता के रूप में दिया जाय। वहां, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि विकास के द्वारा भी जितनी सहायता हरिजनों को दी जा सकती थी हरिजनों और कोरियों को, वह दी गयी। मऊ-रानीपुर में यह हालत है कि ५०० मकान के करीब जहां कि कोरी बस्ती थी, चमार बस्ती थी, धोबी बस्ती थी वह सब की सब नष्ट हो गयी। कोरी ज्यादातर कपड़े का काम करते हैं। उनके करघे सब के सब नष्ट हो गये। प्लानिंग द्वारा उन्हें यह सहायता दी गयी कि फी करघे के लिये ५० फीसदी गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जायगी। कुओं की यह हालत है कि एक भी ऐसा कुआं नहीं बचा जिसका पानी पीने के काबिल हो। जो भी कुयें बचे हैं वह भी बरसाती पानी से भर गये। वहां हेल्थ आफिसर ने यह किया कि दूध का पाउडर बांटने का प्रबन्ध किया और इंजेक्शनों का, दवा का इन्तजाम किया, हर जगह उन्होंने अपने कर्मचारियों को रख दिया।

श्रीमन्, मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां सहायता के रूप में रुपया दिया जाय।

एक चीज का निवेदन और करता हूं कि वहां के जो निवासी हैं उनसे उस जमीन को छुड़ाकर, जोकि नदी के किनारे बसते थे, कोई दूसरी जमीन दे दी जाय, जहां वह अपने मकान और गांव बसा सकें।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा आखिर में कि मकान बनाने के लिये जमीन और सहायता के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल के बाद इस सदन में फिर बाढ़ के ऊपर वादविवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आज जिस परिस्थिति में यह वादविवाद हो रहा है, वह पिछले साल से कुछ भिन्न है। आज की जो स्पीच माननीय राजस्व मंत्री जी की बाढ़ के सिलसिले में अभी हुई है, उसमें यथार्थवाद का पुट पारसाल से बहुत ज्यादा है। केन्द्रीय सरकार ने, सात वर्ष के बाद, मालूम होता है, सोते से जगकर इस राष्ट्रीय विपत्ति को देखा है और उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित हुआ है और उसने यह समझा है कि बाढ़ के मसले को एक राष्ट्रीय आधार के ऊपर लेकर वह उसे हल करने की कोशिश करे। साथ ही साथ हमारे महान देश के पड़ोसी हमारे मित्र महान चीन देश ने अपनी इस बड़ी समस्या का हल जिस प्रकार किया है उसके अनुभवों से लाभ उठाने की कोशिश भी केन्द्रीय सरकार ने की है। इन तीन बातों के कारण आज की यह बहस पार-साल की बहस से कुछ भिन्न परिस्थिति में हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मत से बाढ़ का प्रश्न एक राष्ट्रीय विपत्ति का प्रश्न है। यह राजनीति और राजनीतिक दलबन्दी के ऊपर का प्रश्न है। इसमें राजनीतिक गरमी ले आना यह किसी प्रकार से भी किसी के लिये इस सदन में उचित नहीं है और इसीलिये यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था कि भारत की केन्द्रीय सरकार इस मसले को अपने हाथ में लेती। यह किसी एक प्रांत का विषय नहीं है, न उत्तर प्रदेश का है, न बिहार, आसाम और बंगाल का है। यह प्रश्न पूरे भारत का है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की जो बड़ी नदियां हैं वह किसी एक प्रान्त में बहती नहीं हैं। वह कई कई प्रान्तों में होकर बहती हैं। इस कारण इसे प्रांतीय आधार पर लेना मैं समझता हूं कि एक गलत तरीका होगा। बाढ़ के विषय में प्रान्तीय सरकार के जो कर्त्तव्य हैं मेरी समझ से वह तीन

प्रकार के होते हैं। पहला कर्त्तव्य बाढ़ के पहले होना चाहिये, दूसरा बाढ़ जिस वक्त आ जाय तब और तीसरा बाढ़ के बाद। जहां तक बाढ़ के पहले के कर्त्तव्य के पालन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। साढ़े छः सात वर्षों के कांग्रेस राज्य के बीच में एक बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों के सामने पेश की गई है और इस प्रांत की जनता के सामने पेश की गई है। उसके बाद आगे उस पर कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। बाढ़ को रोका जाय, उसकी रोकथाम की जाय, इस पर कोई गम्भीर कदम इस सरकार की ओर से अभी तक नहीं उठाया गया। पारसाल जब इस सदन में मैंने इसकी शिकायत की थी तो मुझे याद है माननीय राजस्व मंत्री ने इसको यह कह कर बहुत ही हंसी के रूप में लिया था कि बाढ़ तो रोकी नहीं जा सकती, बाढ़ तो आयेगी, बाढ़ से तो लाभ ज्यादा होता है। इस तरह की दलीलें उन्होंने दी थीं। लेकिन, हां, इस साल की उनकी स्पीच काफी यथार्थवादी है और उसमें बाढ़ की रोकथाम करने की और बाढ़ पर कंट्रोल करने की बात भी कही गई है। तो बाढ़ न आवे, बाढ़ आवे तो कम नुकसान पहुंचावे, उसकी रोकथाम की जाय, यह सरकार का जो प्रथम कर्त्तव्य है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब बाढ़ आ जाती है, घर डूबने लगते हैं, मवेशी बहने लगते हैं, आदमी भी बहने लगते हैं तब सरकार की मशीन हिलती है और तब रिलीफ वर्क शुरू होता है। तो यह सरकार के हर साल के जैसे और काम होते हैं, उसी प्रकार का उसका एक काम हो गया है। मैं समझता हूं कि इस रुख में काफी तब्दीली की जरूरत है और बिना इसके बाढ़ के इस महान संकट का, इस महान राष्ट्रीय विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता।

इस साल की बाढ़ जो देवरिया जिले से लेकर आसाम तक आयी है जिसमें एक हजार मील की लम्बाई और १०० मील की चौड़ाई में पानी रुका हुआ है, इस तरह की बाढ़ अगर आये तो किसी भी सरकार के लिये यह एक मुस्तकिल समस्या बनी रहेगी और उसकी आमदनी का काफी धन उसमें खर्च हुआ करेगा। इसलिये मैं इस बात का नम्र निवेदन करूंगा कि और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुये हैं, बाढ़ की समस्या को प्रांतीय आधार पर स्थायी हल करने की कोशिश न करें। इस ओर केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिये, केन्द्रीय सरकार का ध्यान स्वयं मुख्य मंत्री जी इस ओर आकर्षित करें। केन्द्रीय सरकार गम्भीर तरीके से इस मसले को अपने हाथ में ले और पूरा उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में जहां जहां बाढ़ का प्रकोप होता है, वहां-वहां इस समस्या को हल करने की सही माने में कोशिश करें। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने जनवादी चीन का अनुभव प्राप्त करने की कोशिश की है। इस देश के दो इंजीनियर जो वहां से लौट कर आये हैं, उनके वक्तव्यों को पढ़ने से मालूम होता है कि उनपर काफी असर पड़ा है। चीन की सरकार ने, जब कि उनका देश साम्राज्यवादी विरोधी तथा क्रांतिकारी गृहयुद्ध की टक्करों के कारण छिन्न-भिन्न हो चुका था, फिर भी उन्होंने किस तरह से यांगत्सी हुवाई और हांगहो नदियों को कंट्रोल किया। यह कोई नहीं कह सकता कि बाढ़ को सर्वदा के लिये एकदम रोका जा सकता है। कभी-कभी ऐसी घटना हो सकती है जिससे तमाम मानव यत्न के बाद भी बाढ़ उसपर हावी हो जाय जैसा कि इस साल चीन में बावजूद तमाम प्रयत्नों के हो गया वहां भयानक बाढ़ इस साल आगयी। लेकिन इससे इसकी कीमत कम नहीं होती कि उन्होंने भयानक नदियों को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसका फल भी उनके और संसार के सामने है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस नये अनुभव को प्राप्त करने के बाद उस रोशनी में हमारे प्रदेश की बाढ़ समस्या का स्थायी हल निकालें। मैं इस पर विशेष जोर देता हूं कि स्थायी हल निकालने का प्रयत्न किया जाय। तभी हर साल सरकार अपनी शक्ति इधर बाढ़ के रिलीफ में लगाने से बचा सकती है।

इसके बाद मैं आजमगढ़ जिले के उस हिस्से की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गो कि माननीय रामसुन्दर जी के बोलने के बाद मेरा काम बहुत हलका हो जाता है कि घोसी और सगड़ी तहसील का उत्तरी हिस्सा घाघरा की बाढ़ से डूब चुका है। इस जिले में

[श्री झारखंडे राय]

टोंस और घाघरा दो बड़ी नदियाँ हैं। पार साल टोंस ने काफी नुकसान पहुंचाया और इस साल भी उसके किनारे के जितने गांव थे, वह पीड़ित हैं और उनकी फसलें बरबाद हो चुकी हैं। केवल पश्चिम घोसी में २२ क्षेत्र हैं जिनमें कुल मिलाकर सैकड़ों छोटे बड़े गाँव हैं जिनकी फसलें बरबाद हो चुकी हैं मैं विशेषरूप से ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि घोसी तहसील और सगड़ी तहसील में जो घाघरा हर साल नुक्सान पहुंचाती है उसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिये कोशिश होनी चाहिये।

अन्त में मैं आपकी आज्ञा से कुछ सुझाव रखकर अपना वक्तव्य खत्म करूंगा।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री रुपये की कोताही, जिसकी चर्चा माननीय गेंदा सिंह जी ने की है, इस विषय में न करें और खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार पर विशेष जोर दें कि इस कार्य में फौज की सहायता अवश्य ली जाय।

हमारे देश में जो कपड़े और दवाओं के स्टाकिस्ट्स हैं उनसे काफी मात्रा में दवायें ली जायं और अगर वह देने से इंकार करें तो उनके स्टाक्स पर कब्जा करके उनको इस्तेमाल किया जाय।

जनता और अधिकारियों की एक मिलीजुली सर्वदलीय कमेटी हर जिले में स्थापित की जाय, केवल नाकारा नौकरशाही के जरिये वह इस घोर आपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकती।

हमारे प्रदेश में जितने देहाती क्षेत्रों के बेकार लोग हैं उनको इस बाढ़ रोकने के कार्य में सामूहिक रूप से लगाया जाय। जिन छात्रों के घर बह गये हैं और जिनकी सम्पत्ति की हानि हुई है उनकी फीस में कमी करके तथा उनकी पढ़ाई की जरूरतों में अन्य प्रकार से सहायता करना और ध्यान देना आवश्यक है।

आगामी फसल के लिये बीज का प्रबन्ध अभी से हो, अन्यथा ऐन मौके पर या तो सरकार के गोदामों में बीज नहीं रहेगा या सड़ा हुआ बीज रहेगा।

अन्त में पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिये खास तौर से मैं सरकार से अपील करूंगा।

सरकार का जो कर्जा जनता के ऊपर है उसमें कमी की जाय। लगान और टैक्स का जो बकाया है तुरन्त माफ किया जाय। बजाय फ्लड कमेटी के नदी कमेटी बनायी जाय। जो मजदूर बाढ़ के रोकने के काम में लगाये जायं, टेस्ट वर्क्स पर काम करने वाले मजदूरों की भांति उन्हें ५ आने रोज पर न रक्खा जाये बल्कि उन्हें पर्याप्त बुनियादी मजदूरी तथा अन्य सुविधायें, जनवादी चीन में इस काम में लगे मजदूरों की भांति, उनको काफी मजदूरी दी जाय। इस तरह एक राष्ट्रीय समस्या बाढ़ का स्थायी हल निकल सकेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सम्मानित सदस्य जगन्नाथ मल्ल ने अपने तथा माननीय राजस्व मंत्री के पत्र-व्यवहार का पूरा चिट्ठा दिया है और कुछ समाचारपत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई हैं। अगर उसी चिट्ठे को पढ़ कर देख लिया जाय तो हम समझ सकते हैं कि बाढ़ के रोकने में या बाढ़ग्रस्त पीड़ित जनता की सहायता करने में हम कितने दत्तचित्त हैं। जगन्नाथ मल्ल जी को माननीय राजस्व मंत्री का पत्र २ अगस्त को ही गया है और इसका तार उनको पहले ही मिल चुका है। इसके बाद माननीय राजस्व मंत्री वहां के जिलाधीश से बात करने की बात कहते हैं। ५ तारीख को वहां के कांग्रेसी नेता सिंहासन राय का तमकुही रोड, देवरिया से बयान आता है कि टेस्ट वर्क्स शुरू करने के लिये आदेश जिला मैजिस्ट्रेट को दिये जा रहे हैं और लखनऊ की खबर जो राजधानी से निकलती है वह कहती है कि बाढ़ का पानी घट रहा है। तहसील हाटा के खड्डा, छितौनी और कप्तान गंज तथा तहसील पडरौना के तरइया और सुजान नामक स्थानों में पानी घटा है। जरा इन्हीं तथ्यों पर

जाकर देखा जाय कि जो वहां के स्थानीय नेता और बाबा राघवदास जी का ५ तारीख का बयान है वह यह है कि पानी बढ़ रहा है, टेस्ट वर्क्स शुरू होने चाहिये, लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, जानें मुसीबत में हैं और लखनऊ की खबर जाती है कि पानी घट रहा है। हम परेशानी में पड़ गये हैं, श्रीमन्, बात समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है इस सदन में कि बेचारा जिलाधीश देवरिया मुलजिम है और कुछ लोग उसकी सफाई देना चाहते हैं और एक कोर्ट बैठी हुई है उनको सजा देने के लिये। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। हमें भी, श्रीमन्, अपने सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन करना होगा और वह परिवर्तन यह है कि अक्सर सोचा करते थे कि अंग्रेज साम्राज्यशाही हुकूमत में इतने दिनों तक काम करते-करते सरकारी कर्मचारियों की बुद्धि और उनकी प्रणाली उसी तरह की बन गई है, अब वह बदली नहीं जा सकती। मगर जब सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी कर्मचारियों की सफाई बार-बार दी जाती है और कहा जाता है कि बिल्कुल निर्दोष हैं और जितना भी एक इंसान में कूवत है उतनी कूवत लगा कर बेचारे काम करते हैं तो हम भी यही समझते हैं कि शायद सरकारी कर्मचारियों का ही दोष न हो, दोष तो मूल में है। यहां पर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी बैठे हैं जो प्राचीन संस्कृति, परम्परा और गौरव की बात किया करते हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि जब देश में आफत आती है, विपत्ति आती है तो उसका दोष मैं उनसे पूछता हूं कि राजा को दिया गया है या नहीं। जहां राजा पापी होता है वहां की जनता कष्ट भोगती है, यह बात पुराने ग्रन्थों में लिखी हुई है। श्रीमन्, पूज्य बापू जी भी पुरानी संस्कृति, परम्पराओं और गौरव का पाठ पढ़ाते रहते थे और नवीन मान्यताओं से उनको वजनी बनाते रहते थे। उसी पूज्य बापू की बात माननीय गेंदा सिंह ने कही थी। यह जो कहा जाता है कि अकाल (फेमीन) दैवी प्रकोप है, यह बात नहीं है। जितने रोग होते हैं सब के लिये कहा जा सकता है कि वे दैवी हैं लेकिन उनकी दवाई होती है, उन्हें निर्मूल किया जाता है, लेकिन यहां हम ऐसे वातावरण में पड़ जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि वस्तुस्थिति क्या है। स्थिति कुछ होती है और सफाई कुछ देने लगते हैं। देवरिया का जिलाधीश ऐसा मालूम होता है कि मानो भगवान पुरी में रहने वाला साक्षात देवता ही है। श्रीमन्, समय बहुत कम है। तो हमारा केवल इतना कहना है कि हम भी मान लें कि देवरिया के जिलाधीश देवतास्वरूप हैं। मगर देखना यह है कि क्या देवरिया जिले में, गोरखपुर जिले में और आजमगढ़ जिले में बाढ़ का संकट है या नहीं? एक तरफ तो श्रीमन्, मैं माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी डा० सीताराम का बयान पढ़ता हूं और दूसरी ओर पढ़ता हूं माननीय राजस्व मंत्री का बयान कि हमारे प्रान्त में बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। मैं उस समय बनारस में था। चिट्ठी लिखी कि माननीय राजस्व मंत्री का बयान अखबारों में निकला है कि हमारे प्रान्त में बाढ़ की समस्या नहीं है और फिर माननीय परिपूर्णानन्द जी का बयान अखबारों में पढ़ा.....

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि जिनका भाषण यहां पर नहीं हुआ है उनका जवाब आप न दें।

श्री चरणसिंह—मेरा बयान कौन सी तारीख को किस अखबार में निकला है?

श्री राजनारायण—वह अखबारों में निकला है उसको सब जानते हैं। मैं श्रीमन् आपकी आज्ञा से यह लिस्ट पढ़ देना चाहता हूं। इसमें बाढ़ से जो हानि हमारे प्रदेश में हुई है उसके १९५३ और १९५४ के आंकड़े हैं। यह नुकसान इस प्रकार से हुआ है कि हमारे प्रान्त के २५ जिलों के अन्दर १४,४५८ गांव बरबाद हुये, उसमें २२ लाख ५१ हजार एकड़ जमीन नष्ट हुयी, उसमें ३५ लाख ९२ हजार आदमी संकट-ग्रस्त हुये। इस साल के जो आंकड़े हैं सन् १९५४ के वह ९ जिलों के आंकड़े हैं। उसके अन्दर ७ जिले ऐसे हैं जो कि पारसाल की लिस्ट में भी शामिल हैं, यानी वह जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, बहराइच आदि यह जिले पारसाल भी

[श्री राजनारायण]

बाढ़ग्रस्त थे और इस साल भी बाढ़ग्रस्त हैं। इन ९ जिलों में इस साल १४ लाख ३ हजार एकड़ का एरिया बरबाद हुआ। १४ लाख ३० हजार लोगों की आबादी पर असर हुआ और ७०,३५० मकान बरबाद हुये। मगर जनहानि के बारे में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि केवल झांसी में ५ और बाराबंकी में २। जहां तक जानवरों का सम्बन्ध है गोरखपुर के एक सदस्य जो उनकी तरफ के ही हैं उन्होंने बताया कि कई हजार जानवरों की जानें गयीं।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वस्तुस्थिति को देखा जाय तो वस्तुस्थिति यह है कि कहीं न कहीं लापरवाही है और उदासीनता है। यह सरकार आज से नहीं जानती है। यह सरकार सन् १९४६ ई० से चल रही है और सन् १९३७ ई० में भी यही सरकार थी। तब भी यही महापुरुष थे जो आज यहां पर विद्यमान हैं और जिनकी सरकार आज कही जा सकती है। हर साल करीब-करीब बाढ़ आती है और हर साल हम सुझाव देते हैं। हमारे पारसाल के भाषण को पढ़ लिया जाय और पारसाल जो सुझाव दिया था उसको देख लिया जाय। क्या उन सुझावों के अनुकूल एक भी काम हुआ है? अभी एक सदस्य सुरेश प्रकाश सिंह जी ने बताया कि नाव पानी में तो जरूर थीं मगर बाहर नहीं निकाली गईं। परसाल मैं आजमगढ़ में था, वहां की मुसीबत गजब थी, कहीं नाव का पता न था। जो थीं भी वह बिल्कुल नाकाफी और खराब। गोरखपुर में मोटर नावें भी सब खराब थीं, केवल एक थी वह जिलाधीश के लिए। जो तथ्य है उस पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। हम सब लोग समाज के विकास और देश के उत्थान के लिये ही यहां बैठे हुए हैं। मैं बिहार, चीन और रशा के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। इसी सूबे में देखिये ज्यादातर दो स्थानों पर बाढ़ है। एक तो सरकारी खजाने में रुपये की बाढ़ है और दूसरी बाढ़ जनता के ऊपर आफतों की है। इन दोनों बाढ़ों में समन्वय कर दिया जाय तो जनता की मुसीबत वाली बाढ़ रुक जायगी। कहीं बरसात हो रही है और कहीं बाढ़ आ रही है, इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार जनता मुसीबत में ही है। उस जनता के मुसीबत के समय में सम्मानित सदस्यों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। उधर सरकारी बेंचों के सदस्य पहले तो कहते हैं कि सब मंगल है, सरकार ने जो कुछ किया है वह बहुत काफी किया है, लेकिन बाद में कहते हैं कि टेस्ट वर्क्स बाद में खुले, यह चीज ठीक नहीं हुई। मैं कहता हूं कि इस तरह से सरकारी पक्ष को सत्य मार्ग पर नहीं ले जा सकते।

अभी माननीय राजस्व मंत्री ने बताया कि गोरखपुर में २५८ मन गल्ला एक तारीख से १५ तारीख तक बांटा गया। अब इस २५८ मन गल्ले का हिसाब लगा लेना चाहिये। अगर आधा सेर प्रति आदमी के हिसाब से भी गल्ला रखा जाय तो वह १,३७६ आदमियों को बांटा गया जब कि गोरखपुर की पीड़ित संख्या ३,८४,००० है तो क्या उसमें से इन १,३७६ आदमियों को बांटा गया गल्ला काफी है? क्या ट्रेजरी बेंचेज इसको काफी समझती हैं? अगर वे इसको काफी समझती हैं तो भगवान ही मालिक है और हम ऐसा कौन-सा आधार पायेंगे, किसको काफी और किसको कम कहेंगे? मैंने यह पारसाल भी कहा था और आज फिर दुहरा रहा हूं कि नदियां छिछली होती जा रही हैं। पहले तो नावों से व्यापार होता था, नदियों में काफी अच्छी तरह से आना-जाना होता था और गुंजाइश रहती थी लेकिन अब रेल से व्यापार होने लगा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नदियों के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है?

दूसरी बात में सरकारी कर्मचारियों का दोष तो नहीं है, मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खरीफ की फसल में रेमीशन और सस्पेंशन दोनों दिये गये। गांधी जी कहते थे कि यह तो कानूनों का जंगल है अगर उसमें फंस गये तो वह सर पर सवार होकर सांप की तरह से डंसेगा। वही सांप आज राजस्व मंत्री जी के सर से चल रहा है। मेरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से बातें होती हैं। वे कहते हैं कि हम क्या करें? सरकार कहती है कि

हम तो इस कानून के मातहत छट देंगे। वे कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन अब क्या करें?

जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है सरकार ने आज इसी सदन में जो आंकड़े रक्खे हैं उन्हीं के लिये मैं चाहता हूं कि उसमें जो जो रिपोर्ट सरकार ने सदन के सामने रक्खी है उनसे ही यदि मैं इन आंकड़ों को ग़लत साबित कर दूं तो जो चाहे दंड आप मुझे दे दें, मैं उसको भुगतने के लिये तैयार हूं। यह पूरे तौर पर नहीं बताया गया कि गोरखपुर, देवरिया तथा दूसरे स्थानों में कितनी नावें हैं, कब दी गयीं और उन पर कितने मल्लाहों ने काम किया? खाली यह कह दिया जाता है कि सब जगह सुख ही सुख है। मैं माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन लाखों आदमियों को जो टेस्ट वर्क्स पर काम करते हैं, प्रतिदिन मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है? सदन में वे चाहे कितनी ही अच्छी बातें क्यों न कह दें लेकिन यह तथ्य है कि वह लोग भूखों मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है। वे भूखे हैं, जब खाने को नहीं मिलता है तब जाते हैं और मजबूर होकर ५, ६ आने पर काम करते हैं। जब एक-एक हफ्ते में और पांच-पांच दिन में उनको मजदूरी मिलती है तो इसमें क्या सरकार की कुशाग्रता है, क्या सरकार की चेतना है? इसी चेतना पर सरकार जितना काम करती है उसके लिये चाहती है कि उसे धन्यवाद दिया जाय? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन दिल ही नहीं उमड़ता तो फिर कैसे धन्यवाद दूं? अगर धन्यवाद के पात्र होंगे तब तो धन्यवाद दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। श्रीमन्, एक बात आप आंकड़ों का ही ले लीजिये। हमारे सूबे में खरीफ की ही फसल बाढ़ से ज्यादा नष्ट होती है और खरीफ की फसल में सरकार ने कितनी छूट दी है? अगर सारे सूबे के आंकड़े को देखा जाय तो मालूम होगा कि क्या छूट किसको मिली और वह भी कब मिली। वसूल होने के बाद छूट की खबर मिली और तब पर्चा गया। मैं लखनऊ जिले का ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि लखनऊ जिले के बाढ़ क्षेत्र में किसको छट मिली?

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल इतना ही अन्त में कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को दोष दे करके अगर किसी वस्तुस्थिति को सुधारना चाहते हैं तो नहीं सुधार सकते। यह विषय ऐसा है जिसको दोनों को चाहिये कि मिल कर चलें। जो गलत बात हो उसे गलत कहें और सही को सही कहें तभी हमारा काम अच्छी तरह से चल सकता है। आज यह सरकार निगेटिव डाइरेक्शन में रन कर रही है, तेज रफ्तार से भाग रही है, अर्थात् यह सरकार ऋणात्मक प्रतिक्रियावादी गति से चली जा रही है। इससे काम नहीं चल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से पचीसों रिपोर्टें पढ़ी गयीं। मैं कहता हूं कि २५ में से एक ही जिले को, माननीय गेंदा सिंह के देवरिया जिले को ही, ले लीजिये और वहां चले चलिये, हम भी वहां चलने के लिये तैयार हैं। अभी जो मेरे साथी बड़ी तेज आवाज में बोल रहे थे, मैं उनसे चौगुनी तेज आवाज में बोल सकता हूं लेकिन मैं धीरे-धीरे ही बोलूंगा। अनावश्यक गर्मी से किसी का लाभ नहीं है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप देवरिया जिले को ले लीजिये और आज ही चले चलिये। दो चार दिन वहां रहने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बुला लेंगे और तब उनको मालूम हो जायगा कि हम जो मुसीबतों की गाथा सुना रहे हैं, जो रोना रो रहे हैं वह सही है या जो वहां के कलेक्टर और सरकारी अफसर कह रहे हैं वह सही है। अगर उनकी गलती होगी और सरकार उसे नहीं मानेगी तो यह सरकार की गलती होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसलिये हम अन्त में कह कर बैठते हैं कि इन्हीं तमाम गाथाओं, तथ्यों और मानवीय मूल्य को लेकर हम ट्रावंकोर कोचीन की सरकार को इस्तीफा देने के लिये कह रहे हैं। अगर कोई ग़लती सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार गलत कर्मचारियों को दंड नहीं देती तो वह अपना फर्ज पूरा नहीं करती। अगर दूसरों की जान के साथ खेला जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें भी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है। अन्त में मैं इतना कह कर बैठ जाता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ मैं चलने को तैयार हूं और अगर हमारी गलती होगी तो हम उसे भुगतने के लिये तैयार हैं, वरना यह सरकार तैयार रहे।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी तकरीर करनी नहीं है और न मैं कोई ज्यादा समय ही लेना चाहता हूं। हम सब को इस बात का खेद है कि हमारे सूबे में हमको बारबार इस बाढ़ के सवाल पर अपने सदन में विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। यह एक दुख की बात है और हमारी उन सब भाई बहनों के साथ समवेदना है जिनको कि इस बाढ़ से तकलीफ और कष्ट पहुंचता रहता है। इस विषय के बारे में जो बाढ़ का है कोई मतभेद हो नहीं सकता। हम सब लोग चाहते हैं कि किसी को भी जो मदद की जरूरत हो वह मिलने से महरूम न रहे और हर एक की जो उसकी जरूरत है वह पूरी की जाय और उसको तकलीफ न हो। उनको तकलीफ न हो इसकी जरूर सीमा होती है। जिनके यहां बाढ़ आई है हम उनको आरामतलब दशा में नहीं कर सकते हैं और जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको भी हम सुखी नहीं बना सकते हैं, इसलिये जो बाढ़ के लोग हैं उनकी उस वक्त की तकलीफ को दूर करना हमारा फर्ज है और उसे हमें पूरा करना चाहिये और उसे हम करना चाहते हैं और यह हमारी कोशिश रहती है। उसमें हमारी तरफ से कोई कोताही या कोई कमी न रहे और हम नहीं चाहते कि कभी कोई कोताही रहे। हमने अब नहीं बल्कि बाढ़ आने के बहुत पहले से ही इस बात की हिदायत जारी की थी कि बाढ़ आने पर तुरन्त मदद होनी चाहिये और उसके लिये एक फ्लड स्कीम हर साल के लिये बनी हुई है उन १४ जिलों के लिए जो कि आम तौर पर हर साल बाढ़ के शिकार होते हैं। जिस तरह से कि सिक्योरिटी स्कीम और रायट स्कीम होती हैं वैसे ही एक फ्लड स्कीम कायम की हुई है कि जब कभी भी बाढ़ का अन्देशा हो तो तुरन्त जो कुछ हो सकता हो वह किया जाय। यहां पर सब मानते हैं कि बाढ़ आई और बाढ़ में काफी गांव फंसे, काफी जमीन उससे नुकसान में आई और काफी लोगों को भी नुकसान पहुंचा। इससे ही जो सरकारी अहलकार हैं उनकी जो कुछ अच्छी खिदमात और सेवायें हैं उन्हें मानना चाहिये क्योंकि बावजूद इसके कि बाढ़ इतने भारी रकबे में आई थी, किसी ने नहीं कहा कि किसी की लापरवाही से कोई मरा या किसी की जान गई या जानवर बहे। जो बचाये जा सकते थे वह बचाये गये, जो लोग बाढ़ के जिलों से आये हैं आम तौर पर उन्होंने यह राय जाहिर की कि सरकारी अहलकारों ने पूरे तौर से और बहुत चुस्ती से काम किया। मैं नहीं कहता कि मेरे लिये कहां तक मुनासिब है अगर मैं यह कहूं कि हमारे सदन के जो सर्वश्रेष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं वह भी बाढ़ के मौके पर झांसी में थे और रानीपुर और मऊरानीपुर में जो बाढ़ आई थी उसकी बात उन्होंने जब मुझसे आकर कही और मुझसे निजी तौर से कहा तो उन पर काफी इस बात का प्रभाव था कि सरकारी अहलकारों ने कितनी मुस्तैदी, चुस्ती और मेहनत के साथ बाढ़ में काम किया। इसके अलावा दूसरे लोगों ने भी बड़ी तारीफ के काबिल काम किया मिसाल के तौर पर आप को मालूम होगा कि खड्डा और छितौनी के बीच में रेलवे लाइन है, वह अगर टूट जाती तो लाखों गांव के आदमियों की जान का अन्देशा था और करोड़ों की बरबादी होने का वहां अन्देशा था लेकिन वहां सरकारी अहलकारों ने और जनता ने मिल कर रातदिन हजारों की तादाद में काम करके उस लाइन को बनाये रखा और उसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़ी भारी बरबादी होने वाली थी उस से वह क्षेत्र बच गया। इसी तरह से जहां भी जब कोई चीज हुई तो तुरन्त काम किया गया और किसी ने यह भी नहीं बताया कि कहीं जान आदमियों की गई हो और कितनी फिगर दी गई हैं उनसे ज्यादा किसी को भी मालूम नहीं है कि बाढ़ से कोई मरा हो.....

श्री गेंदासिंह---मैं जानता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---दिल में चाहे आपके जो हो लेकिन मैंने यह कहा कि किसी ने कहा नहीं कि इस हद तक जो कुछ है उस से ज्यादा जानें गईं, लेकिन मान लें कि ज्यादा भी जा सकती हैं, क्योंकि बाढ़ जब जोर से आती है तो लोग बह सकते हैं। बाज वक्त एक-एक वक्त में नाव डूब जाती है जिनमें पचास-पचास साठ-साठ एक साथ डूब जाते हैं,

और भी नुकसान हो सकता है मगर मानना पड़ता है कि जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें ज्यादातर लैंड स्लाइड से नैनीताल और गढ़वाल जिले में लोग मरे हैं लेकिन जो २०-२२ की संख्या बाढ़ से मरने वालों की तमाम जिलों की है वह बहुत कम है और इसके माने यह हैं कि काफी मुस्तैदी से लोगों ने काम किया है चूंकि उनका फर्ज था कि ऐसे वक्त में इस तरह का काम करें। इसी के साथ-साथ इस बात को समझना चाहिये कि इस बाढ़ के मौके पर कोई भी जो इन्सान हो वह बग़ैर कोशिश किये रह नहीं सकता। हम लोग यहां आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने का सदन के सदस्यों को अधिकार भी है और कर्तव्य भी है मगर काम करने वालों की हिम्मत बढ़ाना भी मुनासिब है। जहां वह गलत काम करते हैं वहां उनका तिरस्कार करना भी ठीक है लेकिन जहां वह सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हों तो उसके लिये उनकी सराहना करना भी एक अच्छी बात है।

मैं समझता हूं कि इस बाढ़ के सिलसिले में हमको दो बातें सोचनी होती हैं। एक तो यह कि बाढ़ आवे तब क्या किया जाय। एक तो यह कि जब बाढ़ आती है तब कोशिश की जाती है कि लोगों की तकलीफ दूर हो। उसके बारे में हमने एक कमेटी मुकर्रर की और उसकी जो सिफारिशें हैं उनके मुताबिक काम किया जाता है और उसके बारे में कुछ इशारा राजस्व मंत्री जी ने दिया कि क्या-क्या उन सिफारिशों पर काम किये गये हैं। इसके साथ ही अभी नन्दा जी यहां पर आये थे जो सेंट्रल में इर्रीगेशन के मिनिस्टर हैं। उनका ख्याल कुछ यह है कि एक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया जाय। यह जो बातें हैं वह सिर्फ प्रादेशिक ही नहीं होतीं बल्कि बाजे वक्त भिन्न-भिन्न प्रदेशों से उसका सम्बन्ध होता है। तो एक केन्द्रीय और एक प्रादेशिक दोनों किस्मों के बोर्ड बनें जिससे कि इस बाढ़ के मामले में एक प्लान बनाकर उसके मुताबिक काम किया जाय।

जहां तक बाढ़ की बात है एक दवामी या परमानेंट जो इसका इलाज है वह आसान नहीं है बहुत कठिन है। चीन की बात कही जाती है। चीन में बावजूद इसके कि बहुत दिनों से इस किस्म के डाइक्स बने हुये हैं, सैकड़ों वर्षों से प्रयत्न इसके लिये हो रहे हैं लेकिन फिर भी बाढ़ आती ही रहती है और चीन में बाढ़ और भूख से जितने आदमी मरे उतने किसी भी देश में कभी मरे नहीं। यह चीन में बावजूद उन कोशिशों के हुआ और यह वहां का रिकर्ड रहा है। यहां कुछ अर्सा पहले यह राय थी कि डांटें बना दी जायं। लेकिन कुछ इसमें अंदेशा भी था। इससे जो फ्लड लेविल होता है वह ऊंचा होने के कारण पानी का कोर्स वहां से तो रुक जाता है लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि दूसरे रुख में दूसरी तरफ उसका असर बुरा होता है। इसलिये एक्सपर्ट्स की राय यही है कि यह तरीका अच्छा नहीं है बल्कि दूसरा तरीका होना चाहिये कि ऐसे रिजरवायर्स बनें जिनमें फ्लड के जमाने में पानी ले लेना चाहिये जिससे फ्लड का पानी रुके और बाद को फिर उस पानी को इस्तेमाल भी किया जा सके। यह समझा गया कि कम नुकसान पहुंचने का अन्देशा है इससे, बमुकाबले पहले तरीके के कि डांट बनाये जायं। वहां जो हमने डांट बनाये वह तो फ्लड के मौके पर बह गये, पुल बह गये, पक्की सड़कें बह गईं। तो हमेशा यह सही नहीं है कि यह तरीका कारगर निकल सकता है। इस बारे में काफी सोचने विचारने की बात होती है और चीन जो, तरीका उन्होंने रखा है वह तो जो मसलन येलो रिवर है उसके आठ दस मील इधर और आठ दस मील उधर दीवार बनाई है और फिर इसके अतिरिक्त वह लोगों को दूसरी ओर ले जाते हैं और दूसरी जगह इन्तिजाम रखते हैं कि बाढ़ आवे तो दूसरी जगह चले आवें। अब इन सब चीजों की हमारे यहां कहां तक गुंजायश है यह हमें देखना होता है जिससे हम इस भारी बाढ़ से बच सकते हैं। यह सब बातें गौरतलब हैं। इसके बारे में अगर यह तरीका हो सकता है तो हमें जरूर उसको अमल में लाने की कोशिश करना चाहिये। बाढ़ को रोकने और लोगों को हर तरह से सुख पहुंचाने की कोशिश जहां तक हो सके करना चाहिये, इसके बारे में कोई दो

[श्री गोविन्दवल्लभ पंत]

रायें नहीं हो सकतीं। अब की बार हमारे यहां फ्लड कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट छपी है और उसके छपते ही हमने दो डिवीजन्स कायम किये हैं। एक तो फ्लड कंट्रोल डिवीजन जो कि सर्वे के लिये भी है। कहा गया कि सर्वे नहीं हुआ। तो सर्वे एक दिन में नहीं हो जाता। इतनी नदियां हैं उनकी डेप्थ को निकालना है, कैसे जाते हैं, किस तरीके से उनमें सिल्टिंग होती है। इन सब बातों का अन्दाजा लगाना है। जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त लगता है और वह सब एक दिन में नहीं हो सकता है। इसी तरह से और भी बातें जो हैं वह करनी होती हैं। इसके अलावा एक एफारेस्टेशन डिवीजन बनाया गया है जो कि इस गरज से है कि जिन जिलों में बाढ़ आती है वहां पेड़ वगैरह लगाये जायं कि जिससे कि बाढ़ का आना रुक सके। अब यह भी एक सोचने की बात है कि क्या वाटर-वेज़ कोई ऐसे ढंग से बन सकते हैं कि जिससे हमारी जो नदियां हैं उनमें एक ग्रेडियेंट आफ लेविल हो और जिन में हमारी किश्तियां माल को लेकर चल सकें और फ्लड को कंट्रोल कर सकें। लेकिन यह बड़े सवाल हैं कि जिनको हल करने में वक्त लगता है फिर इसके अलावा यह भी देखने की बात होगी कि हमारे पास साधन कितने हैं।

जहां तक तत्कालीन सहायता की बात है, फौरन ही मदद देने की बात है उसमें जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा जिले के सब अहलकारों से शुरू ही में कहा गया कि पैसे की वजह से जिसको कि मदद पाने की जरूरत है उसे वंचित न रखा जाय। इस के लिये २५ लाख रुपया भी तकावी का दिया गया है और इधर अब और देना होगा। यह तो शुरू की बात है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो इत्तिला दीगयी थी उसका तो काफी असर हुआ इसके बाद रकम बढ़ गयी और अब वह काफी ज्यादा हो जायगी ऐसा ख्याल किया जाता है। असल बात यह है कि लोगों का कांफीडेंस न टूटे इसके लिये तकावी देना बेहतर है। चूंकि तकावी में आदमी यह समझता है कि उसको जितनी जरूरत है वह उतनी ही ले और बिना जरूरत न ले और उसको यह भी ख्याल रहता है कि हम यह दान के रूप में नहीं ले रहे हैं। जनता की जितनी इस वक्त जरूरत है उसको पूरा होना चाहिये और इसके लिये जितने रुपए की जरूरत है उतना हम सर्फा करेंगे अपने साधनों के भीतर। इसी तरह से अलावा और चीजों के और तरह से भी मदद देने की कोशिश की जाती है फौरन ही, जैसे कि कहीं फ्लड आता है तो सरकारी अहलकार नाज लेकर, मिट्टी का तेल लेकर, दियासलाई के बक्स वगैरह ले कर जाते हैं और उनको तकसीम करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ न हो।

एक बात जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा यह बतलाती है कि किस तरह की इस वक्त जरूरत थी और आस्टैरिटी प्राविजन की सैकड़ों दूकानें इन जिलों में हैं मगर इन जिलों में १५ अगस्त तक आस्टैरिटी प्राविजन की दूकानों से सिवा बलिया और गोरखपुर में तो कुछ थोड़ा सा नाज लोगों ने खरीदा और कहीं खरीदा नहीं, इससे आप देख सकते हैं कि नाज की कमी इस तरह की नहीं थी कि जो लोगों को आस्टरिटी प्राविजन की शाप्स में जाना पड़ता है। और जहां लोगों को जरूरत थी वह गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो जहां जरूरत थी वहां लोग इस तरह से पा सकते थे नहीं तो आस्टरिटी प्राविजन की दूकानों से ज्यादा बिकरी होती और ज्यादा माल बिकता। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि वहां नाज की कमी नहीं थी। एक सिर्फ देवरिया में ६ लाख, ७ लाख तकावी तो बांटी गयी है और ढाई लाख, तीन लाख रुपया शुगर केन यूनियन से एडवांस में दिलाया गया है। इसके अलावा वहां ग्रेट्युटस रिलीफ में दिया गया, कपड़ा भेजा गया, नाज भी बंटा, लेकिन जो इस तरह से रुपया दिया जाता है वह काफी देना होगा। इसके अलावा और जो रिलीफ है उसमें भी सरकार का खर्चा होता है मसलन रेवेन्यू का रेमिशन, रेंट का रेमिशन या तकावी की वसूली न हो। इस वक्त सब वसूली तकावी की या लगान की या मालगुजारी की रोक दी गयी है। यह सब सर्फा कई लाख का होगा। वह भी इसी मद में आयेगा। इसके अलावा सड़क, पुल वगैरह कई टूट गये जिनके बनाने में काफी होगा। इसी तरीके पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कितने नुकसानात होंगे जिनमें भी शायद मदद देनी पड़ेगी। जब रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजी

गयी थी उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हुयीं कि जिन से फ्लड और बाढ़ गया और उन सब को मिला अंदाजा यह है कि यह रकम बहुत बड़ी होगी।

एक बात यहां आसाम और बिहार की कही गयी। मुझे खुशी है कि आसाम और बिहार में जिस तरह से जो काम हुआ उससे यहां के सदन के सदस्यों को संतोष है और इससे और भी ज्यादा खुशी है कि बिहार और आसाम में भी कांग्रेस की ही सरकारें हैं और उनकी और हमारी सब की पालिसी एक ही होनी चाहिये। मुमकिन है कि उनके वहां जो नुकसानात हुए हों वह ज्यादा हुए हों और कोई यह भी नहीं कह सकता कि उनका और हमारा तरीका शुमार में एक ही है। क्योंकि इसमें वहां कई वर्क्स ऐसे बनाये गये हों जो कि फ्लड रिलीफ के लिये हों, वह मदें उसमें हों, इसलिये मुकाबिले की बात नहीं है। सवाल तो यहां है कि कोई भी मिसाल ऐसी है जिसमें कि मदद मिलनी चाहिये थी और वह नहीं मिली। यह चीज तो किसी ने नहीं बतायी कि फलां जगह इसको मदद मिलनी चाहिये थी वह महरूम रहा। यह टेस्ट वर्क जो खोले गये हैं इनमें १२ हजार आदमी तो सिर्फ एक ही जगह हैं। तीन लाख रुपया टेस्ट वर्क में खर्च होगा और तकावी में खर्च होगा। टेस्ट वर्क ग्रेट्युट्स रिलीफ का फार्म है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक आदमी को मौका देते हैं यह समझने का कि मैं जो पा रहा हूं वह मेहनत करके पा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आखिर मान लीजिये कि हम ५० करोड़ रुपया इसमें खर्च करें, कहीं से मिल जाय, तो नतीजा क्या होगा वह दूसरे काम से निकलेगा। सरकार का जो कुछ है वह तो महदूद है उसको आप जहां चाहें लगायें। जितना बजट में है उसी में करना होगा। अगर आप फ्लड रिलीफ में चाहें १० करोड़ रुपया खर्च कर दें तो नतीजा यह होगा कि आपके इर्रीगेशन, रोड, अस्पताल और जो प्रोग्राम हैं बन्द करने होंगे। अब अगर ऐसा किया जाय कि जहां जरूरत न हो वहां यह दिखलाने के लिये कि आपने कहा और हमने कर दिया तो दिक्कतें होती हैं। तो यह सोचने की बात होती है कि सबसे अच्छे तरीके पर रुपए का खर्च कैसे हो सकता है, जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो और आगे के लिये मजबूत बनाये जा सकें जिससे कि तकलीफों का मुकाबला खुद कर सकें।

जो फ्लड आता है जितने आदमी गांव में रहते हैं, सब को बराबर नुकसान हो यह नहीं होता। कुछ को ज्यादा होता है, कुछ को कम। इसी तरह से खेती में सब को बराबर नुकसान नहीं होता, कुछ को ज्यादा और कुछ को कम। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बगैर इसकी तफसील में गये हुए कि क्या किस जिले में किया गया, हम यह जरूर चाहते हैं कि लोगों की तकलीफों को दूर करें और इस फ्लड के मामले में किसी तरह से कोई कोताही न हो और जो जरूरतें हों, पूरी की जायं, पैसे की वजह से किसी को तकलीफ न रहे। और जो कुछ भी मदद की जरूरत हो वह पूरी दी जाय और इसी उसूल के मुताबिक हमारे कर्मचारियों को काम करना है। पर इन सब कामों में सब को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। फ्लड के मामले में या और बातों में सिर्फ आलोचना से काम नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि बाहर भी मिलजुल कर काम करें। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। कमिश्नर वहां गये और उनके मीटिंग बुलाने के बावजूद भी यह देखा कि सब की मदद नहीं मिल पायी। हमारे डाक्टर सीताराम गए, कृपा शंकर गए, अलावा सरकारी अहलकारों के। इनको तैनात किया ताकि देखें कि लोगों की जो जरूरतें हों वह पूरी की जायं और उन्होंने भी वहां जा कर देखा और जो कुछ कर सकते थे किया और उनकी भी यह रिपोर्ट थी कि जो कुछ किया जा सकता है वह हो रहा है और उनसे भी यह कहा गया था कि रुपये के कारण कहीं किसी प्रकार की कमी न रहे।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात का इरादा रखें कि इस किस्म की मुसीबतों का मुकाबला सब मिल कर कर सकें और आगे के लिये आबहवा ऐसी पैदा कर सकें कि जिससे फल वगैरह रोकने के लिये जरिये अमल में ला सकें और सब लोग जब कभी मुसीबत आवे मिल कर मदद दें जिससे उनकी मुसीबतें दूर हो सकें।

श्री अध्यक्ष--(राजस्व मंत्री जी से) अब आप बोलना चाहेंगे ?

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२ सितम्बर, १९५४ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर।)

सूची

१--मौदहा-विवांर मार्ग--१३ मील, श्रमदान द्वारा ४२ लाख घनफिट मिट्टी पड़ी और ८ पुलियां बनीं जिनका कुल अनुमानित मूल्य ८५ हजार रुपया है। ८ पुलियों में, जिसका मूल्य २५ हजार रुपया आंका गया है ४ हजार रुपया प्लानिंग कमेटी द्वारा व्यय हुआ।

२-मौदहा-मुस्करा मार्ग--१८ मील, इस मार्ग पर ४४ लाख घनफिट मिट्टी का कार्य हुआ जिसका अनुमानित लागत ७० हजार रुपया है। इस सड़क पर १४ हजार व्यक्तियों के अतिरिक्त मिट्टी खुदाई के लिये ट्रैक्टरों की सहायता ली गयी। ट्रैक्टरों के पेट्रोल के लिये १ हजार रुपया प्लानिंग कमेटी द्वारा दिया गया।

३--बिलखी नहर--ढाई मील लम्बी नहर बिलखी ताल से बिलखी निवासियों ने अपनी ३०० एकड़ भूमि सींचने के लिये तैयार की। उस सम्पूर्ण के लिये १५०० रुपए का अनुदान प्लानिंग कमेटी से दिया गया।

४--इंगोहटा मार्ग--१ मील, १ पुलिया के लिये २५० रुपया प्लानिंग कमेटी से दिया गया।

५--पंचायत भवन कुलपहाड़--यहां एक सुन्दर पंचायत भवन १० हजार की लागत का बना जिसमें १५०० रुपया का अनुदान दिया गया।

६--श्रीनगर औषधालय--इसमें लगभग १५००० रुपया की लागत का कार्य हुआ। इस कार्य के लिये प्लानिंग कमेटी से १५०० रुपए दिये गये।

इस प्रकार श्रमदान सप्ताह में उपरोक्त कार्यों के लिये प्लानिंग कमेटी से कुल ९,७५० रुपए खर्च किये गये। इस सप्ताह में ३,३३,२५६ रुपए का कुल कार्य हुआ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३७ एल० ए०--१९५४--८५०।